केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

वार्षिक रिपोर्ट
2009-10

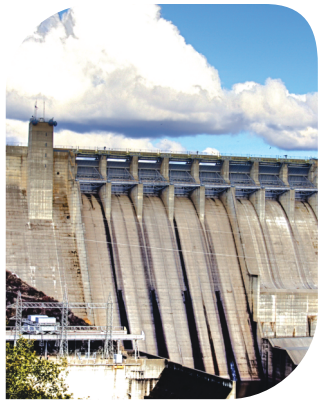

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.)

तीसरी तथा चौथी मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
फोन नं.: +91 11 23353503, फैक्सः +91 11 23753923
वेबसाइटः www.cercind.gov.in

सत्यमेव जयते

okf"kZd fjiksVZ

2009-10

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.)

तीसरी तथा चौथी मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001

फोन नं.: +91 11 23353503, फैक्सः +91 11 23753923

वेबसाइटः www.cercind.gov.in

अध्यक्ष का कथन

विद्युत क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर के विनियामक के रूप में भारत में विद्युत बाजारों को विकसित करने में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) की विशेष भूमिका है। इसके लिए अंतर–राज्यिक पारेषण नेटवर्क का समय पर पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित होना चाहिए। इससे क्षेत्र के उत्पादकों को ग्रिड में अधिक सुगम्यता मिलेगी। साथ ही महत्वपूर्ण उपाय के रूप में इस बात पर निगरानी रखने कि जरूरत है कि बाजार के उत्पादक जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करते हैं और इस उद्योग के नियमों का पालन करते हैं।

आयोग ने अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के रूप में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कई पहल की। आयोग ने संयोजकता व ग्रिड में सुगम्यता के विनियामक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन किया। अब ग्रिड संयोजकता के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादकों व निजी क्षेत्र के उत्पादकों के बीच पहले से चला आ रहा भेदभाव समाप्त कर दिया गया है। बाजार में उभरते उत्पादों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने 3 माह से तीन वर्षों तक की अवधि के लिए मध्य–कालिक निर्बाध पहुंच के विनियामक ढांचे तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। साथ ही आयोग पारेषण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने में निरन्तर महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहा है। अधिकार प्राप्त समिति, जिसका अध्यक्ष आयोग का एक सदस्य होता है, ने तीन महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन प्रणालियों के लिए सफलतापूर्वक बोली प्रक्रिया पूरी करवा ली।

निर्बाध पहुंच के कार्यान्वयन को आसान बनाने की अपनी पहलों को जारी रखते हुए, आयोग ने अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के जरिए बिजली के सवंहन हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा सहमति संबंधी प्रक्रियाओं को और अधिक सुचारू बनाया है। तथापि, अभी भी व्यापक स्तर पर निर्बाध पहुंच के कार्यान्वयन में कठिनाइयां हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी सीमाओं से बाहर बिजली के प्रवाह को रोकने संबंधी सांविधिक आदेश जारी किए हैं। केन्द्रीय आयोग ने, केन्द्र सरकार को कानूनी रूप से और साथ ही राज्यों से बातचीत कर इन मुद्दों को सुलझाने का परामर्श दिया।

विद्युत बाजार विनियमों को अधिसूचित करके विद्युत क्षेत्र में बाजार ढांचे के नियम बना दिए गए हैं। इन विनियमों में विभिन्न तरह की संविदाओं तथा विभिन्न बाजार उत्पादकों की भूमिका व जिम्मेदारियां परिभाषित की गई हैं। नए व्यापार मार्जिन विनियमों के जरिए नए–नए उत्पादों तथा नई क्षमता संवर्धन हेतु संविदाओं, जिसमें लेनदेन में अधिक जोखिम रहता है, को बढावा देने के उद्देश्य से दीर्धकालिक करारों को व्यापार मुनाफे से मुक्त रखा गया है। यह सुनिश्चित करने के भी उपबंध किए गए हैं कि व्यापारी बिजली का कई बार व्यापार करके व्यापार मुनाफे की अधिकतम सीमा का गलत फायदा नहीं उठा सकेंगे।

कई राज्य उपयोगिताए गैर–अनुसूचित अन्तर–विनिमय (यू आई) व्यवस्था के जरिए अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रिड से बार–बार अधिक बिजली ले रहे हैं। आयोग ने यूआई के नए विनियमों तथा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) में संशोधन करके यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि यूआई बिजली के व्यापार का माध्यम नहीं है। ग्रिड से बार–बार अधिक बिजली लेने को रोकने के लिए फ्रिक्वेंसी बैण्ड को और कड़ा कर दिया गया है और यूआई की नई दरें तय कर दी गई हैं। आयोग ने ग्रिड से अनाधिकृत ओवर ड्राल के कई मामलों में सख्त कार्रवाई भी की है और व्यतिक्रमियों पर दण्ड लगाया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य बिजली के व्यापार के लिए यूआई के दुरूपयोग को कम करना तथा द्विपक्षीय व पॉवर एक्सचेंज से लेनदेन को बढ़ावा देना है।

160 से अधिक वास्तविक उपभोक्ताओं (अधिकतर औद्योगिक उपभोक्ता) द्वारा निर्वाध पहुंच के जरिए पॉवर एक्सचेजों से बिजली खरीदे जाने की सूचना मिली है। इस प्रकार अनेक कैपटिव बिजली संयंत्र पावर एक्सचेजों के जरिए अधिशेष बिजली बेच रहे है। अतःबाजार में काफी मात्रा में अप्रत्यक्ष क्षमता उपलब्ध हो गई है। ये सभी अनुकूल विकास हैं जिनसे बिजली की उपलब्धता में वृद्धि हुई है और बिजली बाजार का आधार बढ़ा है।

बाजार निगरानी भी आयोग का एक प्रमुख कार्यकलाप रहा है। अल्प–कालिक बाजार में मूल्य में अचानक अधिक वृद्धि से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए आयोग द्वारा इस वर्ष 45 दिनों की अवधि के लिए मूल्य सीमा लागू की गई। इस मूल्य सीमा को लागू करते समय आयोग, निवेशकों के लिए उचित लाभ तथा विद्युत क्षेत्र में निवेश के वातावरण में किसी प्रतिकूल प्रभाव को न होने देने के प्रति सचेत रहा।

नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन भी विनियामकों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आयोग ने ''टैरिफ नीति'' के तहत अधिदेश को पूरा करते हुए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए टैरिफ विनियम जारी किए। आयोग ने सभी सामान्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के लिए अधिमान्य टैरिफ जारी किया। आयोग द्वारा निर्धारित अधिमान्य टैरिफ से लागत की उचित वसूली सुनिश्चित होती है। यह टैरिफ ढांचा, राष्ट्रीय सौर मिशन के लिए एक मूल आधार है। आयोग ने अधिनियमों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की असमान उपलब्धता तथा नवीकरणीय खरीद दायित्व के अंतर को दूर करने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) के ढांचे को औपचारिक रूप भी दे दिया है ताकि लाइसेंसी और अन्य सम्बंधित व्यक्ति अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) को पूरा किया जा सके। आयोग की इन पहलों का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में वांछित निवेश प्रोत्साहित करना व उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है।

आयोग ने, विद्युत क्षेत्र विकास व सम्बद्ध मामलों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रीय सलाहकार समिति के साथ गहन परामर्श भी किया। आन्तरिक प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए आयोग ने विनियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली (आरआईएमएस) के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसके अगले वर्ष पूरी तरह कार्य शुरू करने का लक्ष्य है।

आयोग के समक्ष आगे जो चुनौतियां है उनमें मुख्यतया इस वर्ष बनाए गए विभिन्न विनियमों को कार्यान्वित करना, नये पारेषण मूल्य निर्धारण ढॉचे को लागू करने, व्यस्त, गैर–व्यवस्तम समय में टैरिफ, थर्मल उत्पादन केन्द्रों आदि के लिए पूंजीगत लागतों का न्यूनतम मानक निर्धारित करना है।

आयोग आशा करता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पणधारियों का निरन्तर सहयोग मिलता रहेगा।

¼Mk- iekn no½

fo"k; oLrq

1. आयोग 9

2. मिशन विवरण 11

3. 2009–10 के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त विवरण 15

4. पूर्व वर्ष – एक अवलोकन 22

5. उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष 27

   5.1 उपभोक्ताओं को लाभ 27

   (क) निर्बाध पहुंच 27

   (ख) ग्रिड अनुशासन 27

   5.2 क्षेत्र का विकास 27

   (क) आईईजीसी तथा यूआई विनियमों में संशोधन 27

   (ख) नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियम तथा आरईसी ढ़ाचा 27

   (ग) पारेषण क्षेत्र 28

   (घ) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा 28

   (ङ) बाजार विकास 28

6. विनियामक प्रक्रियाएं और कार्यवाहियां 29

   6.1 विनियमों के लिए प्रक्रिया 29

   6.2 याचिकाओं से संबंधित आदेश के लिए प्रक्रिया 30

   6.3 टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धांत 30

7. वर्ष 2009–10 के दौरान किए गए कार्यकलाप 31

   7.1 विधिक कार्यवाहियां 31

   7.2 वर्ष 2009–10 में जारी प्रमुख विनियम 31

   क. ''अन्तर–राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्य–कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना'' संबंधी विनियम 31

   ख. ''वास्तविक समय प्रचालन संकुलन अवमुक्ति के उपाय'' संबंधी विनियम 32

   ग. ''व्यापार मार्जिन का निर्धारण'' संबंधी विनियम 32

   घ. ''नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के निबंधन एवं शर्तें'' संबंधी विनियम 33

(ड.) ''नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता देने तथा उसे जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें'' संबंधी विनियम 34

(च) विद्युत ऊर्जा बाजार विनियम 34

(छ) ''अन्तर–राज्यिक पारेषण मे निर्बाध पहुंच'' विनियमों में संशोधन 35

(ज) पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सम्बंधित मामलों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें'' संबंधी विनियम 35

(झ) ''प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र व अन्य सहबद्ध मामलों के लिए फीस तथा प्रभार" संबंधी विनियम 36

7.3 विद्युत बाजार : व्यापार, पावर एक्सचेंज तथा निर्बाध पहुंच 37

क. अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी 37

ख. पावर एक्सचेंज 38

ग. बाजार निगरानी प्रकोष्ठ 38

घ. बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजन हेतु मूल्य वृद्धि के कारक व अन्य पैरामीटर की अधिसूचना .. 40

ङ निर्बाध पहुंच को सुगम बनाना 40

7.4 थर्मल उत्पादन 42

क. टैरिफ निर्धारण 42

ख. 2004–09 के दौरान अतिरिक्त पूंजी व्यय 47

ग. पुनर्विलोकन याचिक 48

घ. विविध याचिकाएं/मामले 48

7.5 हाइड्रो उत्पादन 49

क. 2004–09 की अवधि के लिए अंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन की याचिकाएं 49

ख. पुनर्विलोकन याचिका तथा अतिरिक्त पूंजीकरण 50

ग. विविध याचिकाएं 54

7.6 पारेषण 55

क. पारेषण टैरिफ 55

ख. अननुसूचित विनियम (यूआई) प्रभारो के भुगतान में व्यतिक्रमी उपयोगिताओं पर कार्रवाई 55

ग. ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उपाय 56

घ. विद्युत क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में विभिन्न याचिकाओं में आयोग के आदेश 59

ड. पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करना 60

7.7 नवीकरणीय ऊर्जा 61

क. टैरिफ निर्धारण 61

ख. विविध आदेश 62

7.8 वर्ष के दौरान अन्य कार्यकलाप 62

(क) सीईआरसी में विनियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली (रिम्स) 62

(ख) केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) 62

(ग) विनियामकों के मंच (एफओआर) के कार्यकलाप 69

(घ) भारतीय विनियामकों के मंच (एफओआईआर) के गतिविधियां 70

(ड.) दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियम (एसएएफआईआर) की गतिविधियां 70

(च) सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/आदान–प्रदान कार्यक्रम 70

7.9 भारत सरकार को सलाह 71

क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य देशों से बिजली के आयात हेतु विद्युत व्यापारी को पदामिहित करने के संबंध में 71

ख) कम्पनी अधिनियम के अधीन अधिसूचित दी जाने वाली अवक्षयण की दरें 71

ग) अधिनियम की धारा 11 के अधीन विभिन्न राज्य सरकारों के आदेश के संबंध में 71

घ) पारेषण सेवाओं का प्रतिस्पर्धात्मक प्रापण के संबंध में 71

ड) राज्य भार प्रेषण केन्द्रों (एसएलडीसी) का संरक्षण 72

च) पारेषण सेवायें प्राप्त करने हेतु टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा मानक बोली दस्तावेज के संबंध में 72

छ) विद्युत अग्रवर्ती संविदाओं तथा विद्युत व्युत्पत्ति बाजारों के संबंधित मुद्दें 73

ज) प्रतियोगी बोली के माध्यम से पारेषण लाइनों के विकास हेतु मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) में संशोधन 74

झ) टैरिफ नीति में प्रस्तावित संशोधन 75

ञ) विद्युत वायदा संविदाओं के विनियमन तथा विद्युत व्युत्पन्न से बाजारों से संबंधित मुद्दें 75

8. 2009–10 के दौरान जारी अधिसूचना 77

9. 2010–11 के लिए कार्यसूची 78

10. लेखाओं का वार्षिक विवरण 79

11. आयोग का मानव संसाधन 80

अनुबंध

I. केविविआ के समक्ष फाइल की गई याचिकाओं की प्रास्थिति (1–4–2009 से 31–3–2010 तक) 85

II. 31.03.2010 को एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 125

III. 1.03.2010 को दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित क्षमता तथा प्रत्येक की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 127

IV. केन्द्रीय क्षेत्र की हाइड्रो उत्पादन कंपनियों की संस्थापित क्षमता (एनएचपीसी, एनएचडीसी, निपको, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी तथा डीवीसी) 128

V. केविविआ की परिधि के अधीन हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों का संक्षिप्त टैरिफ 130

VI. वर्ष 2009–10 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ (रूपए/केडब्ल्यूएच) 132

VII. वर्ष 2010–11 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ (रूपए/केडब्ल्यूएच) 134

VIII. उन सेमिनारों/सम्मेलन/आदान–प्रदान कार्यक्रम का व्यौरा, जिनमें वित्त वर्ष 2009–10 में आयोग के अधिकारियों/कर्मचारिवृंद ने भाग लिया (भारत से बाहर) 136

IX. ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, जिनमें आयोग के अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2009–10 में भाग लिया (भारत में) ... 137

X. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारिवृंद के ई–मेल और दूरभाष नम्बर (31.03.2010 के अनुसार) 138

XI. संगठन चार्ट 142

1. आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री शरद पवार की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति ने ''सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्डों का गठन'' करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि ''टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।

इस प्रकार, केन्द्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ सहायिकियों आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार ने, जुलाई, 1998 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

आयोग अर्ध–न्यायिक–हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विधाओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उत्तरदायित्व में एक महत्वपूर्ण अभिवृद्धि की है। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन केवल टैरिफ नियतन की शक्तियां ही केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में विहित थी। 2003 की नई विधि के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ नियतन की शक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं जैसे अन्तर–राज्यिक पारेषण, अन्तर–राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने और परिणामस्वरूप लाइसेंस में संशोधन करने, उसे निलंबित और निरस्त करने की शक्तियां, लाइसेंसधारियों के लिए निष्पादन मानक बनाकर और उनका पालन सुनिश्चित करते हुए विनियमित करने की शक्तियां, आदि।

vf/kn'k

जैसा विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है:–

(1) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ का विनियमन करना:

(2) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कम्पनियों से भिन्न उत्पादन कम्पनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कम्पनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;

(3) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;

(4) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

(5) किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर–राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी जारी करना;

(6) उपर्युक्त खण्ड (क) से खण्ड (घ) तक से संबंधित विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारीं का अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा माध्यस्थम् के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

(7) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस की उदगृहित करना;

(8) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

(9) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;

(10) विद्युत के अन्तर–राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;

(11) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

(12) केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित पर सलाह देना:

(क) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;

(ख) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययिता का संवर्धन करना;

(ग) विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन को बढ़ावा देना; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को निर्दिश्ट कोई अन्य विषय।

2. मिशन विवरण

आयोग की भारी विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अन्तर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार की सलाह देने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्यः

- एक कारगर टैरिफ निर्धारण तंत्र को तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययिता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा,
- भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) के माध्यम से क्षेत्रीय ट्रांसमिशन प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना,
- अन्तर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाने, अंतर–राज्यिक व्यापार को सुकर बनाने के लिए एक बाजार संरचना के सृजन द्वारा विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।

ekxn'kd fl)kr

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता हैः

- सभी पणधारियों (स्टॉक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण,
- पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना,
- एक ओर विचारों में संगत रहते हुए विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना,
- यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासम्भव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों,
- विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्त्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना,
- विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्त्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।

2009–10 के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

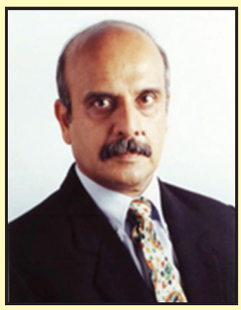

डॉ. प्रमोद देव

अध्यक्ष

(9 जून 2008 से कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं)

डॉ. प्रमोद देव ने 9 जून, 2008 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉ. प्रमोद देव भारत में सबसे अधिक लम्बे समय से विद्युत विनियामक से जुड़े हुए हैं। डॉ. देव ने 29 अप्रैल 2002 को एमईआरसी के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा 11 फरवरी, 2005 को इन्हें अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया।

भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त डॉ. देव ने अवसंरचना अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की है तथा इन्होंने ऊर्जा नीति तथा अर्थशास्त्र में पोस्टडाक्टरेट अनुसंधान किया है। ये ऊर्जा योजना, ऊर्जा प्रबंधन तथा विनियामक पद्धति संबंधी तीन पुस्तकों के सह–लेखक भी हैं।

डॉ. देव को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) का 30 वर्षों का अनुभव हैं जिसमें 20 वर्ष का अनुभव ऊर्जा क्षेत्र में नीति तथा परियोजना प्रबंधन के दोनों स्तर में है। इन्होंने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) तथा प्रौद्योगिकी ऐशियाई संस्थान (एआईटी) जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में कार्य किया है।

महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग में राज्य विद्युत सुधार विधेयक, 2000 के प्रारूपण में इनका प्रमुख योगदान था। इस अवधि के दौरान, इनके पास पर्यावरण विभाग का समवर्ती प्रभार भी था।

इन्होंने पांच वर्ष (1993–98) तक डेनमार्क में अवस्थित ऊर्जा, जलवायु तथा धारणीय विकास (यूआरसी) संबंधी यूएनईपी रिसोई केन्द्र में वरिष्ठ ऊर्जा अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया है। इन्होंने इस केन्द्र की ओर से जलवायु परिवर्तन संबंधी ढांचा अभिसमय पर प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए मिस्र, जार्डन तथा मलेशिया को सुसज्जित करने हेतु वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) क्षमता निर्माण प्रस्तावों के विकास पर यूएनडीपी के लिए कार्य किया है। डॉ. देव की सभी ऊर्जा पर्यावरण परियोजनाओं तथा जलवायु परिवर्तन प्रशमन अध्ययनों में व्यापक रूप से ऊर्जा क्षेत्र सुधार, ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण विकल्प सम्मिलित रहे।

डॉ. देव क्रमशः, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता का संवर्धन करने के लिए स्थापित राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के ऊर्जा संस्थानों, अर्थात महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (1986–88) तथा ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (1989–1993) के संप्रवर्तक निदेशक थे। अंततः इस ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र को ऊर्जा दक्षता एआईटी, ब्यूरो (बीईई), जो एक कानूनी निकाय है के रूप में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन उन्नत किया गया है।

इन्होंने 1993 में विश्व बैंक में अल्प–कालिक परामर्शक के रूप में तथा वर्ष 1985 से 1986 तक, बैंकाक में अनुसंधान इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया।

डॉ. देव को पवन ऊर्जा के प्रसार में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विश्व पवन ऊर्जा संगम से विश्व पवन ऊर्जा पुरस्कार, 2005 से सम्मानित किया गया है। भारतीय औद्योगिक महासंघ (सीटू) ने वर्ष 2006 के लिए ''विख्यात व्यक्तित्व–ऊर्जा प्रबंधन'' नामक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनका चयन किया।

श्री राकेश नाथ

अध्यक्ष, के.वि.प्रा. तथा पदेन सदस्य के.वि.वि.आ.
(अक्तूबर, 2005 से मार्च, 2010)

इन्हें विद्युत क्षेत्र आयोजना, ऊष्मीय और जलविधुत केन्द्रों, पारेषण प्रणाली, सिंचाई नहर प्रणाली के प्रचालन व रखरखाव, विद्युत प्रणाली प्रचालन व विद्युत व्यापार सहित बहु उद्देश्यीय जल परियोजनाओं से जल आपूर्ति के विनियमन में लगभग 37 वर्षों का विविध अनुभव है। श्री राकेश नाथ, अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, अक्तूबर, 2005 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (पदेन) हैं। इन्होंने विभिन्न संगठनों, अर्थात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, पॉवर ट्रेडिंग कारपोरेशन, उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

श्री राकेश नाथ को वर्ष 2001 में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और वे भाखड़ा ब्यास हाइड्रोकेन्द्र, जिसकी संस्थापित 2866 मेगावाट की है और जो उत्तरी क्षेत्र में वृहत्त हाइड्रो कांप्लेक्स है, के प्रशासन, प्रचालन तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी थे। इनकी पदावधि के दौरान, बी.वी.एम.बी. में काफी उत्पादन हुआ तथा सारवान् रूप से संयत्रों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है दौरान पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में वर्ष 2000–01 में अपनी पदावधि के दौरान इन्होंने देश के कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष ऊर्जा के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लेनदेन आरंभ किए और ट्रेडिंग कारपोरेशन को लाभ कमाने वाली कंपनी बना दिया। इन्होंने पाकिस्तान के साथ ऊर्जा के विद्युत के लिए भारतीय शिष्टमण्डल भारत के सदस्य के रूप में नवम्बर, 1998 में इस्लामाबाद का दौरा किया तथा सितम्बर, 2001 में भारत–नेपाल ऊर्जा व्यापार का संवर्धन करने के लिए भारतीय दल के सदस्य के रूप में काठमांडू का दौरा किया। इन्होंने जनवरी/फरवरी, 1999 में नई दिल्ली में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत में भी भाग लिया।

श्री राकेश नाथ देश के दो वृहत्त क्षेत्रीय ग्रिड, अर्थात एनआरईबी और डब्ल्यू.आर.ई.बी. के सदस्य–सचिव तथा विभिन्न क्षेत्रों में ग्रिड फेल होने की जांच करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त अन्य विभिन्न समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। ये अन्तर–क्षेत्रीय बिजली विनिमय के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित कार्यकारी समूह के संयोजक थे जिसने समूचे देश में अन्तर–क्षेत्रीय बिजली हस्तांतरण की संरचना के लिए एक रास्ता तैयार किया।

श्री राकेश नाथ ने 1984 में यू.के. तथा 1993 में स्वीडन में ऊर्जा प्रणाली प्रचालन तथा नियंत्रण के पाठयक्रमों में भाग लिया। इन्होंने सितम्बर, 2002 में अवसादन संबंधी विशेषज्ञ समिति, वृहत्त बांध संबंधी अन्तरराष्ट्रीय समिति (सीओएलडी) की कार्यवाहियों में सदस्य के रूप में भाग लिया। उन्हें अगस्त, 2003 में बफैलो, यू.एस.ए. में हुए जल ऊर्जा संबंधी अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी नियुक्त किया गया।

श्री आर. कृष्णामूर्ति

सदस्य

(मई, 2007 से जनवरी, 2010)

श्री आर. कृष्णामूर्ति ने 10 मई, 2007 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पद भार ग्रहण किया। इससे पहले ये फरवरी, 2005 से दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य थे। श्री कृष्णामूर्ति को बिजली क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। इन्होंने 28 वर्ष से अधिक विद्युत क्षेत्र में कार्य किया है। पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन में 16 वर्ष से अधिक की पदावधि के दौरान विभिन्न पदों, जिसमें निदेशक (वित्त तथा वित्तीय प्रचालन) भी सम्मिलित है, पर रहने के पश्चात् ये जनवरी 2005 में पावर फाइनेंस पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके पूर्व इन्होंने लगभग 10 वर्ष तक नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्य किया है। इन्होंने कुछ समय तक नागपुर में मिनरल एक्सफ्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड में भी कार्य किया। इन्होंने अपने जीवन की सेवा की शुरूआत 1970 में भारतीय संपरीक्षा तथा लेखा विभाग में अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक) के पद से की।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन में अपनी सेवा अवधि के दौरान, इकाई मूल्यांकन, परियोजना मूल्यांकन आदि के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं को स्थापित करने के पश्चात् इन्होंने निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने में भूमिका अदा की। ये राज्य बिजली प्रतिष्ठानों के संस्थागत विकास से भी जुड़े थे तथा इन्होंने राज्य बिजली क्षेत्र में सुधार करने तथा पुनर्गठन प्रारंभ करने में अपना योगदान दिया। इन्हें देश में सर्वोच्च 10 पीएसयू में से एक होने के लिए सितम्बर, 2004 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री से उत्कृष्टता के लिए स्कोप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारत सरकार के संवर्धक विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम एपीडीआरपी के अधीन राज्य विशिष्ट सुधार पर बिजली मंत्रालय द्वारा गठित दीपक पारिख समिति के सदस्य थे। ये परियोजना प्रबंधन संस्थान, एनटीपीसी, नोएडा के सलाहकार परिषद् के सदस्य भी थे।

ये दिल्ली और इसके आस–पास विभिन्न संस्थानों में अतिथि संकाय हैं। इन्हें वित्त परियोजना मूल्याकंन, वित्तीय विश्लेषण, लागत इंजीनियरिंग, निधि प्रबंधन, विदेशी मुद्रा उधार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, संसाधन संग्रहण, विश्लेषण तथा तुलनपत्र का निर्वचन, मूल्यांकन प्रक्रिया, पूंजी व्यय विनिश्चय, लेखांकन, कर योजना के सभी मामलों में गहन अनुभव है।

श्री कृष्णामूर्ति दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में दो टैरिफ आदेशों से जुड़े हुए थे तथा ''दविविआ प्रदाय कोड तथा निष्पादन मानक संबंधी विनियम'' को भी इनके कार्यकाल के दौरान अंतिम रूप दिया तथा उन्हें जारी किया गया। 6 अप्रैल, 2007 के पश्चात् आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु–वर्षीय टैरिफ के विनियम में इनकी भी भूमिका थी। अपनी पदावधि के दौरान इन्होंने केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों तथा अन्य से वितरण को कंपनियों की बिजली के आबंटन को अंतिम रूप दिया ताकि 1 अप्रैल, 2007 से दिल्ली में अन्तरा–राज्यिक एबीटी को आरंभ किया था।

ये भारत के लागत तथा संकर्म लेखा संस्थान के अध्येता सदस्य हैं तथा इन्होंने कंपनी सचिव संस्थान की मध्यवर्ती परीक्षा भी पूरी की है। इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बीएसी (गणित) में स्नातक किया है।

श्री एस. जयरमण

सदस्य

(11 सितम्बर, 2008 से पदासीन)

श्री जयरमण मद्रास विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं तथा ये भारतीय लागत तथा लेखा संकर्म संस्थान के अध्येता सदस्य हैं। 10 मई, 1948 को जन्मे श्री जयरमण के पास सरकार तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है तथा इन्होंने वित्त और प्रबंधन, दोनों में, अनेक प्रकार के कार्य किए हैं जिनमें से 20 वर्ष तक इन्होंने बोर्ड स्तर की जिम्मेदारियां निभाई हैं।

इन्होंने नेशनल एल्म्यूनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) में अपना वरिष्ठ स्तर का पद धारण किया जहां इन्होंने विभिन्न हैसियत से अनेक सफलतापूर्वक कार्य किए जिससे 40 वर्ष की युवावस्था में 1988 में खनिज अन्वेषण विकास निगम लिमिटेड (एमईसीएल) (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी) के निदेशक (वित्त) के लिए इनका मार्ग प्रशस्त हो गया। उसके पश्चात् इन्होंने वर्ष 1993 में निदेशक (वित्त) के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने 1998 में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. में निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा तत्पश्चात् इन्हें 1.7.2002 से 31.5.2008 तक नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

उच्च प्रबंधन दल के भाग के रूप में, श्री जयरमण वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से समुचित लक्ष्य तय करने व योजना बनाने, परियोजनाओं के लिए हर प्रकार के मार्गदर्शन तथा सहायता में सहबद्ध रहे। इन्होंने दीर्घ–कालिक कारपोरेट योजना, विस्तृत विनिधान योजना, वार्षिक योजना आदि को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

इनके पास औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा निगमित स्तरों का उत्तम ज्ञान है। इनके पास वृहत् खनन तथा बिजली परियोजनाओं को तैयार करने तथा ऐसी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में काफी अनुभव रहा है। इनके पास वृहद संगठनों का प्रशासन करने का काफी लंबा अनुभव है।

इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में विख्यात संस्थान, मैनेजमेंट कालेज, हिंले ऑन थोमस, हिनले द्वारा संचालित कार्यनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया। इन्होंने वित्तीय प्रबंधन, प्रबंधन लेखांकन, विदेशी विनिमय, डब्ल्यूटीओ आदि जैसे विषयों पर अपने कैरियर के प्रारंभ में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

इन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया जिनमें यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, जापान, मारीशस, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, हांगकांग, जर्मनी सम्मिलित हैं।

श्री वी. एस. वर्मा

सदस्य

(23 फरवरी, 2009 से पदासीन हैं)

श्री वी एस वर्मा देश में थर्मल बिजली तथा उत्पादन क्षमता के लिए योजना के क्षेत्र में एक सुविदित विशेषज्ञ हैं। श्री वर्मा ने वर्ष 1971 में आईआईटी रूड़की (तत्कालीन रूड़की विश्वविद्यालय) से यांत्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक की शिक्षा पूरी तथा इन्होंने वर्ष 1975 में रूड़की से यांत्रिक इंजीनियरिंग में एप्लाइड थर्मोसाइंस से मास्टर डिग्री प्राप्त की। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से बीएससी भी की तथा जो अब एफआईई के नाम से ज्ञात है। श्री वर्मा ने 23 फरवरी 2009 के पूर्वाहन को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। सीईआरसी में सदस्य का पदभार ग्रहण करने से पहले श्री वर्मा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (योजना) तथा भारत सरकार के पदेन अपर–सचिव के पद पर थे। श्री वर्मा ने थोड़े समय के लिए सीईए में सदस्य (हाइड्रो) के पद का कार्य भी देखा। गत हाल में, ये तीन वर्ष के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियएंसी के महानिदेशक भी रहे।

श्री वर्मा 1971 बैच के केंद्रीय पावर इंजीनियरिंग सेवा से संबंधित है। सीईए में विभिन्न विरचनाओं में बिजली क्षेत्र में 36 वर्ष के लंबे सेवा में, श्री वर्मा ने योजना, थर्मल पॉवर प्लांट इंजीनियरिंग, बिजली परियोजना निगरानी परियोजना निर्माण, पर्यवेक्षण, प्रचालन मानीटरिंग, मानव संसाधन विकास, ग्रिड प्रचालन, बिजली संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण तथा अन्य नीति पहलुओं में व्यापक तथा मूल्यवान अनुभव अर्जित किया। बिजली की योजना, भार भविष्यवाणी, संरक्षण तथा दक्षता, राष्ट्रीय विद्युत योजना, सीडीएम, बेसलाइन डाटा आदि सदस्य (योजना), सीडीए के रूप में उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी। श्री वर्मा ने विद्युत क्षेत्र में ईंधन प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास तथा आई टी के क्षेत्र की देखरेख की। श्री वर्मा ने देश में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण, मानक तथा लेवलिंग तथा बिजली दक्षता का संवर्धन करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की।

श्री वर्मा ने सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों की अध्यक्षता की जिसमें नेशनल मिशन ऑफ एंहान्सड एनर्जी एफिसिएंसी के अधीन जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना संबंधी कार्यकारी समूह, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में बिजली क्षेत्र के विकास के लिए कार्रवाई योजना की विरचना के लिए कार्यदल, लद्दाख, जम्मू–कश्मीर के पुगा जियो थर्मल क्षेत्रों में जियो–थर्मल आधारित संभावित ऊर्जा उत्पादन का अध्ययन करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएन–आरई द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, ग्यारहवीं योजना के लिए बिजली क्षेत्र के अनुसंधान तथा विकास का कार्यकारी समूह, 17 वीं बिजली सर्वेक्षण समिति तथा अन्य, योजना आयोग द्वारा गठित ग्यारहवीं योजना के लिए बिजली संबंधी कार्यकारी समूह के सदस्य–सचिव, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 50,000 मेगावाट हाइड्रो बिजली में एक अग्रिम भूमिका अदा की। इन्होंने भारतीय बिजली में सीओ 2 बेसलाईन डाटा के प्रकाशन तथा प्रचालन की दक्षता को अनुकूल बनाने के लिए देश में थर्मल विद्युत केन्द्रों की मैपिंग की भी अगुवाई की।

श्री वर्मा योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं तथा इनके नेतृत्व में व्यापक अनुसंधान तथा विकास परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई। श्री वर्मा ने विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए यूके, यूएसए, यूएसएस और वियतनाम, केन्या, गुयाना, नाईजिरिया, पोलैण्ड, ब्रूसेल्स तथा जर्मनी का दौरा किया है। इन्होंने बिजली संबंधी विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों तथा कार्यशालाओं में बिजली क्षेत्र से संबंधित 50 से अधिक तकनीकी पेपरों को प्रकाशित किया तथा उन्हें प्रस्तुत किया। श्री वर्मा उत्पादन तथा पारेषण क्षमताओं के अनुकूलतम उपयोग, बिजली अंतर–राज्यिक

तथा अंतर–राज्यिक विनिमय, उत्पादन अनुसूचीकरण तथा लेखांकन आदि से संबंधित पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड में बिजली प्रणाली मानीटरिंग तथा ग्रिड प्रचालन के लिए उत्तरदायी रहे। श्री वर्मा ने दो वर्ष तक पावर सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टिटयूट तथा हाट लाइन ट्रेनिंग सेंटर पर मानव संसाधन प्रबंधन विकास तथा प्रणाली प्रबंधन का संचालन किया। श्री वर्मा को केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड तथा भोपाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आजीवनकाल उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

श्री वर्मा केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र, दामोदर घाटी निगम आदि जैसे विभिन्न संस्थानों के शासी परिषद/निदेशक बोर्ड में भी रहे हैं।

श्री एम. दीन दयालन

सदस्य

(4 मार्च, 2010 से पदासीन हैं)

श्री एम. दीन दयालन (जन्म तिथि 22 फरवरी, 1950) को भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने का 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

श्री दयालन ने अपने जीवन की शुरूआत क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, त्रिचिरापल्ली, तमिलनाडु (1972) में रसायन विज्ञान के व्याख्याता के रूप में की और फिर इण्डियन बैंक, जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, में पदभार ग्रहण किया जहां इन्होंने विभिन्न कार्यकारी पदों पर लगभग 6 वर्ष तक सेवा की। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार में प्रवेश किया और 1978 में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा में शामिल हो गए। श्री दयालन ने राज्यों और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा–परीक्षा एवं लेखा देखरेख के मध्यम व वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

विशेष रूप से श्री दयालन ने हरियाणा और केरल में महालेखाकार के पद पर सेवा की है। इन्होंने दूरसंचार विभाग में महा प्रबंधक (वित्त) के पद पर भी कार्य किया है और इसे बीएसएनएल के रूप में निगम बनाए जाने के दौरान कार्य किया है। इन्होंने भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, प्रशासन तथा राज्य राजस्व विभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के प्रभारी निदेशक के पद पर सेवा की है।

गत 6 वर्षों से श्री दयालन वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार रहे हैं, जिसमें सभी विभाग अर्थातः राजस्व, व्यय, आर्थिक कार्य, वितीय सेवा एवं विनिवेश विभाग तथा प्रधानमंत्री कार्य तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा, राज्यसभा, तथा उच्चतम न्यायालय सहित विविध विभाग शामिल हैं। ये 1994 से भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य पद पर और 2006 से अपर सचिव के पद पर आसीन रहे हैं।

श्री दयालन ने सिंडिकेट बैंक में सरकार के नामिती निदेशक, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के बोर्ड के अंशकालिक सदस्य तथा भारतीय सुरक्षा मुद्रण एवं टकसाल निगम में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है। श्री दयालन गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के अपील प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे हैं।

श्री दयालन रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा लीड्स विश्वविद्यालय, यू.के. से कारपोरेट वित्त में एमबीए की उपाधि से सम्मानित हैं।

श्री दयालन को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा हनोई वियतनाम स्थित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की लेखा परीक्षा में विविध एवं व्यापक अनुभव है।

श्री दयालन सरकारी सेवा से 26 फरवरी 2010 को सेवानिवृत्त हुए।

4. पूर्व वर्ष – एक अवलोकन

विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद से सीईआरसी के उत्तरदायित्व का दायरा काफी अधिक बढ़ गया है। टैरिफ विनियमों और अनुज्ञप्ति के अलावा, केन्द्रीय आयोग की विकास में अहम भूमिका है। इस वर्ष के दौरान आयोग के कार्यकलापों का केन्द्र–बिंदु निरंतर विद्युत बाज़ार का विकास करना रहा है।

वर्ष के दौरान, इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विनियामक पहल में से एक अंतर–राज्यिक ग्रिड में मध्यकालिक निर्बाध पहुंच लागू करना था, जिसके द्वारा पारेषण कारीडोर का तीन माह से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए लाभ उठाया जा सकता है। इसके साथ–साथ, आयोग ने ग्रिड की संयोजकता प्राप्त करने के लिए नए विनियामक प्रावधान भी जारी किए हैं। नई छूट ने ग्रिड संयोजकता के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादकों तथा निजी क्षेत्र के उत्पादकों के बीच भेदभाव समाप्त कर दिया है। ''संयोजकता प्रदान करना, दीर्घावधि पहुंच और अंतर–राज्यिक पारेषण में मध्यकालिक निर्बाध पहुंच का उद्देश्य विभिन्न प्रकार का पारेषण उत्पाद, प्रक्रियाओं का मानकीकरण, समय–सीमा परिभाषित करना तथा विभिन्न श्रेणियों की बाजार कंपनियों की सेवा के समान अवसर सुनिश्चित करना है।

मध्यकालिक निर्बाध पहुंच तीन माह से तीन वर्ष के बीच किसी अवधि के लिए उपलब्ध होगी और इसे मौजूदा पारेषण प्रणाली में पारेषण क्षमता की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। दीर्घावधि पहुंच 12 से 25 वर्ष के बीच की किसी अवधि के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है तथा इसके लिए दीर्घावधि पहुंच प्रदान करने के लिए नई पारेषण क्षमताओं के निर्माण की आवश्यकता होगी। विनियमों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि कम से कम 500 मेगावाट क्षमता वाली थर्मल उत्पादन कंपनी और कम से कम 250 मेगावाट क्षमता वाली हाइड्रो उत्पादन कंपनी, चाहे उनका मालिक कोई भी हो (सरकारी स्वामित्व हो या निजी क्षेत्र), को ग्रिड से सीधे जोड़ा जाएगा और एक समर्पित पारेषण लाइन का निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष के दौरान, सीईआरसी ने निर्बाध पहुंच विनियमों और संशोधनों को अधिसूचित किया। इन संशोधनों को विद्युत क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा निर्बाध पहुंच के महत्व को देखते हुए निर्बाध पहुंच प्राप्त करने में शामिल प्रक्रियाओं को कारगर और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। विनियमों में यह प्रावधान है कि यदि एसएलडीसी दी गई समय–सीमा, जो पहली बार में 7 कार्य दिवस है तथा बाद के अवसरों में 3 कार्य दिवस है, के अनुसार उत्तर नहीं देती है तो एलएलडीसी की सहमति दी गई मान ली जाएगी। एलएलडीसी केवल दो मापदण्ड अर्थात् पारेषण क्षमता की उपलब्धता तथा मीटर आधारभूत ढांचे की उपलब्धता की ही जांच करेगी। इसमें यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि निर्बाध पंहुच का इनकार करने का अन्य कोई आधार नहीं हो सकता। अल्पावधि निर्बाध पंहुच के पारेषण प्रभारों को इस सिद्धांत के साथ तर्कसंगत बनाया गया है कि दीर्घावधि और अल्पावधि प्रयोग अनंतिम रूप से परिवर्तन होना चाहिए। एलएलडीसी द्वारा अब निर्णय के लिए लंबित पड़े आवेदनों, मुक्त सुगम्यता के लिए मना किए गए मामलों के कारणों, लागू पारेषण हानि तथा अन्य संबंधित सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाया गया है।

प्रतिस्पर्धी मार्ग के जरिए पारेषण खण्ड में व्यापक निजी क्षेत्र की भागीदारी उपलब्ध कराने के लिए आयोग ने पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के विनियम जारी किए हैं, जिसमें निजी कंपनी की पात्रता के संबंध में पद्धतियों को पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा बोली के जरिए पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए आधारभूत ढांचे के साथ सामंजस्य बिठाया गया है। अधिकार–प्राप्त समिति, जिसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य द्वारा की जाती है, ने देश में तीन महत्वपूर्ण पारेषण प्रणालियों के लिए बोली प्रक्रिया को पूरा करने में भी सफलता प्राप्त की और तीन निजी क्षेत्र की कंपनियों को सफल घोषित किया गया है।

सीईआरसी ने विद्युत ग्रिड प्रचालनों के लिए अनुसूचित विनिमय (यू.आई.) पर नए विनियमों को अधिसूचित किया है तथा आई.ई.

जी.सी. में संशोधन किया है। यू.आई. व्यवस्था के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य ग्रिड अनुशासन लागू करना है तथा यू.आई. दरों को कंपनियों के लिए तर्कसंगत बनाना है जो विशिष्ट ग्रिड प्रचालन मापदण्डों का पालन करती हैं। इसके साथ–साथ, सीईआरसी ने आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से भारतीय विद्युत ग्रिड के लिए प्रचालनात्मक फ्रिक्वेंसी रेंज को भी कम किया है।

यह स्पष्ट संदेश देते हुए कि यू.आई. विद्युत व्यापार का मार्ग नहीं है, सीईआरसी ने अनुज्ञेय प्रचालन श्रृंखला के अंतर्गत ग्रिड से अधिक बिजली लेने के लिए पहली बार सीमाएं निर्धारित की हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यू.आई. का मुख्य उद्देश्य ग्रिड अनुशासन लागू करना तथा अवांछित यू.आई. विनिमयों के लिए निपटान दरें उपलब्ध कराना है। इस कदम से वितरण सेवा प्रदाता बिजली की नियोजित खरीद करने के लिए बाध्य होंगे तथा इसके द्वारा निवेशकों के लिए ऐसा माहौल पैदा होगा जिससे वे नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना कर सकेंगे। वर्तमान में, कई सेवा प्रदाताओं ने विद्युत परियाजनाओं की स्थापना को आस्थगित किया है तथा उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड से अधिक निकासी करने पर निर्भर है। नए सघन फ्रिक्वेंसी बैंड से उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति गुणवत्ता मिलेगी। उदाहरण के लिए, पानी के पंप डिजाइन की गति के अनुरूप चलेंगे और अधिक आउटपुट देंगे। आयोग निकट भविष्य में प्रचालन श्रृंखला की आगे और समीक्षा करना चाहता है।

यू.आई. दर विक्टर का भी पुनर्गठन किया गया है। अब सामान्य अनुज्ञेय सीमा में यू.आई. पर लागू दरें (अनुसूची के अनुसार अधिक निकासी और अल्प निकासी) तथा उन कंपनियों के लिए लागू दरें, जो अत्यधिक निकासी करती हैं और ग्रिड सुरक्षा पर आश्रित रहती हैं, के बीच अंतर होता है। दूसरे राज्यों में, यू.आई. व्यवस्था अब सामान्य प्रचालक और आम तौर पर अधिक निकासी करने वाली कंपनी के बीच अंतर करती हैं।

विभिन्न राज्य उपयोगिताओं द्वारा लगातार ग्रिड़ अनुशासनहीनता पर कड़ा दृष्टिकोण अपनाते हुए, सीईआरसी ने सम्यक विधिक प्रक्रिया से गुज़रने के बाद, तीन राज्य उपयोगिताओं पर दण्ड लगाने का आदेश दिया है (इन्हें आस्थगित या रद्द कर दिया गया था)। ये दण्ड आई.ई.जी.सी. उपबंधों का उल्लंघन करने पर लगाए गए थे, जिसमें घटकों (राज्य सेवा प्रदाताओं) से ग्रिड फ्रिक्वेंसी के 49 हर्ज से नीचे गिरने पर अधिक निकासी की कटौती करने के लिए मैनुअल लोड कटौती करने की अपेक्षा की जाती है। इस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को सीईआरसी द्वारा 1.04.2009 से बढ़ाकर 49.2 हर्ज किया गया है।

विनियामकों का फोरम, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष, सीईआरसी द्वारा की जाती है और इसके सभी सदस्य राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) के भी सदस्य हैं, इस बात पर सहमत हुए कि ग्रिड से अत्यधिक निकासी के लिए वितरण उपयोगिताओं पर लगाए गए यू.आई. प्रभार की 1 अगस्त, 2009 से उपभोक्ताओं से वसूली नहीं की जाएगी।

फोरम ने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की इस सिफारिश पर विचार किया है कि विनियामकों को ऐसी पद्धति विकसित करनी चाहिए कि जब वार्षिक प्रतिलाभ दरें प्रस्तुत की जा रही हों, तब यू.आई. प्रभारों के रूप में लगाए जाने वाले जुर्माने का अलग से और स्पष्ट उल्लेख किया जाए तथा ऐसे भुगतान, जो जुर्माने की प्रकृति के हैं, को बिजली खरीदने की मद में नहीं दर्शाया जाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में उस विशिष्ट वितरण कंपनी या फर्म की अदक्षता या अयोग्यता दर्शाता है।

सिफारिश पर विचार–विमर्श करने के बाद, एफ.ओ.आर. आम सहमति से इस नतीजे पर पहुंचा कि उस अवधि, जिसके दौरान फ्रिक्वेंसी 49.2 हर्ज से नीचे हो, तब ग्रिड से अधिक निकासी हेतु सी.ई.आर.सी. के यू.आई. विनियमों के अंतर्गत उपयोगिताओं पर लगाए गए अतिरिक्त यू.आई. प्रभारों को 1 अगस्त, 2009 से वितरण उपयोगिताओं को वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस निर्णय की सूचना केन्द्रीय सरकार तथा सभी एस.ई.आर.सी. को आवश्यक कार्रवाई हेतु दी गई है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सी.ई.आर.सी. ने विद्युत बाजार विनियम, 2010 जारी किए हैं। विद्युत अधिनियम का उद्देश्य विद्युत उद्योग का विकास करना, उसमें निहित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए अनुकूल उपाय करना है।

इन विनियमों के प्रावधानों से अब विद्युत से संबंधित विभिन्न संविदाओं में संव्यवहार अधिशासित होगा। ये विनियम विद्युत से

संबंधित विभिन्न प्रकार के अंतर–राज्यिक संविदाओं पर लागू होंगे, चाहे ये संविदाएं प्रत्यक्ष रूप से विद्युत विनिमय या अन्य विनिमय पर विद्युत व्यापारियों के माध्यम से दी जाएं। विनिमयों पर विद्युत संबंधी संविदाएं देने के लिए आयोग से अनुमति लेनी होगी। ये विनियम संविदाओं के लिए कुछ दिशा–निर्देश प्रदान करते हैं जिन पर विद्युत व्यापारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिन पर विस्तृत पूंजी ढांचे के अनुसार अनुपालन किया जाएगा तथा रिंग फैंसिंग, परस्पर प्रक्रिया हटाने तथा व्यापक बाजार संस्थानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है। विद्युत विनियम को अपने नियमों और उप–कानूनों को तीन माह की अवधि में नए विनियमों के साथ पुनः सामंजस्य स्थापित करना है। तथापि, नए पूंजीगत ढांचे के साथ पुनः सामंजस्य स्थापित करने के लिए तीन वर्ष की अवधि दी गई है। विनियमों में प्रभावी बाजार, मॉनिटरिंग और निगरानी रखने के लिए विस्तृत उपबंध किए गए हैं। इन विनिमयों में आंतरिक व्यापार करने पर रोक लगाने और निगरानी रखने वालों की सुरक्षा के लिए भी विशेष उपबंध किए गए हैं। इनमें आंतरिक व्यापार को प्रतिषिद्ध करने तथा बेहतर व्यापार करने वालो को संरक्षित करने के विनिदष्ट उपबंध है।

विद्युत अधिनियम की धारा 66 में सीईआरसी को विनियमों के जरिए तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार विद्युत (व्यापार सहित) क्षेत्र में बाजारों के विकास को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इन विनियमों को व्यापक जन परामर्श और जन सुनवाई के बाद, सी.ई.आर.सी. के सांविधिक अधिदेश की पूर्ति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

सी.ई.आर.सी. ने विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत में अंतर–राज्यिक व्यापार के लिए व्यापार मार्जिन निर्धारित करने के लिए नए विनियम जारी किए हैं।

सी.ई.आर.सी. ने पहले 2006 में 4 पैसा प्रति इकाई व्यापार मार्जिन निर्धारित किया था। पिछले विनियमों की व्यापारियों द्वारा अधिक जोखिम को देखते हुए, समीक्षा की गई थी, जो बिजली के कीमतों का भी एक कार्य है। सी.ई.आर.सी. ने चूक जोखिम की मात्रा का आकलन करने, देरी से भुगतान होने के जोखिम, संविदा रद्द करने तथा व्यापार मार्जिन पर नई अधिकतम सीमा लागू करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन कराया था। आयोग ने प्रस्तावों पर सार्वजनिक सुनवाई भी की।

अभिनव उत्पादों की सुविधा प्रदान करने और नई क्षमता वृद्धि के लिए संविदाएं देने हेतु व्यापार मार्जिन से दीर्घावधि करार को छूट दी गई है, जिसमें क्रय–विक्रय में अधिक जोखिम रहता है। इसके अलावा, दीर्घ–कालिक संविदाओं पर व्यापार मार्जिन, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी, जिनमें आपूर्तिकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा के जरिए बिजली के कीमतों का पता लगाने की परिकल्पना की गई थी।

यदि बिजली का बिक्री मूल्य 3 रुपए प्रति यूनिट से कम या बराबर है तो व्यापार मार्जिन 4 पैसा प्रति यूनिट से अधिक नहीं होगा। यदि बिजली का बिक्री मूल्य 3 रुपए प्रति यूनिट बढ़ जाता है तो व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा 7 पैसा प्रति यूनिट होगी। यदि संव्यवहार में एक से अधिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारी शामिल हैं तो व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा में सभी व्यापारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रभारित व्यापार मार्जिन शामिल होगा। दूसरे शब्दों में, व्यापारी विभिन्न संव्यवहारों के जरिए बिजली में हेराफेरी करके अधिकतम सीमा को परिवर्तित नहीं कर सकते।

अभी तक नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मामलों को राज्य स्तर पर निपटाया जा रहा था। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य–योजना में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय अपेक्षा को देखते हुए, सी.ई.आर.सी. ने, आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली में काफी वृहत निवेश करने में नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों को अधिसूचित करके एक प्रमुख विनियामक कदम उठाया है।

टैरिफ नीति में ईआरसी को विशेषकर ऐसे मामलों, जहां ऐसी उपाप्ति प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए नहीं होती, में बनाए जा रहे गैर–परंपरागत स्रोतों से मूल्य–निर्धारण गैर–फर्म विद्युत के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित करने का अधिदेश दिया गया था।

संपूर्ण टैरिफ अवधि के लिए पूंजीगत लागत सनियमों तथा टैरिफ अपफ्रंट निर्धारित करना नए विनियमों की दो मुख्य विशेषताएं हैं। विनियम विभिन्न नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाओं के लिए मानकीय पूंजी लागत उपलब्ध कराते हैं।

इन पूंजी लागतों में संगत वृद्धि शामिल करते हुए प्रतिवर्ष संशोधन किया जाता है। इन मानदण्डों की अगली नियंत्रण अवधि, जो तीन वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ होगी, में समीक्षा की जाएगी। तथापि, इन विनियमों में इस बात को देखते हुए कि इन प्रौद्योगिकियों के तेजी से घटने की संभावना है, प्रत्येक वर्ष सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत मानदण्डों की समीक्षा करने के लिए सार्मथ्यकारी उपबंध हैं।

तथापि, इन विनियमों के अंतर्गत परियोजना के लिए लागू टैरिफ 13 वर्ष की संपूर्ण टैरिफ अवधि में लागू होगा। इन प्रौद्योगिकियों के लिए अपेक्षित विशिष्ट विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, सौर ऊर्जा के लिए टैरिफ अवधि को 25 वर्ष तथा 5 मेगावाट से कम के लघु हाइड्रो ऊर्जा के लिए 35 वर्ष रखा गया है। इस संपूर्ण टैरिफ अवधि के लिए अपफ्रंट टैरिफ की यह विशेषता निश्चित रूप से विनियामक निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी पहल होगी।

इन विनियमों में टैरिफ सिद्धांत का उद्देश्य ऋण की अदायगी की अवधि के दौरान नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाओं को अधिमानी टैरिफ प्रदान करना है। वरीयता मुख्य तौर पर इक्विटी पर प्रतिलाभ, कम ऋण अदायगी अवधि, तथा ऋण पर उच्च मानकीय ब्याज को दी गई है। तत्पश्चात, इन परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धी मार्ग के जरिए बिजली बेचने की अपेक्षा की जाती है। अपनाया गया टैरिफ मॉडल टैरिफ की फ्रंट लैंडिंग से बचने के लिए एक स्तरीय टैरिफ है जबकि इसके साथ–साथ यह पर्याप्त परियोजना आंतरिक प्रतिलाभ दर (आई.आर.आर.) भी सुनिश्चित करती है। इन विनियमों में यह भी उपबंध है कि सौर ऊर्जा, जो अपेक्षाकृत एक विकासशील प्रौद्योगिकी है तथा नगरपालिका अपशिष्ट आधारित उत्पादन जैसी अन्य नई प्रौद्योगिकियां हैं, में परियोजना विकासकर्ता किसी परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ के लिए आयोग से भी संपर्क कर सकता है।

सी.ई.आर.सी. ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने और विद्युत बाजार का विकास करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र संबंधी विनियम (आर.ई.सी.) भी अधिसूचित किए हैं। आर.ई.सी. के ढांचे से देश में नवीकरणीय ऊर्जा (आर.ई.) क्षमता वृद्धि को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलने की संभावना हैं।

इस विनियम से, राष्ट्रीय स्तर पर आर.ई.सी. की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। आर.ई.सी. उत्पादकों के पास दो विकल्प होंगे – या तो वे संबंधित विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नियत अधिमानी टैरिफ पर नवीकरणीय ऊर्जा बेचें या अलग से आर. ई. उत्पादन से संबद्ध बिजली उत्पादन को बेचें और पर्यावरण का पालन करें। दूसरा विकल्प चुनने पर पर्यावरण संबंधों को आर.ई.सी. के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत संघटक की कीमत, अल्पावधि विद्युत खरीद सहित वितरण कंपनी की भारित औसत विद्युत खरीद लागत के बराबर होगी लेकिन इसमें नवीकरणीय विद्युत लागत शामिल नहीं होगी। सी.ई.आर. सी. द्वारा अभिहित केन्द्रीय अभिकरण आर.ई. उत्पादन को आर.ई.सी. जारी करे। आर.ई.सी. की कीमत, आर.ई. स्रोतों से ग्रिड में दी गई 1 मेगावाट बिजली के बराबर होगी। आर.ई.सी. का आदान–प्रादान न्यूनतम कीमत तथा सी.ई.आर.सी. द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाने वाली प्रविरत (अधिकतम) कीमत के भीतर सी.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित पावर एक्सचेंजों पर ही किया जाएगा। कीमत के भीतर वितरण कंपनियां को अपनी नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) को पूरा करने के लिए निर्बाध पहुंच वाले उपभोक्ताओं और कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों को आर.ई.सी. खरीदने का विकल्प होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में पूर्ण खपत में से आर.ई. के न्यूनतम स्तर की खरीद के लिए अधिनियम के अंतर्गत एस.ई.आर.सी. द्वारा एक आर.पी.ओ. की बाध्यता लागू की गई थी।

इसी संबंध में, आर.ई.सी. की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है। इस अवधारणा से आर.ई. स्रोतों की उपलब्धता तथा अपने आर. पी.ओ. को पूरा करने की कंपनियों की बाध्यता की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को दूर करने की अपेक्षा की गई है। इससे उन राज्यों में आर.ई. क्षमता वृद्धि को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जिनके अंतर्गत आर.ई. उत्पादन की संभावना है क्योंकि आरईसी ढांचा ऐसे उत्पादनकर्ताओं को अपनी लागत वसूल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बाजार का सृजन करने की अपेक्षा करता है।

भारत में पारेषण कीमत तंत्र में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, केविविआ ने संयोजन पारेषण टैरिफ ढांचा विकसित करने के लिए सार्वजनिक परामर्श शुरू किया है, जो छूट और दिशा संवेदी होगा। नई पारेषण कीमत व्यवस्था से

मौजूदा कीमत प्रणाली में पैनकेकिंग प्रभाव के कारण विद्युत बाजारों में सामना की जा रही विकृतियां दूर होंगी।

बिजली की लगातार कमी को देखते हुए, प्रतिस्पर्धी अल्पकालिक विद्युत बाजारों का विकास एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है। हालांकि बाजार को आकर्षक नए निवेश के लिए एक साधन के रूप में देखा जा रहा है, अल्पावधि व्यापार में बिजली के कीमत में वृद्धि आयोग की चिंता का कारण बना हुआ है। पिछले वर्ष बाजार में बढ़ते मूल्यों पर लगाम लगाने के लिए 45 दिनों की अवधि के लिए मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था। सी.ई.आर.सी. द्वारा यह आदेश 8 सितंबर 2009 को जन सुनवाई तथा पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियां/सुझावों/आपत्तियों पर विचार करने के बाद पारित किया गया था। इस विनियामक हस्तक्षेप का प्रारंभ अल्पावधि विद्युत मूल्यों में तीव्र वृद्धि और बढ़ती साप्ताहिक मूल्य अस्थिरता पर नज़र रखने पर आधारित था। आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि आयोग क्षेत्र में निवेशकों के लिए उपयुक्त प्रतिलाभ सुनिश्चित करने हेतु अपनी संवैधानिक बाध्यता के प्रति समान रूप से जागरूक है तथा यह सुनिश्चित करता है कि उनके दीर्घावधि हित, भावी निवेश योजनाएं और उपयुक्त प्रतिलाभ दर ऐसी अन्य विचारधाराएं हैं जिन्हें ऊपर उल्लिखिति सीमा निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कीमत सीमा आगे के दिन के संव्यवहारों के लिए तथा 45 दिनों की अल्पावधि के लिए ही लागू की जा रही है।

अल्पकालिक बाजारों को बिजली का प्रवाह अनेक राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा सृजित बाधाओं के कारण सीमित किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने अपनी सीमाओं से परे विद्युत के प्रवाह को रोकने के लिए सांविधिक आदेश भी जारी किए हैं। ऐसे मुद्दों का विनियामकों द्वारा सीमित अवधि तक ही समाधान किया जा सकता है। इसलिए, केन्द्रीय आयोग ने, केन्द्रीय सरकार को इन मुद्दों का कानूनी रूप से और राज्यों से परामर्श करके, समाधान करने की सलाह दी है।

5. उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

5-1 miHkkDrkvk dk ykHk

केविविआ के मार्गदर्शी सिद्धांतों में से एक नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना है जिनमें वे उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता शामिल हैं जो सभी भागीदारों के प्रति उचित, पारदर्शी और तटस्थ रवैया अपनाते हैं। केविविआ द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहल नीचे दी गई है:

¼d½ fuck/k igp

- निर्बाध पहुंच की सुविधा दी गई है, जिसके खरीददार अपने आपूर्तिकर्ताओं का चयन करेंगे।
- निर्बाध पहुंच से इंकार करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है।
- निर्बाध पहुंच बाजार में मूल्य सीमा: आयोग ने मूल्य में स्थिति की मांग को पुनः तरजीह दी है तथा इसमें उपभोक्ताओं के हितों तथा क्षेत्र में निवेश संवर्धन की मांग में संतुलन बनाने की आवश्यकता पर एक विचारित दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा सितंबर 2001 में 45 दिनों की अवधि के लिए अल्पावधि बाजार के लिए 8 रुपए/कि.वाट का मूल्य–नियंत्रण निर्धारित किया गया है।

¼[k½ fxM vu'kklu

- ग्रिड के स्थिर और सुरक्षित प्रचालन की सुविधा दी गई है।
- ग्रिड अनुपालन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।
- फ्रिक्वैंसी बैंड को सख्त बनाने के लिए आईईजीसी में संशोधन किया गया है जिससे उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होने की संभावना है।

5-2 {k= dk fodkl

क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा की गई पहल नीचे दी गई है:

¼d½ vkbbthlh rFkk ;vkb fofu;ek e l'kk/ku

- फ्रिक्वैंसी बैंड को सख्त बनाने और द्विपक्षीय व्यापार और पावर एक्सचेंजों के जरिए अल्पावधि खरीद के लिए व्यापार प्लेटफार्म के रूप में यू.आई. पर निर्भरता रहेगी। इससे ग्रिड को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

¼[k½ uohdj.kh; Åtk VfjQ fofu;e rFkk vkjblh <kpk

- आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए व्यापक टैरिफ विनियम जारी किए हैं जो प्रतिलाभ सुनिश्चित करते हैं तथा सौर और लघु हाइड्रो ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में पूर्ण उपयोगी जीवन–काल के लिए ऋण आदायगी अवधि के दौरान पूरी लागत की वसूली करते हैं। यह सौर परियोजनाओं के लिए दीर्घ टैरिफ दृश्यता भी उपलब्ध कराते हैं। इससे हरित ऊर्जा का विकास होने की संभावना है।

- आयोग ने आरईसी लागू की है, जो प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अंततः आर.ई. स्रोतों को मुख्य धारा में लाने की एक प्रणाली है। नए ग्रिड कोड से ग्रिड सहित आर.ई. स्रोतों का व्यापक एकीकरण प्राप्त होगा।

¼x½ ikj"k.k {k=%

- पारेषण व्यवसाय में सुलभ प्रवेशः सदस्य, सीईआरसी निजी क्षेत्र भागीदारी के लिए पारेषण लाइनों का चयन करने के लिए सशक्त प्राप्त समिति की अध्यक्षता करता है। तीन परियोजनाएं का चयन किया हैं। तीन परियोजनाएं आर.एफ.पी. चरण में हैं।
- पारेषण अनुज्ञप्ति विनियमः सीईआरसी ने प्रतिस्पर्धी मार्ग द्वारा पारेषण खण्ड में व्यापक निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम अधिसूचित किए है। प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए चयनित कंपनी बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय/तकनीकी अपेक्षाओं के अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की पात्र हैं।
- अंतर–राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्ध–कालिक पहुंच तथा मध्य कालिक निर्बाध पहुंच संबंधी विनियम उत्पादन केन्द्रों की संयोजकता तथा थोक उपभोक्ताओं की वास्तविक सीमा परिभाषित की गई है। मध्य कालिक निर्बाध पहुंच के उपबंध लागू किए गऐ है। समर्पित लाइनों के अनुसार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच भेदभाव समाप्त हो गया है। इससे क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

¼?k½ ifrLi/kkZ dk c<+kok

- व्यापार द्वारा निर्बाध पहुंच को सुकर बनानाः विद्युत व्यापार वितरण उपयोगिताओं के साथ अधिशेष बिजली का निपटान करने और अल्पावधि शीर्ष मांग को पूरा करने में संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में सहायता करता है। सीईआरसी और एसईआरसी को अंतर–राज्यिक और अंतः राज्यिक व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की शक्तियां हैं सी.ई.आर.सी ने 43 अन्तर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञाप्तियां प्रदान की हैं जिनमें से 41 लाइसेंस 31 मार्च 2009 तक विद्यमान थे।
- निर्बाध पहुंच क्रय–विक्रयः अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच संबन्धी विनियम तथा सीईआरसी द्वारा जारी विद्युत में अंतर–राज्यिक व्यापार संबंधी विनियम से विद्युत को अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत स्थानांतरित करने में मदद मिली है। अंतर–राज्यिक पारेषण से संबंधित निर्बाध पहुंच संव्यवहार 2004–05 में 778 की तुलना में बढ़कर 2009–10 में 18,128 हो गया है।

¼M-½ cktkj fodkl%

- अल्पकालिक संव्यवहार वर्ष 2008–09 की अवधि के दौरान कुल बिजली उत्पादन में बिजली के अल्पावधि क्रय–विक्रय की मात्रा 6.55 प्रतिशत से 8.57 प्रतिशत तक भिन्न–भिन्न थी।
- पॉवर एक्सचेंजः दो पॉवर एक्सचेंज, अर्थात् इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स), नई दिल्ली तथा पॉवर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल), मुंबई प्रचालन में है, जिन्हें क्रमशः 27 जून, 2008 और 22 अक्तूबर, 2008 को शुरू किया गया था। पॉवर एक्सचेंज के जरिए किए गए संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा वर्ष 2009–10 के दौरान आईईएक्स में 6.17 बीयू तथा पीएक्सआई में 0.92 बीयू थी। वर्ष 2009–10 के दौरान व्यापार लाइसेंस तथा बिजली के आदान–प्रदान के जरिए कुल मात्रा 33.91 बीयू था। आयोग ने नेशनल पॉवर एक्सचेंज लिमिटेड को पावर एक्सचेंज स्थापित करने तथा उसका प्रचालन करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन भी प्रदान कर दिया है।

4. विनियामक प्रक्रियाएं और कार्यवाहियाँ

केन्द्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है–

1. विनियमों को अधिसूचित करता है;
2. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है–
   - टैरिफ निर्धारित करना
   - अनुज्ञप्ति जारी करना
   - याचिकाओं की पुनर्विलोकन और विविध याचिकाएं।

6-1 fofu;ek dk fy, ifØ;k

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर, जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारिवृन्द स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से टीका–टिप्पणी और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। टीका–टिप्पणी की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है। प्राप्त टीका–टिप्पणियों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार–विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किया जाता है। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रास्य विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्यवाही की जाती है इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका–टिप्पणी मांगने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। टीका–टिप्पणियों की प्राप्ति और उन पर विचार–विमर्श करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।

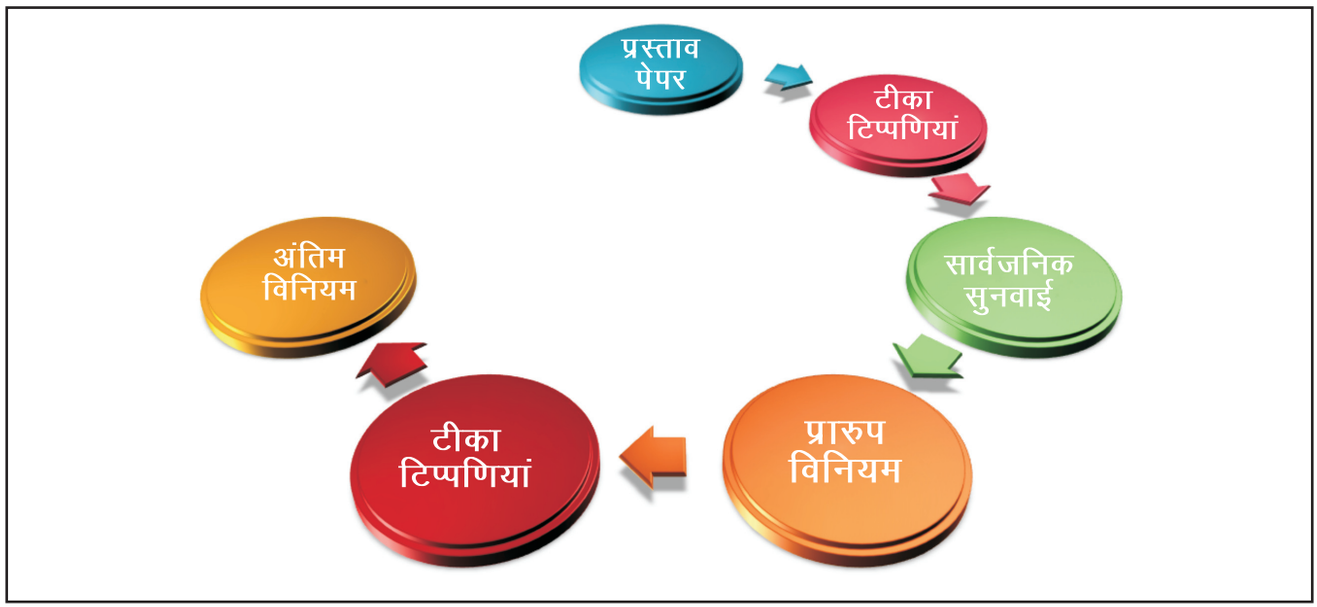

vkdfr 1- fofu;ek dk cukus dh ifØ;k

6-2 ;kfpdkvksa ls lacf/kr vkn'k dh fy, izfØ;k

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं–

- उत्पादन और पारेषण (ट्रांसमिशन) के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;
- विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण और अंतर–राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने;

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं–

- विविध याचिकाएं
- पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं की प्रति की सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदक से, टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइड पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा की जाती है। तत्पश्चात्, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी को, आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अुनमति है।

6-3 VfjQ vo/kkj.k dju dh izfØ;k vkj fl)kUr

के.वि.वि.आ. के सृजन के पूर्व, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात् एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी., एन.एल.सी. और निपको का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। के.वि.वि.आ. को, अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात् आयोग ने टैरिफ के निबंधनों और शर्तों का तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2001–04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम 2003, (जिससे अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात् आयोग ने मार्च, 2004 में और पांच वर्ष की अवधि, अर्थात् 2004–09 के लिए नए टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में राज्य–वार उत्पादन टैरिफ तथा पारेषण टैरिफ लाइन या प्रणाली–वार निर्धारण का उपबंध है।

टैरिफ समय–समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदण्ड और तकनीकी मानदण्ड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आरंभिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक।

थर्मल केन्द्रों के परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं। टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ में लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधार ईंधन कीमत और (सकल कैलोरी मूल्य) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न–भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि ये केन्द्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और विक्रेता केन्द्रों से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरूपयोग नहीं करते हैं।

7. वर्ष 2009–10 के दौरान किए गए क्रियाकलाप

7-1 fof/kd dk;lokfg;k

वर्ष 2009–10 के दौरान, 155 याचिकाओं को गत वर्ष 2008–09 से आगे ले जाया गया। इसके अलावा समीक्षाधीन वर्ष 1.4.2009 से 31.03.2010 के दौरान 377 याचिकाएं दायर की गई जिससे याचिकाओं की कुल संख्या बढ़कर 532 हो गई। इनमें से 255 याचिकाएं वर्ष 2009–10 के दौरान निपटा दी गई। इसके अतिरिक्त, 8 अंर्तवर्ती आवेदनों को गत वर्ष 2008–09 से आगे ले जाया गया। इसके अलावा, 57 अंर्तवर्ती आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 42 आवेदनों का निपटा दिया गया है। याचिकाओं का ब्यौरा अनुबंध–I में दिया गया है।

7-2 o"k 2009&10 e tkjh ie[k fofu;e

¼d½ ^^vUrj&jkfT;d ikj"k.k e l;kstdrk] nh/kdkfyd igp vkj e/;&dkfyd fuck/k igp inku djuk** lc/kh fofu;e½

स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, आयोग ने 7 अगस्त, 2009 को ''अन्तर–राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यमकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने'' के संबंध में विनियम अधिसूचित किए। इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य निर्बाध पहुंच से संयोजकता अलग करना, विभिन्न तरीके के पारेषण उत्पादों को उपलब्ध कराना, प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना, समय–अनुसूचियां निर्धारित करना तथा बाजार प्रचालकों की विभिन्न श्रेणियों को कार्य–समान अवसर सुनिश्चित करना है।

इन विनियमों में अन्तर–राज्यिक पारेषण में संयोजकता प्राप्त करने, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्य–कालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने के लिए पद्धतियों और अपेक्षाओं का प्रावधान है। इन विनियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः

(1) कम से कम 250 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाला कोई भी बिजली उत्पादन संयंत्र और कम से कम 100 मेगावाट भार वाला कोई भी उपभोक्ता अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) ग्रिड से संयोजित प्रतिष्ठान अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में मध्य–कालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक पहुंच में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) मध्य–कालिक निर्बाध पहुंच तीन माह से तीन वर्ष के बीच की किसी भी अवधि के लिए उपलब्ध होगी और यह मौजूदा ट्रांसमिशन प्रणाली में ट्रांसमिशन क्षमता की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएगी मध्य–कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली के किसी भी संवर्धन की परिकल्पना नहीं की गई है।

(4) कोई भी उपयोगिता, जिसे मध्य–कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की गई हो, तीस दिन का नोटिस देकर या 30 दिन की अवधि के ट्रांसमिशन प्रभारों का भुगतान करके सुगम्यता छोड़ सकता है।

(5) दीर्घकालिक सुगम्यता 12 से 25 वर्ष के बीच की किसी भी अवधि के लिए प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने के लिए नई ट्रांसमिशन क्षमताओं के निर्माण की आवश्यकता हो सकती है। दीर्घकालिक पहुंच के संबंध में महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन प्रारंभ में उन क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए किया जा सकता है जिनमें आपूर्ति की जानी है या बिजली ले जाई जानी है। उत्पादक को दीर्घकालिक पहुंच शुरू होने से कम से कम तीन वर्ष पूर्व उन

राज्यों को निश्चित रूप से तय करना होगा जिनमें आपूर्ति की जानी है ताकि ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता आवश्यक अंतिम छोर की संयोजकता का निर्माण कर सके।

ख. 6 माह की अवधि का नोटिस देकर दीर्घकालिक पहुंच की अवधि को 25 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है।

ग. बिना किसी वित्तीय देयता के दीर्घकालिक पंहुच छोड़ने के विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकेगा बशर्ते कि दीर्घकालिक पंहुच का कम से कम 12 वर्ष तक उपयोग किया गया हो और यह पंहुच छोड़ने से कम से कम एक वर्ष पहले अग्रिम नोटिस दिया गया हो।

घ. विनियमों में एक वर्ष नोटिस पर 12 वर्ष से पहले भी पंहुच छोड़ने का प्रावधान है परन्तु यदि यह संभावना हो कि वापिस की जा रही ट्रांसमिशन क्षमता अप्रयुक्त रहेगी तो विनिर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान की मांग की जा सकती है। ऐसे मामले में संबंधित उपयोगिता को 12 वर्ष से कम की शेष अवधि के लिए अनुमानित ट्रांसमिशन प्रभारों के निवल वर्तमान मूल्य का दो तिहाई भाग अदा करना होगा।

इन विनियमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि स्वामित्व का ध्यान किए बिना (चाहे सरकार के स्वामित्वाधीन हो या निजी क्षेत्र) कम से कम 500 मेगावाट क्षमता की थर्मल उत्पादन कम्पनी और कम से कम 250 मेगावाट क्षमता की हाइड्रो उत्पादन कम्पनी को सीधे ग्रिड से जोड़ा जा सकता है और इसके लिए अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली के निकटतम पूलिंग केन्द्र के पास समर्पित पारेषण लाइन का निर्माण करना आवश्यक नहीं होगा।

इन विनियमों ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवेदन फीसों तथा ऐसे आवेदनो के निपटान की समय–अनुसूचियां मानकीकृत कर दी हैं। संयोजकता मध्य–कालिक, निर्बाध पंहुच या दीर्घकालिक पंहुच को आवेदन केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) को किया जाएगा।

सीटीयू को 60 दिनों की अवधि के भीत्तर इन विनियमों के कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत पद्धति तैयार करने का अधिदेश दिया गया है जिसके दौरान यह प्रतिष्ठान एक माह का नोटिस देकर स्टेकहोल्डरों से परामर्श करेगा। सीटीयू की विस्तृत पद्धति को आयोग द्वारा दिनांक 31.12.2009 के आदेश के जरिए अनुमोदित किया गया और ये विनिमय 01.01.2010 से प्रवृत्त हुए।

¼[k½ ^okLrfod le; ipkyu e ldyu voefDr d mik;** lc/kh fofu;e½

यह देखा गया था कि अनुसूची से वास्तविक प्रापण/संवर्धन में परिवर्तन किए जाने के कारण ट्रांसमिशन लाइनों की सुरक्षित प्रचालन सीमा का उल्लंघन किया जा रहा था, जिससे आपूर्ति संकुलित हो रही थी। अनुसूचित प्रभार इस समस्या का हल नहीं थे, जैसा कि 50 हर्टज के या इससे कम को अनुसूचित विनिमय प्रभार कम हैं, अतः अधिक प्रापण/अल्प संवर्धन को कम करने के लिए इस फ्रिक्वेंसी पर अधिक आहाक/अल्प संवर्धक कम्पनियों के लिए यह कोई वाणिज्यिक बाधा नहीं थी, हालांकि प्राप्तकर्ता और प्रेषक क्षेत्रों/प्रदेशों के बीच पारेषण कारीडोर में आपूर्ति संकुलन की स्थिति पैदा हो सकती है।

इस स्थिति से निपटने के लिए संकुलित पारेषण कारीडोर के जरिए बहुत कम फ्रिक्वेंसी या 50 हटेज से थोड़ा कम फ्रिक्वेंसी पर ग्रिड से ली गई बिजली के प्रभार इतने ज्यादा तय कर दिए जाने चाहिए कि ग्रिड से अधिक प्रापण का हौसला न किया जा सके। इसी प्रकार, संकुलन के मामले में, प्राप्तकर्ता क्षेत्र में अल्प संवर्धन, जिससे बिजली की कमी हो रही थी, का तरीका अपनाए जाने को रोकने की आवश्यकता है। प्रणाली के स्थायीत्व व सुरक्षा के परम उद्देश्य से यह सुनिश्चित करने के लिए, संकुलन प्रभार लगाए जाने का प्रावधान है जिससे उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करने का प्रोत्साहन मिलेगा और कम फ्रिक्वेंसी में प्राप्तकर्ता क्षेत्र में ग्रिड से अधिक प्रापण या अल्प संवर्धन या प्रेषक क्षेत्र में उच्च फ्रिक्वेंसी में अधिक संवर्धन के मामलों को रोका जा सकेगा।

तदनुसार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 24 दिसम्बर, 2009 को अधिसूचित किए गए। तारीख 17.03.2010 के आदेश के जरिए संकुलन प्रभार की दरें अलग से अधिसूचित की गई।

¼x½ ^^O;kikj ekftZu dk fu/kkZj.k** lac/kh fofu;e ½

आयोग ने दिनांक 11.1.2010 की अधिसूचना के जरिए केविविआ (व्यापार मार्जिन का नियतम) विनियम, 2010 जारी किए हैं। इन विनियमों के अनुसार, लाइसेंस धारक बिक्री मूल्य–प्रति के डब्ल्यूएच 3 रू. से अधिक होने पर प्रति के उब्ल्यू एच 7 पैसे और बिक्री मूल्य प्रति के डब्ल्यूएच 3 रू. से कम या इसके बराबर होने पर प्रति के डब्ल्यूएच 4 पैसे से अधिक का मुनाफे वसूल नहीं करेगा। इस मार्जिन में अनुसूचित ऊर्जा, निर्बाध पहुंच और पारेषण हानि के प्रभार छोड़कर सभी प्रभार शामिल हैं। व्यापार मुनाफा बिजली की अनुसूचित मात्रा पर प्रमारित किया जाएगा और यह केवल अन्तर–राज्यिक व्यापार संबंधी अल्पकालिक क्रय–अल्पकालिक विक्रय संविदाओं पर लागू होगा।

व्यापार मार्जिन उत्पादक व वास्तविक खरीददार के बीच संव्यवहार की कड़ी में शामिल सभी व्यापारियों द्वारा वसूल किए जाने वाले व्यापार मार्जिन का संचयी मूल्य होगा अर्थात् व्यापारी से व्यापारी के बीच कई लेनदेन के मामले में व्यापार मार्जिन विनिर्दिष्ट व्यापार मुनाफे की सीमा से अधिक नहीं होगा।

¼?k½ ^^uohdj.kh; ÅtkZ L=ksrksa ls VSfjQ vo/kkj.k ds fuca/ku ,oa 'krsZa** lac/kh fofu;e ½

आयोग ने 16 सितम्बर, 2008 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ अवधारण करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 (जिन्हें आगे ''आरई टैरिफ विनियम'' कहा गया है) अधिसूचित किए हैं। ये विनियम, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के सह उत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत विनियामक आयोगों को दिए गए सांविधिक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित किए गए हैं। इन विनियमों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों की निम्नलिखित श्रेणियों के टैरिफ का अवधारण करने के निबंधन तथा शर्ते या प्रकिया का उपबंध है।

(1) पवन ऊर्जा परियोजना

(2) लघु हाइड्रो परियोजना

(3) जैव समूह ऊर्जा परियोजना

(4) गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन संयंत्र

(5) सौर फोटो–वॉल्टिक (पीवी) और सौर थर्मल ऊर्जा परियोजनाएं

इन विनियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- नए विनियमों की दो मुख्य विशेषताएं पूंजीगत लागत संनियम विनिर्दिष्ट करना और समग्र टैरिफ अवधि के लिए अग्रिम टैरिफ निर्धारित करना। विनियम में विभिन्न नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाओं के लिए की पूंजी लागतों का उपबंध किया गया हैं। संगत लागत वृद्धि समाविष्ट करने के लिए इन पूंजीगत लागतों को प्रत्येक वर्ष संशोधित किया जाना है। आगामी नियन्त्रण अवधि में संनियमों की भी समीक्षा की जाएगी जो 3 वर्ष की अवधि के बाद शुरू होगी। तथापि, विनियमों में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक वर्ष सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजीगत लागत संनियमों की समीक्षा करने के अधिकार देने वाल उपबंध हैं जिससे कि इन प्रौद्योगिकियों की लागत अधिक तेजीसे कम हो।
- इन विनियमो के आधीन परियोजना के लिए अनुज्ञात टैरिफ संपूर्ण टैरिफ अवधि, अर्थात् 13 वर्षों के लिए लागू होगा। सौर ऊर्जा के लिए टैरिफ अवधि 25 वर्ष तथा 5 मेगावाट से कम लघु हाइड्रो के लिए 35 वर्ष रखी गई है और ऐसा इन प्रौद्योगिकियों के लिए अपेक्षित विशेष महत्व को ध्यान में रखकर किया गया है। समग्र टैरिफ अवधि के लिए अग्रिम टैरिफ की यह अपेक्षा विनियामक निश्चितता सुनिश्चित करने की प्रमुख पहल है।
- इन विनियमों में टैरिफ की इस संकल्पना का उद्देश्य ऋण अदायगी की अवधि के दौरान नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाओं को अधिमानी टैरिफ देना है। यह अधिमान मुख्तः इक्विटी पर लाभ, कम ऋण अदायगी अवधि, ऋण पर अधिक मानक ब्याज के सन्दर्भ में दिया गया है। इसके बाद, इन परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धी मार्ग के माध्यम से बिजली बेचने की आशा की जाती है।

- अंगीकृत टैरिफ मॉडल समानीकृत टैरिफ है ताकि पर्याप्त परियोजना आईआरआर सुनिश्चित करने के समय टैरिफ की फ्रंट लोडिंग से बचा जा सके।
- इन विनियमों में यह भी प्रावधान है कि सौर ऊर्जा, जो विकासशील प्रौद्योगिकी है, और साथ ही नगर निगम, कूड़ा–कर्कट आधारित उत्पादन जैसी अन्य नई प्रौद्योगिकियों के मामले में परियोजना विकासकर्ता परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ के लिए आयोग के पास आवेदन कर सकता है।

¼M½ ^^uohdj.kh; ÅtkZ mRiknu gsrq uohdj.kh; ÅtkZ izek.ki= dk eqY;rk nqu rFkk mlds tkjh djus ds fy, fuc/ku o 'krksZ** lac/kh fofu;e

आयोग ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के संवर्धन व विद्युत क्षेत्र में बाजार का विकास करने के अपने दायित्व की पूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आईसी) संबंधी विनियम अधिसूचित किए है। नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की उपलब्धता व वनचबद्ध प्रतिष्ठनों द्वारा अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) को पूरा करने में उनकी मांग के बीच अन्तर को दूर करने में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की अवधारणा का महत्व बढ़ गया है। इससे उन राज्यों में आर ई क्षमता संवर्धन प्रोत्साहित होने की आशा है जहां आरई उत्पादन की संभावना है क्योंकि आरईसी के ढांचे में ऐसे उत्पादकों द्वारा अपनी लागत वसूल करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर का बाजार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। आरईसी के ढांचे से देश में आरई क्षमता संवर्धन को बल मिलने की आशा है। आरईसी ढांचे की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है।

- स्कीम में भाग लेने वाले आरई उत्पादकों के पंजीकरण हेतु आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली एक केन्द्रीय स्तर की एजेंसी होगी।
- आरई उत्पादकों के पास दो विकल्प होंगे–संबंधित विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित अधिमानी टैरिफ पर नवीकरणीय ऊर्जा बेचना या आरई उत्पादन से सम्बद्ध विद्युत उत्पादन तथा पर्यावरणीय अधिकारों को अलग से बेचना।
- दूसरा विकल्प चुन जाने पर, पर्यावरणीय अधिकारों के बदले आरईसी प्राप्त किया जा सकता है। विद्युत घटक का मूल्य अल्पकालिक बिजली खरीद सहित लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा खरीद लागत छोड़कर वितरण कम्पनी की भारित औसत ऊर्जा खरीद लागत के बराबर होगा।
- केन्द्रीय एजेंसी आरई उत्पादकों को आरईसी जारी करेगी।
- आरईसी का मूल्य, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से ग्रिड में डाली गई प्रतिघण्टा मेगावाट बिजली के बराबर होगा।
- आरईसी को, आधार मूल्य के समूह भीतर तथा सीईआरसी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाने वाले प्रविरत (अधिकतम सीमा) मूल्य पर सीईआरसी द्वारा अनुमोदित पावर एक्सचेंजों में बदला जा सकेगा।
- वितरण कम्पनियां: निर्बाध पहुंच उपभोक्ता, नियन्त्रित विद्युत संयंत्र (सीसीपी) को अपने नवीकरणीय खरीद दायित्वों को पूरा करने के लिए आरईसी की खरीद का विकल्प होगा। स्वाभाविक रूप से आरपीओ वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में कुल खपत में से कम से कम नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिनियम के तहत अधिदेशित दायित्व है।
- स्कीम के भागीदारों द्वारा आरईसी की अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन संपरीक्षक भी होंगे।

¼p½ ÅtkZ cktkj fofu;e

आयोग ने विनियमों के जरिए विद्युत (व्यापार सहित) क्षेत्र में बाजारों के विकास को प्रोत्साहित करने के अपने सांविधिक दायित्व की पूर्ति में व्यापक सार्वजनिक परामर्श व जन सुनवाई के बाद 20 जनवरी, 2010 को विद्युत बाजार विनियम अधिसूचित किए। इन विनियमों के प्रावधान विद्युत से सम्बद्ध विभिन्न संविदाओं को शामिल करने वाले लेनदेन हैं।

- ये विनियम विद्युत से संबंधित विभिन्न प्रकार की अन्तर–राज्यिक संविदाओं पर लागू होंगे चाहे ये सविदाएं सीधे किए गए हों, विद्युत व्यापारियों के जरिए, पावर एक्सचेंजों में या अन्य एक्सचेंजों में किए गए हों।

- ये विनियम तत्काल संविदाओं, अवधि पूर्व संविधाओं, व्युत्पन्नियों तथा विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विद्युत–सम्बद्ध संविदाओं को शासित करेंगे।
- एक्सचेंजों में विद्युत सम्बद्ध सविदाएं शुरू करने के लिए आयोग की अनुमति की आवश्यकता होगी। तथापि, पावर एक्सचेंजों पर पहले से अनुज्ञेय सविदाओं के लिए फिर से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- विनियमों में विद्युत व्यापारियों द्वारा निष्पादित की जाने वाली संविदाओं संबंधी कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए हैं जिनका पालन किया जाना है। विद्युत व्यापारियों द्वारा निष्पादित की जाने वाली संविदाओं के लिए अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- घेराबंदी करने, पारस्परिकता समाप्त करने और व्यापक रूप से धारित बाजार संस्थानों के सृजन की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, विस्तृत पूंजीगत ढांचा और पॉवर एक्सचेंजों के लिए प्रबंधन ढांचा विनिर्दिष्ट किया गया है।
- पॉवर एक्सचेंजों से तीन माह की अवधि के भीत्तर अपने नियमों व उपनियमों को नए विनियमों के अनुरूप बनाने की अपेक्षा की गई है। तथापि, नए पूंजीगत ढांचे के साथ समायोजन हेतु तीन वर्ष का समय दिया गया है।
- पॉवर एक्सचेंजों को पृथक् समाशोधन निगम सृजित करने का विकल्प दिया गया है।
- पॉवर एक्सचेंजों के निदेशक–मण्डल में आयोग द्वारा अनुमोदित पैनल से मनोनीत किए जाने वाले दो स्वतन्त्र निदेशक होंगे।
- इन विनियमों में प्रभावी बाजार मानीटरिंग व निगरानी के विस्तृत प्रावधान हैं।
- अंतरंगी व्यापार की मनाही करने तथा साथ ही गुप्त सूचना देने वालों की रक्षा करने के विशिष्ट प्रावधान हैं।

¼N½ vUrjkfT;d ikjs"k.k esa fuckZ/k igqap laca/kh fofu;e esa la'kks/ku

निर्बाध पहुंच के कार्यान्वयन में पाई गई कुछेक कठिनाइयों को दूर करने तथा निर्बाध पहुंच संव्यवहार प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मई, 2009 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग संबधी विनियम में/अन्तर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 में संशोधन किया गया था। एसएलडीसी द्वारा सहमति/अनापत्ति की पद्धति को संशोधित किया गया था और सहमति देने में विलम्ब की समस्या से निपटने के लिए सहमतिवत् का प्रावधान शामिल किया गया। निर्बाध पहुंच हेतु अंग्रिम अनुसूचियों के जरिए या पहले आओं, पहले पाओ की अनुसूची निर्धारण के आधार पर अनुसूचियों में संशोधन की सूचना अवधि को 5 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया है ताकि निर्बाध पहुंच के उपभोक्ताओं को अधिक गुंजाइश मिल सके। यह महसूस किया गया कि अल्प–कालिक निर्बाध पहुंच (एसटीओए) लेनदेनों की सुविधा हेतु मुनाफे सृजित किए जा रहे हैं। इसलिए एसटीओए प्रभार बढ़ाने की आवश्यकता थी। इस संशोधन से अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रभारों को युक्तिसंगत बनाया गया है। अन–अनुसूचित विनिमय प्रभारों, पारेषण प्रभारों, रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों, संकुलन प्रभारों तथा एकीकृत भार प्रेषण एवं संचार स्कीमों सहित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के लिए फींस व प्रभारों की अदायगी में निरन्तर व जानबूझकर चूक की समस्या से निपटने के लिए एक नया प्रावधान शामिल किया गया है जिसके तहत आयोग द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देश पर, आरएलडीसी/एनएलडीसी चूककर्ता इकाइयो को निर्बाध पहुंच से इंकार कर सकेगे।

¼t½ ^^ikjs"k.k vuqKfIr iznku djus rFkk vU; lacf/kr ekeyksa ds fy, ifØ;k] fucU/ku rFkk 'krsZa** laca/kh

अधिनियम की धारा 12 के तहत कोई भी व्यक्ति समुचित आयोग से लाइसेंस प्राप्त किए बिना बिजली पारेषित कर सकता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 14 के तहत समुचित आयोग पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी के रूप में किसी भी व्यक्ति को बिजली पारेषण का लाइसेंस दे सकता है। लाइसेंस देने की पद्धति, अधिनियम की धारा 15 के अनुसार समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 178 के तहत, समुचित आयोग पारेषण अनुज्ञप्ति देने के लिए पद्धतियों व निबंधन व शर्तों संबंधी विनियम अधिसूचित कर सकता है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति में यथा परिकल्पित अधिदेश में पारेषण क्षमता के सुचारू व त्वरित विकास को सुकर बनाने के उद्देश्य से, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के लिए पारेषण परियोजनाओं की पहचान की जा सकती हैं। जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों के निजी निवेशक व पारेषण उपयोगिताएं भाग ले सकती हैं। टैरिफ नीति के उद्देश्य के अनुसार,

5–1–2011 को या इससे पहले परियोजना विकासकर्ता के रूप में अभिज्ञात राज्य के स्वामित्व या नियन्त्रण वाली कम्पनियों को भी प्रतिस्पर्धा बोली के जरिए नहीं चुने जाने के बाद भी विद्युत क्षेत्र में अन्तर–राज्यिक पारेषण करने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई उत्पादन कम्पनी, जिसने समर्पित पारेषण लाइन स्थापित की है और इस समर्पित पारेषण लाइन को मुख्य पारेषण लाइन तथा अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के भाग रूप इस्तेमाल करना चाहती है तो उसे भी पर्यावरण को निजी निवेश के लिए सहायक बनाने के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ट्रांसमिशन लाइन प्रदान की जा सकती है और राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति की अपेक्षा के अनुरूप ट्रांसमिशन क्षेत्र के विकास में सहायता करने के लिए अधिनियम के ऊपर उल्लिखित उपबंधो के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने संबंधी सुपरिभाषित पद्धतियां व निबंधन एवं शर्तों का होना आवश्यक है। इन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सीईआरसी ने 15–05–2009 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के लिए पद्धतियों तथा निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 अधिसूचित किए,

¼´½ ^^iknf'kd Hkkj iz"k.k dsUnz o vU; lgc) ekeyksa ds fy, Qhl rFkk izHkkj** laca/kh fofu;e

भारत एक विशाल देश है और दक्ष, मितव्ययी तथा एकीकृत पारेषण और विद्युत आपूर्ति और विशेषतः अन्तर–राज्यिक, क्षेत्रीय व अन्तर क्षेत्रीय विद्युत उत्पान व पारेषण की स्वैच्छिक अन्तर संयोजनों तथा समन्वय को आसान बनाने के लिए विद्युत प्रणाली को देश में पांच क्षेत्रीय ग्रिडों अर्थात उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी व पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रदेशिक भार प्रेषण केन्द्र, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 के तहत सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करके संबंधित क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के एकीकृत प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए शीर्षस्थ निकाय है।

राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) उक्त अधिनियम की धारा 26 के अनुसार विद्युत मंत्रालय की दिनांक 2–3–2005 की अधिसूचना के जरिए गठित किया गया है और यह विद्युत के प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रो के बीच विद्युत के अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के लिए जिम्मेदार है।

अधिनियम की धारा 28(4) में आरएलडीसी द्वारा उस फीस व प्रभार के उद्ग्रहण और संग्रहण किऐ जाने का प्रावधान है जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं। इसके अलावा, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र नियम, 2004 के नियम 4 के तहत खण्ड (ट) में उत्पादन कम्पनियों या विद्युत प्रणाली में शामिल लाइसेंस धारकों से ऐसी फीस व प्रभार संग्रहीत तथा उद्ग्रहीत किए जाने का प्रावधान है जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के सन्दर्भ में, आयोग को धारा 28 के तहत फीस व प्रभार उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत करने के संबंध में अधिसूचना जारी करके विनियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। इन उपबंधों के तहत, आयोग ने 18–09–2009 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और अन्य सहबद्ध विषयो के लिए फीस तथा प्रभार) विनियम, 2009 अधिसूचित किए।

1994 तथा 1996 के बीच पांचों आरएलडीसी को सीईए से पावरग्रिड को हस्तांतरित किया गया है। इससे पहले, जब आरएलडीसी सीईए द्वारा प्रचालित किए जा रहे थे, किसी भी पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण तथा प्रचालन व अनुरक्षण के अनुवर्ती व्यय, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली बजट सहायता से पूरे किए जाते थे। जुलाई, 1998 में, सीईए के परामर्श से, आरएलडीसीएस में पावरग्रिड द्वारा प्रचालन व अनुरक्षण व्यय वसूल करने की तदर्थ व्यवस्था बनाई गई। मई, 2003 में, आयोग ने, तत्कालीन विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 55(10) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01.4.2000 से 31.3.2004 की अवधि के लिए आर एल डी सी को देय फीस और प्रभारों को अनुमोदित कर दिया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के बाद, आयोग ने 15 वर्षों की समान फीस की अवधारणा पर आधारित अधिनियम की धारा 28(4) के अंतर्गत आर एल डी सी के लिए फीस और प्रभारों को अनुमोदित कर दिया है। ये मई, 2003 में आयोग द्वारा दिए गए फीस और प्रभार आदेश की जगह लागू होंगे और वर्ष 2009 तक जारी रहेंगे। तथापि, स्वतंत्र निगम, अर्थात 'पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन' बनने के बाद, तथा अन्य विकास कार्य होने के बाद आरएलडीसी का फीस और प्रभारों के लिए व्यापक विनियम की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद, आयोग द्वारा यह नियम बनाया गया।

7-3 fo|r cktkj] 0;kikj ikoj ,Dlpt ,o fuck/k igp

¼d½ vUrj&jkT;d 0;kikj vuKfIr/kkjh

आयोग ने दिनांक 16.2.2009 को केंद्रीय विद्युत विनियामक (आयोग व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 को अधिसूचित किया। दिनांक 31 मार्च, 2010 को, आयोग ने विद्युत में अंतर–राज्यिक व्यापार के लिए 45 आवेदकों को व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान किया। इनमें मे से 6 अनुज्ञप्तिधारी ने अपने लाइसेंस 2009–10 के दौरान वापस कर दिए हैं। (अनुज्ञप्तिधारियों ने अपनी अनुज्ञप्ति 2009–2010 के दौरान वापस की) 2009–10 के दौरान दो व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान किए गए थे।

o"k 2009&10 d nkjku tkjh 0;kikj vuKfIr

d- l-	0;kikj vuKfIr/kkjh dk uke	vuKfIr tkjh dju dh rkjh[k	vuKfIr dh J.kh
1	गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड	28.4.2009	III
2	श्री सीमेंट लिमिटेड	16.3.2010	I

वर्तमान 39 अनुज्ञप्तियों में से, 2009–10 के दौरान विद्युत में 14 अनुज्ञप्तिधारियों ने व्यापार किया।

o"k 2009&10 d nkjku 0;kikj 'k: dju oky vuKfIr/kkfj;k dh lph

d- l-	0;kikj vuKfIr/kkjh dk uke
1.	पीटीसी इंडिया लिमिटेड
2.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
3.	अदानी एक्सपोर्ट लिमिटेड
4.	टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड
5.	रिलायंस इनर्जी ट्रेंडिंग (प्राइवेट) लिमिटेड
6.	लेंको इलेक्ट्रिक युटिलिटी लिमिटेड
7.	जे एस डब्ल्यू पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
8.	विनर्जी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
9.	पुणे पावर डिवेलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
10.	जी एम आर इनर्जी ट्रेडिंग लिमिटेड
11.	इन्सटिंक्ट एडवर्टाइज़मेंट एंड मार्केटिंग लिमिटेड
12.	आर पी जी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
13.	नॉलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम (प्राइवेट) लिमिटेड
14.	मित्तल प्रासेसेज प्राइवेट लिमिटेड

*व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, द्विपक्षीय अथवा पावर एक्सचेंज अथवा दोनों के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं।

[k½ ikoj ,Dlpsat

आयोग ने दिनांक 20.1.2010 की अधिसूचना के तहत सी ई आर सी (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 जारी किए हैं। दो पावर एक्सचेंज (1) मेसर्स इंडियन इनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, नई दिल्ली और (2) पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड ;पी एक्स आई एल) मुंबई हैं, जो भारत में कार्य कर रहे हैं। आईईएक्स एवं पीएक्सआई एल ने 12 दिनांक 1.7.2009 के आदेश के तहत क्रमशः 27 जून, 2008 और 22 अक्तूबर, 2008 से कार्य करना शुरू कर दिया हैं। आयोग ने एक पावर एक्सचेंज स्थापित करने और चालू करने के लिए नेशनल पावर एक्सचेंज (एनपीईएक्स) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

x½ ckt kj fuxjkuh i zdk"B

एक बाजार मानीटरिंग सेल (एम एम सी), अगस्त, 2008 में सी ई आर सी में स्थापित किया गया था। यथा निर्देशित, एम एम सी ''बिजली का अल्पकालिक कार्य विवरण संबंधी मासिक रिपोर्ट'' तैयार कर रही है तथा अगस्त, 2008 से रिपोर्ट सीईआरसी की वेबसाइट पर डाली जा रही है। रिपोर्ट में, ''विद्युत का अल्प–कालिक संव्यवहार'' से अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा पावर एक्सचेंजो और अन–अनुसूचित। विनिमय के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत अभिप्रेत है। रिपोर्ट के उद्देश्य हैं :– (i) बिजली के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य की प्रवृत्ति की निगरानी करना; (ii) मार्केट व्यवसायियों के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना और (iii) सभी सुसंगत मार्केट सूचना प्रदर्शित करना/प्रसार करना।

मासिक रिपोर्ट के आधार पर, एमएमसी ने वर्ष 2009 में भारत में अल्प–कालिक विद्युत बाजार संबंधी वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार की। अल्पकालिक संव्यवहार में झुकाव नीचे तालिका 1–4 में दर्शाया गया है :–

rkfydk & 1% 0;kikj vuqKfIr/kkfj;ksa rFkk ikoj ,Dlpsatksa ds ek/;e ls l0;ogkj dh xbZ fo|qr dh ek=k

o"kZ	0;kikj vuqKfIr/kkfj;ksa ds ek/;e ls fctyh dk ipkyu ¼ch ;w ,l½	vkbZbZ,Dl ds ek/;e ls fctyh dk ipkyu ¼ch ;w ,l½	ih ,Dl vkbZ ,y ds ek/;e ls fctyh ipkyu ¼ch ;w ,l½	dqy ¼ch ;w ,l½	dqy fctyh mRiknu ¼ch ;w ,l½	dqy fctyh mRiknu ds ifr'kr ds :i esa 0;kikj dh xbZ fo|qr
	1	2	3	4 (1+2+3)	5	6 (4/5)
2004–05	11.85	–	–	11.85	548	2.16:
2005–06	14.19	–	–	14.19	579	2.45:
2006–07	15.02	–	–	15.02	624	2.41:
2007–08	20.96	–	–	20.96	666	3.15:
2008–09	21.92	2.62	0.15	24.69	691	3.57:
2009–10	26.82	6.17	0.92	33.91	764	4.44:

rkfydk & 2% O;kikj vuqKfIr/kkfj;ksa rFkk ikoj ,Dlpsatksa ds ek/;e ls lO;ogkj dh xbZ fo|qr dh ek=k

o"kZ	O;kikjh vuqKfIr/kkfj;ksa ds ek/;e ls lO;ogkj dh xbZ fctyh dk eY; ¼:i, izfr fdyksokV ?k.Vk½	Ikkoj ,Dlpsatksa ds ek/;e ls lO;ogkj dh xbZ fctyh dk eY;	ykblsal/kkjdksa rFkk ikoj ,Dlpsatksa ds ek/;e ls lO;ogkj dh xbZ fctyh dk Hkkfjr vkSlr eY;
2004–2005	2.32	–	2.32
2005–2006	3.23	–	3.23
2006–2007	4.51	–	4.51
2007–2008	4.52	–	4.52
2008–2009	7.29	7.48	7.31
2009–2010	5.26	4.96	5.19

rkfydk & 3% fctyh ds vYidkfyd lO;ogkj dh ek=k ¼,e;w½

vof/k	O;kikfj;ksa ds ek/;e ls f}i{kh;	lh/ks f}i{kh;	ikoj ,Dlpsatksa ls Ø;&foØ;	;wvkbZ ls Ø;&foØ;	dqy vYi dkfyd Ø;&foØ;
अप्रैल–09	1794.80	415.54	406.07	1815.66	4432.07
मई–09	2070.01	247.29	341.70	1997.38	4656.38
जून–09	1843.61	573.90	529.49	2118.63	5065.63
जुलाई–09	2402.76	618.07	495.16	2204.68	5720.67
अगस्त–09	2761.13	607.92	493.51	1926.73	5789.28
सितम्बर–09	2518.69	338.88	527.22	2210.49	5595.28
अक्तुबर–09	2210.72	560.99	639.02	2251.41	5662.15
नवम्बर–09	1941.68	444.59	758.82	2098.48	5243.57
दिसम्बर–09	2178.58	685.46	640.09	2430.84	5934.46
जनवरी–10	2213.31	657.65	856.06	2307.45	6034.97
फरवरी–10	2218.05	508.38	766.97	2214.72	5708.12
मार्च–10	2665.84	531.27	632.12	2229.62	6058.85

rkfydk & 4% fctyh dh vYidkfyd Ø;&foØ; dk eY; ¼:0 ifr fdykokV ?k.Vk½

vof/k	0;kikfj;k dh ek/;e ls f}i{kh; Ø;&foØ;	ikoj ,Dlpsat ds ek/;e ls Ø;&foØ; dk eY; ¼vkbbZ,Dl½	ikoj ,Dlpsat ds ek/;e ls Ø;&foØ; dk eY; ¼ih,Dlvkbz,y½	;wvkbZ dk eY; ¼ubZ fxM½	;wvkbZ dk eY; ¼,lvkj fxM½
अप्रैल–09	7.21	10.10	10.18	5.36	6.04
मई–09	6.82	6.84	8.74	4.17	3.99
जून–09	5.05	7.39	9.60	4.94	5.10
जुलाई–09	4.75	4.81	4.85	4.12	4.67
अगस्त–09	4.64	7.40	6.15	6.29	5.85
सितम्बर–09	4.73	4.00	4.32	5.02	4.20
अक्तुबर–09	5.07	4.73	5.18	4.24	5.83
नवम्बर–09	5.33	3.16	3.39	2.72	3.79
दिसम्बर–09	4.99	3.22	3.07	3.26	3.92
जनवरी–10	5.26	3.46	3.33	3.84	3.90
फरवरी–10	5.05	3.24	3.30	3.00	5.21
मार्च–10	4.94	5.58	6.47	4.85	7.31

¼?k½ ckyh eY;kadu o Hkqxrku ds iz;kstu grq eY; of) ds dkjd o vU; iSjkehVj lca/kh vf/klwpuk

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बिजली की खरीद हेतु बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ निर्धारण के मागदर्शी सिद्धांत के संबंध में विद्युत मंत्रालय की दिनांक 19–1–2005 की अधिसूचना (समय–समय पर यथा संशोधित) के खण्ड 56 (VI) के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को प्रत्येक छः माह में बोली मूल्यांकन व भुगतान के प्रयोजन से मूल्यवृद्धि के विभिन्न कारकों तथा अन्य सम्बद्ध पैरामीटरों को अधिसूचित करना होता है। दिनांक 27–3–2009 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन के अनुसार, आयोग ने 1–4–2009 से 30–9–2009 की अवधि के लिए लागू दिनांक 3–7–2009 की अपनी अधिसूचना तथा उसके बाद 29–7–2009 को जारी शुद्धि–पत्र में मूल्य वृद्धि के कुछेक अतिरिक्त कारकों तथा अन्य पैरामीटरों को अधिसूचित किया है। आयोग ने अक्तूबर 2009 से मार्च 2010 की अवधि के लिए लागू दिनांक 30–9–2009 (मूल्यांकन) तथा 11–11–2009 (भुगतान) की अधिसूचनाओं और अप्रैल 2010 से सितम्बर 2010 के लिए दिनांक 31–3–2010 की अधिसूचना के जरिए मूल्य वृद्धि के कारक व अन्य पैरामीटर अधिसूचित किए है।

¼M½ fuckZ/k igqp dk lqxe cukuk

¼1½ f}i{kh; djkjka rFkk ikoj ,Dlpsatks ds ek/;e ls fctyh ds Ø; vkSj foØ; ds fy, VSfjQ dh lhek lca/kh lhbZvkjlh dk vkns'k

आयोग ने दिनांक 11–9–2009 के अपने आदेश में स्व–प्रेरणा संख्या 178/2009 में बिजली की वर्तमान कमियों की अवधि में बिजली का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय बाजारों और पॉवर एक्सचेंजों में बिजली के क्रय–विक्रय के लिए अधिकतम (0.10 रू0 प्रति किलोवाट घण्टा) तथा न्यूनतम (8 रू0 प्रति किलोवाट घण्टा) की मूल्य सीमा नियत की है। यह आदेश, इसके जारी किए जाने की तारीख से 45 दिन की अवधि के लिए लागू था।

¼2½ dukVd jkT; Hkkj is"k.k dsUnz }kjk fuckZ/k igqp ls bdkj djus ds ekeys esa funsZ'k

याचिका संख्या 267/2009 में, याचिकाकर्ता श्री रेणूका सूगर्स लिमिटेड, बेलगाम ने यह याचना की कि एसएलडीसी कर्नाटक ने कतिपय शर्तों के पालन संबंधी उनकी वचनबद्धता मांगने के बाद निर्बाध पहुंच प्रदान की थी। एक मामले में उसने निर्बाध पहुंच प्रदान नहीं की। याचिकाकर्ता ने यह दावा प्रस्तुत किया कि एसएलडीसी, कर्नाटक की कार्रवाई केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के विरूद्ध थी। याचिकाकर्ता ने आयोग से प्रतिवादी को निर्बाध पहुंच के विनियमों का कडाई से पालन करने के निर्देश देने की याचना की। आयोग ने दिनांक 24–11–2009 के आदेश के जरिए प्रतिवादी, एसएलडीसी, कर्नाटक को याचिकाकर्ता श्री रेणूका सूगर्स लिमिटेड, बेलगाम के विरूद्ध उत्पीड़क कार्रवाई न करने के निर्देश दिए।

याचिका संख्या 21/2009 में जीएमआर एनर्जीट्रेडिंग लिमिटेड, को निर्बाध पहुंच से इंकार करने के मामले में, आयोग ने दिनांक 05–05–2009 के आदेश के जरिए कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन तथा एसएलडीसी, कर्नाटक को ये निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता द्वारा अन्तर–राज्यिक विद्युत पारेषण के लिए राज्य ग्रिड में निर्बाध पहुंच के लिए सहमति हेतु दायर आवेदन पर प्रतिवादी द्वारा विचार किया जाएगा तथा निर्बाध पहुंच विनियमों, विशेषतः उसके विनियम 8 के उपबंधों के अनुसार ही उसका निर्णय किया जाएगा।

याचिका संख्या 158/2009 में दिनांक 11–2–2009 के आदेश में आयोग ने पीपीए के अस्तित्व के संबंध में एसएलडीसी की भूमिका स्पष्ट की है। यह स्पष्टीकरण दिया गया कि एसएलडीसी को प्रथमदृष्टया केवल यह सत्यापित करना होता है कि क्या निर्बाध पहुंच क्रय–विक्रय हेतु बिजली बढ़ाने का प्रस्ताव करने वाले उपयोगिताओं द्वारा बिजली बिक्री संबंधी कोई संविदा की गई है। इससे एसएलडीसी को किसी संविदा की वैधता या अन्यथा स्थिति का निर्णय करने या वर्तमान मामले की भांति विवादों का निर्णय करने, जो अन्यथा धारा 86 (1) (च) के क्षेत्राधिकार में हैं, का अधिकार नहीं मिलता। उस पक्ष, जो निर्बाध पहुंच की मांग कर रहा है या यह दावा कर रहा है कि उसका प्रश्नगत मामले उत्पादन कम्पनी के साथ भरण पीपीए का है, को मामले का निर्णय करवाने के लिए समुचित मंच में जाना होगा।

इसके अलावा, आयोग ने केपीटीसीएल तथा कर्नाटक एसएलडीसी को, आयोग द्वारा अधिसूचित निर्बाध पहुंच विनियमों के उपबंधों के अनुसार ही निर्बाध पहुंच की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने के निर्देश दिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि उक्त उल्लिखित पद्धति का पूर्णतः पालन न किए जाने की स्थिति में, उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत यथा अनुज्ञेय दंडात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी। सृदश मुद्दों से संबंधित याचिका संख्या 155, 156 तथा 157/2009 में भी ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं।

याचिका संख्या 114/2009 में, आयोग ने दिनांक 17–8–2009 के अपने आदेश के जरिए अधिनियम की धारा 17 के तहत राज्य सरकारों के दिनांक 6–6–2009 के सरकारी आदेश संख्या 328/एनसीई पर भरोसा करते हुए, इस आधार पर कर्नाटक एसएलडीसी द्वारा निर्बाध पहुंच इंकार करने हेतु आदेश खारिज कर दिए कि आवेदक का द्वितीय प्रतिवादी के साथ वैध पीपीए है। आयोग द्वारा याचिका संख्या 135 और 136/2009, जिसमें सदृश मुद्दे थे, में दिनांक 7–9–2009 के आदेश में सदृश ऐसे ही निर्देश दिए थे। यह मामला बेंगलूर उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

¼3½ ,l,yMhlh] fnYyh }kjk fuckZ/k igqp ls bdkj djuk@mls de djuk

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल) के सचिव, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को लिखे दिनांक 15–7–2009 के पत्र, जिसकी प्रतिलिपि अन्यों के साथ–साथ आयोग को भेजी गई थी, से आयोग की जानकारी में यह आया कि प्रतिवादी एसएलडीसी, दिल्ली ने नार्थ दिल्ली पॉवर लिमिटेड (एनडीपीएल) द्वारा अपने दिनांक 20–6–2009 के आवेदन के जरिए मांगी गई बिजली की मात्रा, जिसे 21–6–2009 को निर्यात किया जाना था, को कम कर दिया था। एसएलडीसी ने 20–6–2009 को एनडीपीएल के आवेदन पर इस आशय का स्पष्टीकरण दिया था कि यह कमी सचिव (विद्युत) द्वारा 8–5–2009 को ली गई बैठक के अनुसार तथा 20–6–2009 को एक दिन पहले की अनुसूची में एनडीपीएल द्वारा दर्शाई गई उपलब्धता के अनुसार दिल्ली की मांग को पूरा करने के लिए की गई थी।

आयोग ने दिनांक 10–8–2009 के अपने आदेश में स्व.–प्रेरणा कार्यवाही संख्या 151/2009 शुरू की। अयोग ने दिनांक 30–11–2009 के अपने आदेश में यह संप्रेक्षण किया कि आयोग द्वारा अपने निर्बाध पहुंच विनियमों में विशिष्ट रूप से यथानिर्धारित कारणों व विचारणीय मुद्दों को छोड़कर अन्य कारणों से निर्बाध पहुंच देने से इंकार करने या उसमें कमी करने का औचित्य नहीं बनता। परिणामस्वरूप, एसएलडीसी, दिल्ली पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के विनियम 8 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) व (ग) का उल्लंघन किए जाने पर 25,000/– रू0 मात्र (पच्चीस हजार रूपये) का जुर्माना लगाया गया।

7-4 Fkeely mRiknu

d½ VfjQ fu/kkj.k

¼4½ ,uVhihlh fyfeVsM dk Fkeely mRiknu dsUnzk ds fy, VfjQ

एनटीपीसी लिमिटेड की 31–3–2010 की स्थिति के अनुसार कुल 27911.64 मेगावाट की संस्थापित क्षमता है। जिसमें कोयले पर आधारित 23895.00 मेगावाट तथा प्राकृतिक गैस/तरल इंधन पर आधारित 4016.64 मेगावाट की क्षमता शामिल है। वर्ष 2009–10 के दौरान एनटीपीसी ने अपनी क्षमता 990 मेगावाट तक बढ़ाई है, जो अर्थात् कहलगांव एसटीपीपी चरण–।। (यूनिट 3) क्षमता 500 मेगावाट और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र टीपीएस (दादरी टीपीएस) (विस्तारित परियोजना) (चरण–।।, यूनिट।) क्षमता 490 मेगावाट है। दिनांक 31–3–2010 को स्थापित क्षमता और एनटीपीसी में प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के व्यावसायिक प्रचालन की तारीख अनुबंध–।। में दी गई है।

2004&09 dh vof/k ds fy, VfjQ

आयोग ने 2004–09 की अवधि में लिए एनटीपीसी के निम्नलिखित थर्मल पावर स्टेशनों के संबंध में टैरिफ अनुमोदित किया है:

1) कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज–। (840 मेगावाट) दिनांक 1–4–2004 से 31–3–2009 की अवधि के लिए।
2) सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज–।।, 20–6–2008 से 31–12–2008 के अवधि के लिए यूनिट–IV (500 मेगावाट) तथा 01–01–2009 से 31–3–2009 की अवधि के लिए यूनिट–IV व V (2x500 मेगावाट) (संयुक्त) के संबंध में।
3) एनटीपीसी के अन्य केन्द्रों के लिए, आयोग ने पहले ही 2004–09 की अवधि में लिए टैरिफ अनुमोदित कर दिया है।

2009&14 dh vof/k ds fy, VfjQ

एनटीपीसी ने 2009–10 से 2013–14 की अवधि में लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए थर्मल पावर स्टेशन के संबंध में केविविआ टैरिफ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम 2009 के अनुसार टैरिफ याचिकाएं फाइल करना शुरू कर दिया है। इन याचिकाओं पर आयोग में कार्रवाई चल रही है।

¼5½ uoyh fyXukbV dkikjs'ku d Fkey mRiknu dUnk d fy, VfjQ

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के थर्मल उत्पादन केन्द्रों के टैरिफ (एनएलसी) की 31–3–2010 की स्थिति के अनुसार, ईंधन परिचालक फ्लूडाइज्ड बेड कम्बस्टन (सीएफबीसी) प्रौद्योगिकी आधारित थर्मल बिजली उत्पादक केन्द्र के रूप में लिग्नाइट के आधार पर कुल 2490 मेगावाट की संस्थापित क्षमता है। लिग्नाइट पर ही आधारित राजस्थान में बर्सी नगर स्थित 2x125 मेगावाट के वर्ष 2010–11 में चालू हो जाने की आशा है। एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र की क्षमता तथा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख निम्न प्रकार है:

l[;k	mRiknu dUn dk uke	31&3&2009 dh fLFkfr d vuqlkj lLFkkfir {kerk	dUn dk lhvkMh
1	टीपीएस–I	600.00	21–2–1970
2	टीपीएस–II	630.00	23–4–1988
3	टीपीएस–II(चरण–II)	840.00	9–4–1994
4	टीपीएस–I (विस्तार)	420.00	5–9–2003
5	कुल लिग्नाइट	2490.00	

एनएलसी थर्मल बिजली केन्द्र–I एक ही राज्य अर्थात् तमिलनाडु को बिजली की आपूर्ति करता है जबकि थर्मल बिजली केन्द्र–II (चरण–I और II) तथा थर्मल पावर केन्द्र–I (विस्तार), भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार दक्षिणी क्षेत्र के घटकों को बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं।

2004&09 dh vof/k d fy, ,u,ylh dUnk d fy, VfjQ

आयोग ने पहले ही 2004–09 की अवधि के लिए टैरिफ अनुमोदित कर दिए हैं।

2004&09 dh vof/k d fy, ,u,ylh dUnk d fy, VfjQ

एनएलसी ने केविविआ (टैरिफ की निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के अनुसार 2009–10 से 2013–14 की अवधि के लिए 1–4–2009 की स्थिति के अनुसार आयोग द्वारा यथा स्वीकार्य पूंजीगत लागत के आधार पर संशोधित टैरिफ याचिकाएं फाइल की हैं। ये याचिकाएं, आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण की प्रक्रिया में हैं।

¼6½ nkekn j ?kkVh fuxe ¼Mhohlh½ d Fkey mRiknu dUnk d VfjQ

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की 31–3–2010 की स्थिति के अनुसार, कुल 3245 मेगावाट की संस्थापित क्षमता है। डीवीसी की संस्थापित क्षमता तथा उसके प्रत्येक उत्पादन केन्द्र में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध–III में दी गई है।

2004&09 dh vof/k d fy, Mhohlh dUnk d fy, VfjQ

आयोग ने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन, एक्सटेंशन, यूनिट न0 5 और यूनिट न0 6 (2x250 मेगावाट) के वाणिज्यिक प्रचालन की संबंधित तारीखों से 31–3–2009 तक के लिए उनके टैरिफ को अनुमोदित कर दिया है।

29–2–2008 से 31–3–2009 की अवधि के लिए यथा अनुपात वार्षिक नियत प्रभार स्वीकार किए गए हैं।

आयोग ने 29–2–2008 से 31–3–2008 की अवधि के लिए प्रति किलो धण्टा 195.90 पैसे के ऊर्जा प्रभार (एक्स बस) तथा 24–9–2008 से 31–3–2009 की अवधि के लिए प्रति किलोवाट घण्टा 110.48 पैसे (एक्स बस) के ऊर्जा प्रभार की मूल दर भी अनुमोदित कर दी है।

डीवीसी के अन्य थर्मल केन्द्रों के संबंध में आयोग ने 2006 मे एक एकल आदेश पारित करके 2004–09 की अवधि के टैरिफ अनुमोदित कर दिए हैं।

¼7½ ukFk bLVu byfDV'd ikoj dkjikj'ku ¼fuidk½

नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (निपको) की 31–3–2008 की स्थिति के अनुसार, ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस पर आधारित 375 मेगावाट की थर्मल उत्पादन क्षमता है, अर्थात् असम जीपीएस (291 मेगावाट) तथा अगरतला जीपीएस (84 मेगावाट) ये दोनों केन्द्र पूर्वोतर क्षेत्र के लाभार्थियों को बिजली की आपूर्ति करते हैं। असम गैंस पावर केन्द्र संयुक्त साइकल पद्वति से चलता है, जबकि अगरतला पावर केन्द्र मुक्त साइकल पद्वति से चलता है। इन दोनों केन्द्रों की गैंस टर्बाइन की कम क्षमता है। यूनिट साइज से 50 मेगावाट प्रत्येक उत्पादन केन्द्र की संस्थापित क्षमता व वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख निम्न प्रकार हैः

l[;k	mRiknu dUn dk uke	31&3&2009 dh fLFkfr dk vuqlkj lLFkkfir {kerk	dUn dk lhvkMh
1	अगरतला जीपीएस	84.00	01–08–1998
2	असम जीपीएस	291.00	01–04–1999
3	कुल	375.00	

2004&09 dh vof/k dk fy, fuidk xSl vk/kkfjr dUnk dk VfjQ

आयोग ने पहले ही वर्ष 2008 में 2004–09 की अवधि के लिए टैरिफ अनुमोदित कर दिए हैं।

2004&09 dh vof/k dk fy, fuidk xSl vk/kkfjr dUnk dk VfjQ

निपको ने 2009–10 से 2013–14 की अवधि के लिए टैरिफ अनुमोदित हेतु अपने थर्मल बिजली केन्द्रों (गैंस आधारित) के संबंध में टैरिफ याचिकाएं दायर की हैं।

¼8½ jRukfxfj xSl ,.M ikoj ikboV fy0 ¼vkjthih,y½

रत्नागिरि गैंस एण्ड पॉवर प्राइवेट लि0 (आरजीपीएल) नए टीपीसी लि0, गेल, एमएसईबी नियन्त्रण कम्पनी एवं आईसीआईसीआई, एसबीआई तथा कैनरा बैंक का संयुक्त उद्यम है। आरजीपीएल की स्थापना उत्पादन केन्द्र और ऐसी संबद्ध परिसम्पतियों को अधिकार में लेने के लिए विशेष परियोजन वाहक के रूप में की गई थी जो पहले के एनरॉन ग्रुप द्वारा सवंर्धित और स्थापित निजी कम्पनी दाभोल पॉवर कम्पनी लि. के स्वामित्व में थी।

डीपीसी और इसका प्रर्वतक एनरॉन ग्रुप गंभीर वित्तीय और अन्य कठिनाईयों में फंस गया और वे दाभोल पॉवर प्रोजेक्ट का प्रचालन जारी नहीं रख सके। डीपीसी और एमएसईबी ने मुकदमें बाजी शुरू कर दी। इन मुकदमें बाजियों में परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार द्वारा दी गई गांरटियों और प्रति गांरटियों को भुनाना भी अन्तर्ग्रस्त था।

अन्ततः डीपीसी को मई, 2001 में बंद कर दिया गया। इसके बंद होने पर डीपीसी तथा इसकी सम्पूर्ण परिसम्पतियों को बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर के नियंत्रण में रखा गया। दाभोल ऊर्जा परियोजना ने मई 2001 से 5 वर्षों तक कोई प्रचालन नहीं किया, जिसके दौरान परिसम्पतियां न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर के अधिकार व नियन्त्रण में थीं।

भारत सरकार के अनुमोदन से निर्धारित वित्तीय स्कीमों तथा माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22–9–2005 के आदेशों के सन्दर्भ में, एकीकृत एलएनजी टर्मिनल तथा सम्बद्ध बुनियादी ढांचागत सुविधाओं सहित डीपीसी की परिसम्पतियों को जैसी है वैसी के आधार पर 6 अक्तूबर 2005 को न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर से आरजीपीपीएल द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया।

इस उत्पादन केन्द्र में निम्नानुसार मूल संस्थापित क्षमता वाले तीन ऊर्जा ब्लॉक हैः

ब्लॉक–।	670 मेगावाट (जीटी 2ग215 + एसटी 1ग240)
ब्लॉक–।।	740 मेगावाट (जीटी 2ग240 + एसटी 1ग260)
ब्लॉक–।।।	740 मेगावाट (जीटी 2ग240 + एसटी 1ग260)
कुल क्षमता	2150 मेगावाट

आरजीपीपीएल की रत्नागिरी परियोजना अन्तर–राज्यिक उत्पादन केन्द्र है जिसमें एक से अधिक राज्य को बिजली की बिक्री की व्यवस्था है। तथापि, ऊर्जा केन्द्र की 95 प्रतिशत तक की क्षमता महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कम्पनी लि0 (एमएसईडीसीएल) को आबंटित क्षमता माना गया है तथा शेष 5% को अनाबंटित ऊर्जा के रूप में माना गया है जिसे भारत सरकार के अधिकार में रखा गया है। इस समय भारत सरकार ने, इस आबंटन को 3 माह के लिए गोवा, दमन, दीव, दादरा नागर हवेली व मध्य प्रदेश को नामनिर्दिष्ट किया है।

आयोग ने ब्लाक III के संबंध में सीईए की निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर टैरिफ प्रयोजन हेतु ढ़ीलशुदा क्षमता की अनुमति दी। आयोग ने इस तथ्य को समझा कि उत्पादन केन्द्र मई, 2001 से बंद की हालत में है और इसकी 740 मेगावाट की मूल क्षमता की तुलना में सीईए की निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ब्लाक III की सकल क्षमता 668.54 मेगावाट थी। ब्लाक I और II का निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था। ब्लाक II की क्षमता ब्लाक III के बराबर है और इसलिए ब्लाक III 668.54 मेगावाट की क्षमता को ब्लाक II के लिए भी माना गया है। ब्लाक I की मूल क्षमता 670 मेगावाट थी और चूंकि उत्पादक केन्द्र के ब्लाक I का अभी वाणिज्यिक प्रचालन धोषित किया जाना था। अतः, उत्पादन केन्द्र के ब्लाक I की मूल क्षमता 670 मेगावाट मानी गई। तद्नुसार उत्पादन केन्द्र की ढ़ीलशुदा क्षमता को निम्न अनुसार माना गयाः

ब्लाक – I	670.00 मेगावाट
ब्लाक – II	668.54 मेगावाट
ब्लाक – III	668.54 मेगावाट
कुल क्षमता	2007.08 मेगावाट

आयोग ने ब्लाक II और III (1337.08 मेगावाट) के लिए 1.09.2007 से 31.03.2009 की अवधि के लिए आरजीपीपीएल के टैरिफ अनुमोदित किए।

आयोग द्वारा 1.09.2007 से 31.03.2009 की अवधि के लिए ब्लाक II और III के नियत प्रभार स्वीकार कर लिए गए हैं। आयोग ने, प्रति किलो वाट घण्टा 187.47 पैसे (एक्स–बस) के ऊर्जा प्रभार की मूल दर भी अनुमोदित कर दी है।

¼9½ fu th {k= dh ifj;kstuk] lstu lhlhihih ¼1147-5 esxkokV½ ds lac/k esa 2009&14 dh vof/k ds fy, VSfjQ dk vuqeksnuA

टोरेन्ट पॉवर लिमिटेड की सूजेन कम्बाइंड साइकल पॉवर प्रोजेक्ट (सीसीपीपी) प्रत्येक 382.05 मेगावाट की क्षमता के 3 पॉवर ब्लाक वाली एक विशाल परियोजना है जिसकी सचंयी क्षमता 1147.5 मेगावाट है। प्रत्येक पॉवर ब्लाक में एक उच्च स्तरीय उत्कृष्ट गैस टर्बाइन, एक स्टीम टर्बाइन एक हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर (एचआरएसडी) सहित एकल शाफ्ट संरूपण में सयोजित एक जनरेटर हैं। ये गैस टर्बाइन सीमन्स मैक वाले उच्च स्तरीय उत्क्ष्ट गैस टर्बाइन एसजीटी 54000 एफ हैं। जिनमें आम गैस टर्बाइनों के मुकाबले अधिक प्रचालन दक्षता है और इनमें एनओएक्स उत्सर्जन कम होता है। इस संयंत्र में ईंधन के रूप में केवल प्राकृतिक गैस/पुनः गैसकृत तरलकृत प्राकृतिक गैस (आर–एलएनजी) के इस्तेमाल की परिकल्पना की गई हैं।

तीनों ब्लाकों वाली इस समग्र परियोजना की परियोजना पूंजीगत लागत 2996 करोड़ रूपये आंकी गई है। यह पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट 2.61 करोड़ रूपये है जो देश में स्थापित हो रहे अन्य गैस आधारित बिजली संयंत्रों की तुलना में बहुत कम है।

आयोग ने टोरेन्ट पॉवर लिमिटेड सूजेन 1147.5 मेगावाट के टैरिफ को प्रथम ब्लाक के वाणिज्यिक प्रचालन से 31.03. 2014 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया है। यह संयोगवश केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 पर आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्र के लिए जारी प्रथम टैरिफ आदेश है।

lstu lhlhihih ds fy, vks,.M,e ykxr ekun.Mksa esa <hy

आयोग ने 2009–14 की अवधि के लिए सूजेन सीसीपीपी के टैरिफ को अनुमोदन करते समय निम्नलिखित आधार पर टैरिफ विनियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट ओएण्डएम लागत मानदण्डों में ढ़ील दीः

1. 2009–14 की अवधि के लिए सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 में लघु गैस टर्बाइन केन्द्रों को छोड़कर गैस/तरल ईंधन संबंधी ओएण्डएम लागत मानदण्डों को 2002–03 से 2007–08 की अवधि के लिए एटीपीसी केन्द्रों, जो उच्च स्तरीय उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं कर रहे है, की वास्तविक आकड़ों पर उचित विचार करने के बाद निर्धारित किया। उच्च स्तरीय उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले देश में गैस/तरल ईंधन आधारित केन्द्रों के संबंध में प्रचालन एवं अनुरक्षण आकड़ें उपलब्ध न होने से प्रौद्योगिकी की उत्कृष्टता के आधार पर विनियम में मानदण्डों को अंतिम रूप देते समय कोई अन्तर नहीं किया गया।
2. ये 'ई' क्लास और 'एफ' क्लास गैस टर्बाइनों के बीच महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय अन्तर हैं। एफ क्लास गैस टर्बाइनों को 1250–1320 डिग्री सेल्सियस के ईंधन उत्तेजक तापमान के लिए तैयार किया गया है जो 1090–1100 डिग्री सेल्सियस के उत्तेजक तापमान वाले 'ई क्लास गैस टर्बाइन से कहीं अधिक है।
3. उच्च स्तरीय उत्कृष्ट मशीनों के निष्पादन के महत्वपूर्ण सफल कारक, लम्बी अवधि तक अतिरिक्त पुर्जों की उपलब्धता तथा ओईएम अपूर्तिकर्ताओं से विशिष्टीकृत तकनीकी ज्ञान के प्राप्त कुशल कार्मिकों द्वारा गैस टर्बाइनों की बिक्री उपरान्त सेवा पर निर्भर है। चूंकि परियोजना विकासकर्ता उष्मा दर, उत्सर्जनों, निष्पादन एवं विशिष्ट लागतों में प्रतियोगी लाभ लेने के लिए लगातार उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकियां चुनते है, अतः, मात्रा की दृष्टि से जोखिम मूल्यांकन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि उच्च स्तरीय उत्कृष्ट मशीन के प्रचालन की उपलब्धता तथा दक्षता स्तरों के लिए समुचित विश्वास स्तर पैदा हो।

   तकनीकी जोखिम के प्रति वित्तीय व्यय को कम करने के लिए ओईएम के साथ दीर्घकालिक सेवा करना (एलटीएसए) तथा दीर्घकालिक प्रबंधन करना (एलटीएमए) और अधिक प्रचलित और वांछनीय हो रहे हैं। टोरेन्ट पॉवर लिमिटेड ने ओईएम के साथ एलटीएसए/एलटीएमए किया है। चूंकि, स्वामित्व तकनीकी जानकारी के साथ महत्वपूर्ण पुर्जों से सेवाएं ओईएम से प्राप्त की जा रही हैं, ये अतिरिक्त पुर्जे व सेवाएं पुराने माडलों की तुलना में

महंगे हैं। इसके अलावा, घटकों व अतिरिक्त पुर्जों की लागत का बडा भाग विदेशी मुद्रा में संदेय होता है तथा इसमें उतार–चढाव से प्रचालन व अनुरक्षण (ओएण्डएम) व्यय की वृद्धि पर प्रभाव पडता है।

4) इसके अलावा, आयोग ने यह देखा कि गैंस टबाईन प्रौद्योगिकी दिन–प्रतिदिन उन्नत होती जा रही है। जिससे उत्तम आर्थिक व पर्यावरणीय निष्पादन मिलने की आशा बनती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, तथा लागत फायदा विश्लेषण पर, जो उपभोक्ताओं के पक्ष में रहा, पर विचार करने के बाद, आयोग ने नीचे दिए अनुसार 2009 विनियमों के विनियम 19(x) में विनिर्दिष्ट संनियमों को शिथिल करके सीईआरसी विनियम, 2009 के विनियम 44 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूर्जन सीसीजीटी के मामले में ढीलशुदा ओएण्डएम व्यय संबंधी संनियमों की अनुज्ञात किया।

प्रति मेगावाट लाख रू0

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
एलटीएसए–एलटीएमए	17.18	17.18	17.22	17.18	17.18
एलटीएसए–एलटीएमए को	9.52	9.93	10.79	11.73	12.50
छोडकर ओएण्डएम लागत योग	26.70	27.11	28.01	28.91	29.68

5) आयोग ने 19–7–2009 से 31–3–2014 तक की अवधि के लिए भी वार्षिक नियत प्रभार अनुज्ञात किए।

आयोग ने प्रति किलोवाट घण्टा 223.11 पैसे (एक्स–बस) के ऊर्जा प्रभार की आधार दर को भी अनुमोदित कर दिया है।

¼[k½ 2004&09 d nkjku vfrfjDr iath 0;;

अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का अनुमोदन तथा 2004–09 की अवधि के लिए स्वीकृत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पर आधारित टैरिफ का पश्चात्वर्ती पुनरीक्षण।

1) एनटीपीसी केन्द्र

एनटीपीसी ने वर्ष 2004–05 की अवधि के लिए परियोजनाओं अर्थात्: सिम्हाद्री टीपीएस (1000 एमडब्लू), रामागुंडम स्टेज–।। (2100 एमडब्लू) और चरण–।।। (500 एमडब्लू), कोरबा एसटीपीएस (2100 एमडब्लू), विध्यांचल एसटीपीएस चरण–। (1260 एमडब्लू), रिहंड एसटीपीएस (चरण–।। (1000 एमडब्लू), तलचर एसटीपीएस (चरण–।। (2000 एमडब्लू), कवास जीपीएस (656.20 एमडब्लू), फिरोज गांधी ऊंचाहार टीपीएस (चरण–।) (420 एमडब्लू), अंता जीपीएस (419.33 एमडब्लू) और फरीदाबाद जीपीएस (431.586 एमडब्लू) अतिरिक्त पूंजी व्यय के अनुमोदन और वार्षिक नियत दरों (एएफसी) के संशोधन हेतु 11 याचिकाएं दायर की हैं।

आयोग ने 2004–07 की अवधि के लिए तलचर टीपीएस (460 एमडब्लू) और दिनांक 25–3–2005 और 31–3–2008 तक रामागुंडम टीपीएस–।।। स्टेज– III (500 एमडब्लू) के अतिरिक्त पूंजी व्यय को अनुमोदित कर दिया है। आयोग द्वारा अतिरिक्त पूंजी व्यय को भी अनुमोदित कर दिया है।

2) एनएलसी केन्द्र

आयोग ने 2007–08 और 2008–09 की अवधि के दौरान अनुमोदित अतिरिक्त पूंजी व्यय के आधार पर एनएलसीटीपीएस–।, टीपीएस (विस्तार) और टीपीएस–।। (चरण–।) और चरण–।। की स्थिर दरों की संशोधित कर दिया है।

¼x½ iqufoZyksdu ;kfpdk

आयोग ने वर्ष 2001–04 और 2004–09 अवधि के लिए आयोग के विभिन्न टैरिफ आदेशों तथा केविविआ (टैरिफ के निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के पुनरीक्षण के लिए एनटीपीसी, असम राज्य विद्युत बोर्ड (एएसईबी), टीएनईबी तथा एमपीपीटीसीएल द्वारा फाइल की गई पुनर्विलोकन याचिकाओं का निपटान कर दिया है।

¼?k½ fofo/k ;kfpdk,@ekeys

1½ FkeZy rFkk gkbMªks Åtkz ;wfuVksa ds iapkyu dk lhfer fu;U=d rjhdk

आयोग ने, विभिन्न उत्पादकों, प्रणाली प्रचालकों के साथ लम्बे विचार विमर्श के बाद तथा सीईए से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर, दिनांक 20–8–2009 के आदेश द्वारा उत्पादकों को आपूर्ति पक्ष प्रबंधन के रूप में उनकी थर्मल व हाइड्रो उत्पादक यूनिटों में प्रचालन को सीमित नियन्त्रक तरीका (आरजीएमओ) लागू करने के निदेश दिए ताकि नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार ग्रिड फ्रिक्वेंसी में उतार–चढाव को समान स्तर पर लाया जा सके।

1. 200 मेगावाट और इससे अधिक के थर्मल सेटों के लिए केडब्ल्यू और एलएमजेड टर्बाइनः

   क) सॉफ्टवेयर आधारित ईएचजी प्रणालीः 1.03.2010

   ख) जब बायलर कंट्रोल ''ऑटो'' में हाडवेयर आधारित ईएचजी प्रणालीः 1.06.2010

2½ 10 ekxkokV vkSj blls vf/kd dh gkbMªks ;wfuV% 10-03-2010

सभी उत्पादन कम्पनियों को एक माह के भीतर उक्त अनुसूची के अनुसार, अपनी कार्य योजनाओं को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने और इस संबंध में, आयोग को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए। एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी, टीएचडीसी, जैसे विभिन्न केन्द्रीय उत्पादकों तथा राज्य उपयोगिताओ ने दिनांक 20.08.2009 के आयोग के आदेश के अनुसार अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं।

इलेक्ट्रो–हाइड्रोलिक गर्वनर तर्क पर, प्रत्येक यूनिट के योगदान को 5 प्रतिशत अधिकतम सतत मूल्यांकन (एमसीआर) (50.5 हर्टज से अधिक की फ्रिक्वेंसी को छोड़कर) सीमित किया गया है, संशोधित ईएचजी तर्क के कार्यान्वयन के बाद किसी स्टेशन की यूनिटों को एक–एक करके एफएमजीओ पर रखा जा सकता है चाहे अन्य यूनिटें एफएमजीओ में हों या नहीं। उत्पादकों द्वारा पहले इस आशय की व्यक्त चिंता को संशोधित ईएचजी तर्क से पर्याप्त रूप से दूर कर दिया गया है कि जब सभी यूनिटों को एफजीएमओ पर नहीं रखा जाता, उनकी व्यक्तिगत यूनिट पर फ्रिक्वेंसी नियन्त्रण का दवाब बहुत अधिक होगा।

वर्तमान आईईजीसी के पैरा 5.4 में उस स्थिति में राज्यों द्वारा मैनुअल डिमाण्ड डिस्कनेक्शन के रूप में मांग पक्ष प्रबंधन का प्रावधन किया गया है जब फ्रिक्वेंसी 49.2 हटेज से कम हो जाए। आयोग ने अपने आदेश में यह निदेश दिया कि कम फ्रिक्वेंसी लोड शेडिंग के आकस्मिक उपायों के कम फ्रिक्वेंसियों में कार्य करने पर भी फ्रिक्वेंसी तथा निवल बिजली प्रापण, दोनों के प्रति, संवेदनशील राज्यों द्वारा अनिवार्यतः कनेक्शन हटाने की स्वतः मांग की व्यवस्था करने के लिए इस खण्ड में संशोधन किया जाएगा।

7-5 gkbMªks mRiknu

इस समय आयोग दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर, शेष सभी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित 6 हाइड्रो उत्पादन कम्पनियों (एनएचपीसी, निपको, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी तथा डीवीसी), जिनकी 23 केन्द्रों में कुल संस्थापित क्षमता 8574 मेगावाट है, का टैरिफ विनियमित कर रहा है। स्टेशनों की किस्म व वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष का ब्यौरा अनुबंध–IV में दिया गया है।

वर्ष के दौरान, उपरोक्त हाइड्रो उत्पादन कंपनियों और उनके फायदाग्राहियों से संबंधित 21 याचिकाओं पर विचार किया गया है। इसमें दो याचिकाएं वर्ष 2008–09 की अवधि के लिए अंतिम उत्पादन दरों के अनुमोदन के संबंध में, 18 याचिकाएं एनएचपीसी की वर्ष 2008–09 तक विभिन्न वर्षों में अतिरिक्त पूंजी व्यय के लिए और एक (अन्य) एनएचपीसी द्वारा दाखिल की गई है। एनएचपीसी ने दिनांक 7–4–2007 से 31–3–2009 तक की अवधि तक दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (3x130 एमडब्लू) और दिनांक 01–03–2008 से 31–03–20009 तक की अवधि के लिए तिस्ता एचई परियोजना चरण–V (3x170 एमडब्लू) के लिए उत्पादन दरों के अनुमोदन के लिए याचिकाएं फाइल की है।

¼d½ 2004&09 dh vof/k ds fy, vfre mRiknu VfjQ ds vuqeksnu ds fy, ;kfpdk,a

¼1½ nqygLrh ,pbZ ifj;kstuk ¼3x130 ,eMCyw½

उत्पादन केन्द्र तालाब के साथ व्यस्ततम के प्रभार के नदी से चलने वाला केन्द्र है जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थिर हैं तालाब उत्पादन केन्द्र में 130 मेगावाट की 3 यूनिट हैं जिनकी वार्षिक ऊर्जा 1907 एम यू की हैं इसमें धारा उत्पादन विद्युत का 12 प्रतिशत जम्मू और कश्मीर राज्य को निःशुल्क दिया जाता है। उत्पादन केन्द्रों की सभी तीन यूनिट दिनांक 7–4–2007 से व्यावसायिक प्रचालन के तहत घोषित की गई है।

आयोग ने याचिका संख्या 141/2006 में दिनांक 20–3–2007 अपने आदेश के द्वारा ''बैंक लोडेड टैरिफ मॉडल'' पर उत्पादन केन्द्र के व्यवसायिक प्रचालन की तारीख से अस्थायी दरों को अनुमोदित किया है।

इस आदेश में व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक अनुज्ञात वार्षिक नियत प्रभार की दरों को नीचे तालिका में दर्शित किया गया है:–

	7&4&2007 ls 31&3&2008	2008&09
,,Qlh ¼:0 yk[k esa½	75824.23	84437.47

आस्थगित देनदारियों के निपटान और वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी मद के प्रभाव को ध्यान में रखने के बाद वार्षिक स्थायी प्रभारों के पुनर्विलोकन के लिए याचिका दायर की गई। आयोग ने दिनांक 9–3–2010 के आदेश द्वारा 7–4–2007 से 31–3–2009 तक की अवधि के वार्षिक नियत प्रभारों को संशोधित किया है जिनका सार निम्नानुसार हैः–

	7&4&2007 ls 31&3&2008	2008&09
,,Qlh ¼:0 yk[k e½	75913.90	84978.00

¼2½ frLrk ,pbZ ifj;kstuk LVst&V ¼3x170 ,eMCY;w½

यह उत्पादन केन्द्र, सिक्किम राज्य में स्थित भूमिगत ऊर्जा केन्द्र एवं सीमित धारण क्षमता के साथ पीकिंग प्रभार का नदी से चलने वाला है। जिसमें 170 एमयू की तीन यूनिटें हैं, जिनकी वार्षिक डिजाइन ऊर्जा 2572.67 एमयू की है। उत्पादित विद्युत का 12% सिक्किम राज्य को निःशुल्क दिया जाता है। उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक परिचालन की तारीख 10–4–2008 है। इस आदेश में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक उत्पादन केन्द्र के लिए अनुज्ञात वार्षिक नियत प्रभारों दरों का सार निम्नानुसार हैः

2007&08		2008&09	
1&3&2008 ls	1–4–2008 से	3–4–2008 से	10–4–2008 से
31&37&2008	2–4–2008	9–4–2008	31–3–2009

	;fuV&II	;fuV&II	;fuV&II vkSj III	lHkh ;fuV
एएफसी (रू0 लाख मे)	918.89	60.11	439.25	33097.79

¼[k½ iqufoZyksdu ;kfpdk rFkk vfrfjDr iwathdj.k

¼1½ peSjk&I ¼3x180=540 esxkokV½

आयोग द्वारा दिनांक 9–5–2006 के ओदश द्वारा 1–4–2004 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए चमेरा–I उत्पादन केन्द्र की दरों को अनुमोदित किया गया था और दिनांक 5–2–2007 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था। आयोग द्वारा अनुमोदित संशोधित नियत प्रभार दरें निम्नानुसार हैंः–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	20178.98	19091.28	19366.79	19653.88	19952.65

आयोग ने, वर्ष 2004–2005 और 2005–2006 के लिए अतिरिक्त पूंजी खर्च के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, 1–4–2004 से 31–3–2009 तक की अवधि तक वार्षिक नियत प्रभारों दरों को संशोधित किया है। जिसका सार निम्नानुसार हैंः–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	20186.32	19131.37	19428.55	19715.65	20014.41

¼2½ cSjklwy gkbMªks byfDVªd ifj;kstuk ¼3x66 esxkokV½

बैरासूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के उत्पादन केन्द्र के लिए वर्ष 2004–09 की अवधि के लिए आयोग के दिनांक 26.3.2008 के आदेश के तहत स्वीकृत नियत प्रभार निम्नलिखित हैं :–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	5471.94	4876.29	5007.97	5144.99	5287.35

आयोग ने वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण/गैर–पूंजीकरण के कारण दिनांक 14.10.2009 के आदेश के तहत दिनांक 01.4.2004 से 31.3.2009 के अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों को संशोधित किया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	5470.71	4870.50	5005.05	5142.09	5284.45

लेखा बहियों के समाधान के बाद याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के लिए दावा किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय। आयोग ने दिनांक 18 दिसंबर 2009 के आदेश के अधीन वर्ष 2006–07 से 2008–09 की अवधि के लिए वार्षिक नियत लागत को संशोधित किया, जो निम्नलिखित है :–

	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	5007.48	5152.69	5301.35

¼3½ ykdVd gkbMªks byfDVªd ifj;kstuk ¼3x35 esxkokV½

याचिकाकर्ता ने, वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद दिनांक 01.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के लिए नियत प्रभारों के संशोधन के लिए एक याचिका दायर की। आयोग ने दिनांक 01.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों को संशोधित किया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	4748.35	4858.03	4995.39	4998.00	5000.77

याचिकाकर्ता ने, वर्ष 2006–07 और 2007–08 और 2008–09 के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद वार्षिक नियत प्रभारों के लिए याचिका दायर की है। आयोग ने दिनांक 10.2.2010 में आदेश के तहत दिनांक 01.4.2006 से 31.3.2009 की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों को संशोधित किया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	4995–43	5004–36	5018–12

¼4½ jftr gkbMªks byfDVªd ifj;kstuk ¼3x20 esxkokV½

इस उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 15.2.2000 को घोषित की गई थी। 49155.33 लाख रू. (एफईआरवी तथा वर्ष 2001–04 की अवधि के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहित) की पूंजीगत लागत के आधार पर दिनांक 5.2.2007 के आदेश के तहत आयोग द्वारा अनुमोदित 2004–09 की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभार निम्नलिखित हैं :–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	7317.39	5001.28	5265.03	4636.99	4680.23

इसके बाद, आयोग ने दिनांक 12.1.2009 के आदेश के तहत, वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद, नियत प्रभारों को संशोधित किया तथा 1.4.2005 से 31.3.2009 की अवधि के लिए निम्नलिखित टैरिफ स्वीकृत किया :–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	7319.87	5007.32	5317.21	4640.58	4683.82

¼5½ Vudiqj gkbMªks byfDVªd ifj;kstuk ¼3x31-4 esxkokV½

यह उत्पादन केन्द्र अप्रैल, 1993 के दौरान चालू किया गया था। दिनांक 31.3.2004 को 38920.46 लाख रू. (एफईआरवी सहित) की पूंजीगत लागत के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक 9.5.2006 के आदेश के तहत वार्षिक नियत प्रभारों को अनुमोदित किया गया, जो निम्नलिखित हैं :–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	4733.40	4741.08	4769.39	4577.41	4682.00

दिनांक 17.9.2009 के आदेश के तहत दिनांक 1.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के लिए वर्ष 2004–06 के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद संशोधित वार्षिक नियत प्रभारों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	4739.98	4751.67	4775.42	4592.02	4696.64

इसके अलावा, लेखा बहियों के समाधान के बाद याचिकाकर्ता द्वारा की 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के लिए दावा किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में, आयोग ने वर्ष 2006–07 से 2008–09 की अवधि के लिए वार्षिक नियत लागत को संशोधित किया, जो निम्नलिखित है :–

	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	4784.19	4611.84	4718.37

¼6½ bfnjk gkbMªks byfDVªd ifj;kstuk ¼8x125 esxkokV½

दिनांक 01.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के लिए उत्पादन केन्द्र के लिए टैरिफ, आयोग द्वारा दिनांक 6.2.2007 के आदेश के तहत अनुमोदित किया गया था। याचिकाकर्ता ने 25.8.2005 से 31.3.2008 की अवधि के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित नियत प्रभारों के अनुमोदन के लिए याचिका दायर की थी। आयोग ने दिनांक 20 अक्तूबर, 2009 के आदेश के तहत 25.8.2005 से 31.3.2009 की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों को संशोधित किया जो निम्नलिखित है :–

	25.8.2005 से 31.3.2006	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	24923.68	41600.46	43328.63	49548.47

¼7½ mjh gkbMªks byfDVªd ifj;kstuk ¼4x120 esxkokV½

याचिकाकर्ता ने 1.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के लिए वर्ष 2004–05 और 2005–06 हेतु अतिरिक्त पूंजीगत व्यय/निःपूंजीकरण के प्रभाव पर विचार करने के बाद, नियत प्रभारों के संशोधन के लिए एक याचिका दायर की है। आयोग ने 01.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों को दिनांक 25 जून, 2009 के आदेश के तहत संशोधित किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	44691.32	39344.00	46940.85	30919.26	27426.29

इसके अलावा, वर्ष 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के लिए दावा किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में, आयोग ने, दिनांक 5.1.2010 के आदेश के तहत 2006–07 से 2008–09 की अवधि के लिए वार्षिक नियत लागत को संशोधित किया है जो निम्नलिखित है :–

	2006–07	2007–8	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	46941.19	30921.38	27428.33

¼8½ peјk gkbMªks byfDVªd ifj;kstuk ¼3x100 esxkokV½ pj.k&II

याचिकाकर्ता ने, 1.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के लिए वर्ष 2004–05 और 2005–06 के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय/निःपूंजीकरण के प्रभाव पर विचार करने के बाद, नियत प्रभारों के लिए याचिका दायर की है। आयोग ने दिनांक 9 जून, 2009 के आदेश के तहत 1.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों को संशोधित किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	29052.21	30243.57	35503.22	35964.19	34737.20

¼9½ /kkSyhxaxk gkbMªks byfDVªd ifj;kstuk] pj.k&I ¼4x70 eSxkokV½

याचिकाकर्ता ने वर्ष 2006–07 से 2008–09 के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद वार्षिक नियत प्रभारों के संशोधन के लिए याचिका दायर की है। आयोग ने दिनांक 11.2.2010 के आदेश के तहत वर्ष 2006–07 से 2008–09 के लिए वार्षिक नियत प्रभारों को संशोधित किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	17532.62	17706.16	17822.08

¼10½ lyky gkbMªks byfDVªd ifj;kstuk ¼6x115 eSxkokV½

उत्पादन केंद्र दिनांक 1.4.1995 को चालू किया गया था। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2004–05 से 2005–06 के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद वार्षिक नियत प्रभारों के संशोधन के लिए याचिका दायर की। आयोग ने, दिनांक 4 जनवरी, 2010 के आदेश के तहत वर्ष 2004–05 से 2005–06 के लिए वार्षिक नियत प्रभारों की याचिका का निपटान यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि सामान्य आदेश के माध्यम से 2006–07 से 2008–09 की अवधि के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पर विचार करने के बाद पाया गया कि अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए संशोधित टैरिफ का परिकलन किया जाए।

आयोग ने 1–4–2004 से 31–3–2009 की अवधियों के लिए दिनांक 7–1–2010 के आदेश के जरिए 2004–05 से 2008–09 की अवधि के लिए वार्षिक नियत प्रभारों का निम्नानुसार परीक्षण किया :–

	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
एएफसी (रू0 लाख में)	18548.19	17019.33	16966.35	17301.13	17661.72

¼x½ fofo/k ;kfpdk,¡

NwV rFkk ekudh; okf"kZd lala= miyC/krk dkjd dk iqufuZ;ru

याचिकाकर्ता (एनएचपीसी) ने टैरिफ विनियमों के विनियम 44 के अधीन छूट के लिए तथा दुल्हस्ती, चमेरा चरण–II (तालाब आकार के उत्पादन केन्द्रों) और सलाल, उरी और टनकपुर (नदी अपवाह उत्पादन केन्द्रों) के लिए एनएपीएफ के पुनर्निर्धारण के लिए याचिका दाखिल की थी। याची ने मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक में अपने सभी उत्पादन केन्द्रों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष के दौरान 5 प्रतिशत तक छूट भी मांगी थी। याची ने इसके अतिरिक्त, जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट समय सीमा में छूट भी मांगी थी ताकि वह उस समय जब पूरा करने के लिए उत्पादन कंपनी जिम्मेवार न हो, साम्या पर 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रतिफल का दावा कर सके। यह याचिका दिनांक 23 जून 2009 के आदेश के जरिऐ खारिज कर दी गई थी, चूंकि वह समर्थन योग्य नहीं था। 31–3–2009 की स्थिति के अनुसार, हाइड्रो केन्द्रों के संयुक्त टैरिफ के ब्यौरे अनुबंध–5 में दिए गए हैं।

7-6 ikj"k.k

देश में विभिन्न अन्तर–राज्यिक पारेषण तत्वों के लिए पारेषण टैरिफ आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। एनआरएलडीसी और एसआरएलडीसी ने ग्रिड सुरक्षा बनाए रखने के लिए ग्रिड से अति–उत्पादन पर अंकुश लगाने के लिए इकाईयों को निर्देश देने के लिए याचिकाएं दाखिल की थीं। आयोग ने अपनी ओर से भी निर्धारित सीमाओं के भीतर ग्रिड आवृति बनाए रखकर नए और दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिडों को सुरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यवाहियां आरम्भ की थी। आयोग ने, राज्य उपयोगिताओं पर जुर्माने भी लगाए थे। अन्तर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच की महत्ता के मद्देनजर, आयोग ने अनेक उपयोगिताओं/एसएलडीसी के लिए कुछ राज्य भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा निर्बाध पहुंच प्रदान करने संबंधी विवादों से संबंधित याचिकाओं में भेदभाव रहित निर्बाध पहुंच मुहैया कराने के लिए अनेक आदेश दिए। आयोग ने पारेषण प्रणालियों के कार्यावन्यन के लिए विभिन्न एजेंसियों के लिए दो पारेषण अनुज्ञप्तियाँ भी प्रदान की।

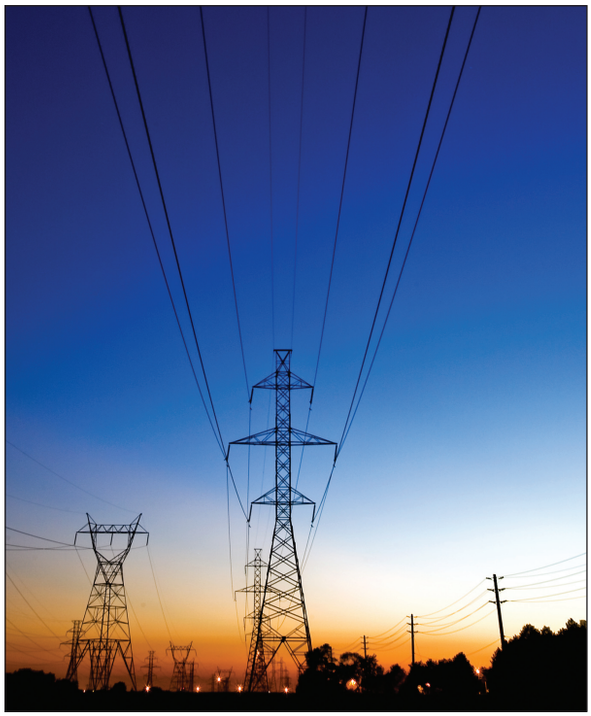

पारेषण से संबंधित कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

¼d½ ikj"k.k VfjQ

आयोग ने अंतरिम आदेशों सहित अन्तर–राज्यिक पारेषण से संबंधित याचिकाओं पर अनेक आदेश जारी किए हैं। पीजीसीआईएल द्वारा दाखिल अधिकांश टैरिफ याचिकाएं टैरिफ अवधि 2004–09 से संबंधित थी। टैरिफ याचिकाएं अंनतिम टैरिफ तथा अतिरिक्त पूंजीकरण और अन्तिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए थी। पीजीसीआईएल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अन्तरक्षेत्रीय और अंतः पारेषण प्रणाली के लिए प्रोत्साहनों के अनुमोदन के लिए अनेक याचिकाएं दाखिल की थी। अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए विशेष व्यय के अनुमोदन से संबंधित याचिकाओं को भी निपटाया गया था। चूंकि पारेषण प्रणाली तीव्रता से बढ़ रही हैं, इसलिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिकाओं की संख्या भी बढ़ रही है और अतः, इन याचिकओं के लिए पारेषण टैरिफ की गणना भारी भरकम कार्य है। आयोग ने, महसूस किया कि व्यक्तिगत रूप से विभिन्न पारेषण तत्वों के टैरिफ के संचालन की वर्तमान प्रणाली के लिए संसाधनों के उपयोग के इष्टतमीकरण के लिए पुनः जांच किया जाना अपेक्षित है। अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के द्रुत विस्तार के कारण, विभिन्न ट्रांसमिशन तत्वों का पारेषण टैरिफ निर्धारित करने के लिए आयोग के समक्ष भविष्य में महत्वपूर्ण रूप से याचिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। सरलीकरण और इष्टतमीकरण प्रयासों से संबंधित संपूर्ण मामले की जांच हेतु, आयोग ने एक कार्य समूह का गठन किया था। कार्य समूह ने आयोग के समक्ष अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, सिफारिशों के आधार पर, आयोग ने निर्धारित दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसम्पत्तियों को मिलाने का निर्णय किया था। इसके फलस्वरूप, कुछ सीमा तक अन्तर–राज्यिक पारेषण टैरिफ के लिए याचिकाओं की संख्या कम होगी। तथापि, 2009–10 के दौरान आयोग ने, अन्तर–राज्यिक पारेषण टैरिफ से संबंधित बड़ी संख्या में याचिकाओं को निपटाया था। ब्यौरे अनुबंध–1 में दिए गए हैं।

¼[k½ vuu|lfpr fofue; ¼;vkb½ iHkkjk d Hkxrku e 0;frØeh mi;kfxrkvk ij dkjokbl

एबीटी तंत्र के तहत, टैरिफ के ऊर्जा प्रभार घटक में केवल अनुसूचित ऊर्जा शामिल है और किसी अतिरिक्त उत्पादन का भुगतान केवल यूआई तंत्र के माध्यम से किया जाता है। यूआई लेखे साप्ताहिक चक्र और आईईजीसी के अनुसार जारी

किए जाते हैं। यूआई प्रभारों के भुगतान को उच्च वरीयता दी जाती है। संबंधित इकाईयों को आरएलडीसी द्वारा प्रचालित क्षेत्रीय पूल खाते में निर्दिष्ट राशि का भुगतान संबंधित आरपीसी द्वारा बिलों के जारी होने के 10 दिनों के भीतर करना आवश्यक है। आयोग ने यह संप्रेषण किया की यूआई प्रभारों के अंसदाय को ग्रिड से बिना भुगतान किए बिजली लेना माना जाएगा। यूआई शोध्यों के संदाय में व्यतिक्रम करने के लिए अनेक व्यतिक्रमी ईकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

- आयोग ने दिनांक 16–2–2009 के जरिए जम्मू और कश्मीर (जेएण्डके) के विरूद्ध यूआई प्रभारों के भुगतान में चूक के लिए स्वप्रेरणा कार्यवाही सं0 29/2009 आरम्भ की थी। दिनांक 30–3–2009 के आदेश के जरिए अधिनियम की धारा 142 के तहत एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया था। अपनी ओर से कार्यवाहियां दिनांक 11–5–2009 के आदेश के जरिए प्रतिवादी को 30–9–2009 तक बकाया ब्याज की समस्त राशि का भुगतान करने के निर्देश दे करके निपटाई थी। यह भी निर्देश दिया था कि प्रतिवादी 30–9–2009 के स्थिति के अनुसार, ब्याज की बकाया राशि पर 1–10–2009 से 12 प्रतिशत की दर से और अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, जेएण्डके ने आदेश का पालन नहीं किया था और चूक को दखते हुए, आयोग ने दिनांक 13.11.2009 के आदेश के जरिए कार्यवाही सं0 259/2009 आरम्भ की थी और जेएण्डके को दिनांक 11–5–2009 के आदेश के उल्लंघन के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया था। यह मामला आयोग के समक्ष लंबित है।
- दिनांक 2–4–2009 के आदेश द्वारा स्वप्रेरणा याचिका संख्या 34/2009 पर, आयोग ने अधिनियम की धारा 142 के तहत एमपीपीटीसीएल पर 1,00,000/– रूपए का जुर्माना लगाया था तथा दिनांक 30–6–2009 के आदेश के जरिए, यूआई देय के असंदाय के लिए धारा 149 के तहत एमपीपीटीसीएल के प्रबंध निदेशक पर 10,000/– रूपए का सांकेतिक जुर्माना लगाया था।
- विद्युत विभाग, दमन और दीव को यूआई प्रभारों के असंदाय के लिए याचिका सं0 112/2009 (स्वतः) के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयोग ने दिनांक 27–7–2009 के आदेश के जरिए विद्युत विभाग, दमन एवं दीव द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर यूआई देय का भुगतान करने के लिए की वचनबद्धता के पश्चात् स्वप्रेरणा कार्यवाहियों को बंद कर दिया था।
- केपीटीसीएल को यूआई प्रभारों के असंदाय के लिए याचिका सं0 113/2009 (स्वतः) के द्वारा कारण नोटिस जारी किया था। आयोग ने दिनांक 18.12.2009 के आदेश के जरिए केपीटीसीएल के विरूद्ध स्वप्रेरणा कार्यवाहियों को यूआई देय और उस पर अधिभार को निर्धारित समय–सीमा के भीतर भुगतान के पश्चात् बंद कर दिया था।
- हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटिड (एचवीपीएनएल) को भी याचिका सं0 237/2009 (स्वतः) पर यूआई प्रभारों के भुगतान में विलम्ब के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। प्रतिवादी द्वारा नियमित भुगतान को देखते हुए, तथापि, कुछ विलम्ब से, आयोग ने दिनांक 26–2–2010 के आदेश के जरिए एचवीपीएनएल के विरूद्ध स्वतः कार्यवाहियां बंद कर दी थी।

¼x½ fxM vuq'kklu lqfuf'pr djus ds fy, mik;

¼1½ fxM vuq'kklughurk ds fy, mi;ksfxrkvksa ds fo:) dkjZokbZ

आईईजीसी, 2006 के विनियम 54.2 (क) और 64.4 में राज्य उपयोगिताओं को ग्रिड से जब कभी प्रणाली आवृति 49.5 हर्टज से नीचे हो, अपनी संबंधित उत्पादन अनुसूचियों के भीतर अपने निवल उत्पादन को प्रतिबन्धित करने के लिए प्रयास करने का अधिकार प्राप्त है। वे और आगे यह विधान करें कि जब कभी आवृति 49.2 हर्टज (पूर्व में 49.0 हर्टज) नीचे गिरती है अतिरेक उत्पादन को घटाने के लिए आवश्यक भार कमी (मैनुअल) करेंगे। आईईजीसी, 2006 के उपबंध ग्रिड से बिजली के अति उत्पादन का उस समय निषेध करते हैं जब आवृति 49.2 हर्टज से नीचे गिरती है। ग्रिड संहिता प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अनेक उपयोगिताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गई थी। आईईजीसी प्रावधानों के उल्लंघन और आईईजीसी उपबंधों और अधिनियम की धारा 29 के तहत क्षेत्रीय भार संप्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी)

के निदेशों के अननुपालन के लिए आयोग द्वारा अनेक न्यायनिर्णयन के मामले भी चलाए गए थे।

- 2009 के न्यायनिर्णयन मामले 1, 2, 3 और 4 में दिनांक 8–5–2009 के आयोग के आदेश के जरिए अधिनियम की धारा 29 और 143 के तहत दिल्ली, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान की एसएलडीसी पर क्रमशः 2.5 लाख, 3.0 लाख, 2.0 लाख और 1.0 लाख रूपए का जुर्माना लगाया था।
- दिनांक 21–8'2009 के आदेश के जरिए स्वप्रेरणा कार्यवाही सं0 105/2009 में, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि0 (यूपीपीसीएल) पर ग्रिड से अधिक निकासी के लिए अधिनियम की धारा 142 के तहत और आईईजीसी, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन पर 2.57 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्णयादेश मामले सं0 5/2009 में दिनांक 14–10–2009 के आदेश के जरिए यूपीपीसीएल पर 1.75 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया था। यूपीपीसीएल पर आदेश के जरिए स्वतः कार्यवाही सं0 137/2009 के द्वारा 4.62 करोड़ रूपए का जुर्माना भी लगाया गया था। यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।
- दिनांक 5–5–2009 के आदेश के जरिए स्वप्रेरणा कार्यवाही सं0 59/2009 में, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0 (आरपीवीपीएनएल) पर ग्रिड से अधिक निकासी के लिए अधिनियम की धारा 142 और आईईजीसी 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 5.00 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया था।
- आयोग ने एपीट्रांसको के विरूद्ध याचिका सं0 80/2009 में तथा टीएनईबी के विरूद्ध याचिका सं0 81/2009 में दक्षिणी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक रिपोर्टो के आधार पर दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड का सुरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रेरणा कार्यवाहियां आरम्भ की थी। आयोग ने दिनांक 11–5–2009 के अपने आदेश याचिका सं0 80/2009 में एपीट्रांसको से 1–4–2009 से 9–4–2009 की अवधि के दौरान ग्रिड संहिता के प्रावधान के उल्लंघन के लिए 1.22 करोड़ रूपए का जुर्माना वसूल किया था। आयोग ने दिनांक 8–5–2009 के अपने आदेश के जरिए याचिका सं0 81/2009 में 1–4–2009 से 9–4–2009 की अवधि के दौरान ग्रिड संहिता के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए टीएनईबी पर 1.50 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया था। यह मामला न्यायालय में न्यायाधीन है।
- आयोग ने टीएनईबी के विरूद्ध याचिका सं0 106/2009 और याचिका सं0 130/2009 में दक्षिणी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक रिपोर्टों के आधार पर दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड का सुरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रेरणा कार्यवाहियां आरम्भ की थी। आयोग ने दिनांक 21–8–2009 के अपने आदेश को याचिका सं0 106/2009 और 130/2009 को सम्मिलित करके टीएनईबी पर क्रमशः 10–4–2009 से 10–5–2009 और 25–5–2009 से 31–5–2009 की अवधि के दौरान ग्रिड संहिता और यूआई विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 4.37 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया था। यह मामला न्यायालय में न्यायाधीन है।
- एसआरएलडीसी ने टीएनईबी द्वारा 5 से 15 अक्तूबर, 2009 की अवधि के दौरान टीएनईबी के लिए एसआरएलडीसी द्वारा विभिन्न संदेशों को जारी करने के बावजूद निम्न आवृति पर अधिक निकासी के लिए याचिका सं0 232/2009 दाखिल की थी। दिनांक 30–11–2009 के आदेश के जरिए मामले की जांच करने और अधिनियम की धारा 143 के तहत समुचित आदेश करने के लिए श्री वी.एस. वर्मा की निर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्ति करके मामले को निपटाया था। न्यायनिर्णयन अधिकारी ने टीएनईबी पर निर्णयादेश मामले सं0 6/2009 में दिनांक 27–4–2010 के आदेश के जरिए 24 लाख रूपए का जुर्माना लगाया था। यह मामला न्यायालय में न्यायाधीन है।
- आयोग ने गिटकों के विरूद्ध याचिका सं0 246/2009 में पश्चिमी क्षेत्रीय भार संप्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक रिपोर्टों के आधार पर पश्चिमी क्षेत्रीय ग्रिड का सुरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतः कार्यवाहियां आरम्भ की थी। आयोग ने दिनांक 28–4–2009 के आदेश के जरिए गिटकों पर विगत रिकार्ड और 21–9–2009 से 27–9–2009 की अवधि के दौरान अधिक निकासी नियंत्रित करने में कड़ी मेहनत का प्रदर्शन करने के कारण कोई जुर्माना नहीं लगाया।

- एमएसईडीसीएल ने केन्द्रीय आयोग को इस आशय के अनुरोध की याचिका संख्या 326/2009 दायर की कि अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, 2009 के दौरान अधिक बिजली लेने वाले प्रतिष्ठानों अर्थात् पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपयोगिताओं को निदेश दिए जाए। इस मामले में सुनवाई की जा रही है।
- आयोग ने दिनांक 10.03.2010 के आदेश के जरिए स्वप्रेरणा याचिका संख्या 67/2010 में कार्यवाही शुरू की। जिसमें सीटीयू, एनएलडीसी, सभी आरएलडीसी तथा सीईए को संकुलन के कारणों तथा संकुलन दूर करने के लिए उनके द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों के संबंध में आयोग के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया क्योंकि पॉवर एक्सचेंजों के जरिए किए जा रहे सभी लेनदेन लाभप्रद सिद्ध नहीं हो रहे थे। एनएलडीसी ने सीटीयू को प्रचालन संबंधी फीड बैक दी है जिसकी एक प्रति आयोग को भेजी गई है तथा सीटीयू ने उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है। तथापि, सीटीयू को संकुलन दूर करने के लिए समय–सीमा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। इस मामले की जांच आयोग में की जा रही है।
- एसआरएलडीसी ने टीएनईबी को दिए गए विभिन्न संदेशों के वाबजूद टीएनईबी द्वारा 24 फरवरी से 23 मार्च, 2010 के दौरान कम फ्रिक्वेंसी पर अधिक बिजली निकालने के लिए याचिका संख्या 107/2010 दायर की है। इस मामले की सुनवाई की जा रही है।

½2½ vU; mik;

- एनआरएलडीसी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 29 के तहत एक याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय विद्युत ऊर्जा प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संकुलन प्रभारों को लागू करने संबंधी विनियमों की अधिसूचना की मांग करने के लिए उत्तरी क्षेत्र के घटकों को बिजली हस्तांतरण क्षमता सीमाओं को समान करने के निदेश देने की याचना की गई थी।
- आयोग ने दिनांक 23.12.2009 के अपने आदेश के जरिए सभी क्षेत्रीय उपयोगिताओं और अन्य एजेन्सियों को ग्रिड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईईजीसी के उपबंधों तथा आरएलडीसी के निदेशों का पालन करने के निदेश दिए। आरएलडीसी को याचिकाओं के माध्यम से आईईजीसी के उपबंधों की बार–बार अवेहलना करने के विशिष्ट मामलों तथा क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों द्वारा उनके निदेशों का पालन न करने की सूचना देने के निदेश भी दिए गए।
- विद्युत हस्तांतरण क्षमता सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिसम्बर, 2009 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 अधिसूचित किए गए।
- आयोग ने यह नोट किया कि मांग और आपूर्ति के बीच उल्लेखनीय विचलन का एक प्रमुख कारण राज्यों द्वारा पर्याप्त योजना न बनाया जाना है। जबकि मांग का अनुमान तैयार करना प्रत्येक राज्य/एसएलडीसी का सांविधिक कार्य है। समुचित मांग अनुमान तथा इसके साथ ही ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने दिनांक 15.12.2009 के आदेश के जरिए राज्य विद्युत बोर्डों, जहां अलग एसटीयू अभी तक गठित नहीं की गई है, सहित देश में सभी राज्य पारेषण उपयोगिताओं को ये निदेश दिया की वे आयोग को तथा अपने–अपने राज्य आयोग और राज्य सरकार, तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र को भार की पूर्ति करने के लिए योजना बनाने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- यह नोट करते हुए कि उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण 2.01.2010 को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई थी, आयोग ने दिनांक 14.01.2010 के आदेश के जरिए स्वप्रेरणा कार्यवाही संख्या 2/2010 शुरू की। और सीटीयू तथा एनआरएलडीसी को 2.01.2010 को ग्रिड में हुए व्यवधान का विस्तृत अध्ययन करने और ग्रिड व्यवधान के कारणों, अभी तक किए गए निवारक उपायों और सुझाए गए उपचारात्मक उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश दिए। यह कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

¼?k½ fo|r {k= d egRoi.k ennk d lc/k e fofHkUu ;kfpdkvk e vk;kx d vkn'k

¼1½ mÙkjh {k= e ih,e;w lLFkkiuk ij ik;kfxd ifj;kstuk d dk;kUo;u dk vuekn

उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (एनआरएलडीसी) ने याचिका संख्या 244/2009 दायर की जिसमें उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड में पीएमयू संस्थापनों में प्रायोगिक परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए यूआई पूल खाते में उपलब्ध अधिशेष निधियों के उपयोग संबंधी अनुमोदन की याचिका की गई।

व्यापक क्षेत्र में पीएमयू के जरिए सिंक्रोफेजर मापकों से बिजली प्रणाली का रीयल टाइम में गतिशील दृश्य लेने में सुविधा होगी और ये प्रभावी तरीके से ग्रिड की सुरक्षा और रक्षा की निगरानी करने में उपयोगी होंगे। इससे विश्वसनीयता मामले में कोई समझौता किए बिना बिलजी प्रणाली का बेहत्तर उपयोग भी हो सकेगा। और चार पीएमयू की आपूर्ति की व्यवस्था के साथ इन चार पीएमयू से डाटा प्राप्त करने के लिए इस परियोजना के दायरे में उत्तरी क्षेत्र में बिजली ग्रिड उपकेन्द्रों में चार पीएमयू की संस्थापना तथा एनआरएलडीसी में कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की संस्थापना शामिल है।

आयोग ने दिनांक 22.12.2009 के आदेश के जरिए सीईआरसी (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के विनियम 11 के तहत यूआई पूल खाता निधि में उपलब्ध अधिशेष से उत्तरी क्षेत्र में मापमान यूनिटों (पीएमयू) की संस्थापना हेतु 3 करोड़ रू. अनुमोदित किए।

¼2½ if'peh {k= e 0;kid {k= ic/ku i.kkyh ¼MCY;w,,e,l½ ifj;kstuk d fy, dk;kUo;u dk vuekn

पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (डब्ल्यूआरएलडीसी) मुम्बई ने याचिका संख्या 252/2009 दायर की है जिसमें ग्रिड की सुरक्षा और रक्षा बढ़ाने तथा पारेषण प्रणाली के बेहत्तर उपयोग के लिए पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड में पीएमयू आधारित डब्ल्यूएमएस परियोजना के वित्त पोषण हेतु यूआई पूल खाता निधि में उपलब्ध अधिशेष के उपयोग के अनुमोदन की याचना की है।

इस परियोजना के दायरे में पीएमयू के महत्वपूर्ण स्थान निर्धारण के लिए प्रतीक गणित का विकास शामिल है ताकि पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड में लगभग 25 से 30 स्थानों पर निरीक्षण संभावना और सुरक्षा अधिक से अधिक हो, पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड में लगभग 25 से 30 स्थानों पर पीएमयू की संस्थापना की जा सके तथा इस समय–सीमा से अधिक सीमा तक ग्रिड के प्रचालन के लिए पीएमयू डाटा का इस्तेमाल करने के लिए साफ्टवेयर का विकास किया जा सके।

आयोग ने दिनांक 15.02.2010 के आदेश के जरिए केविविआ (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के विनियम 11 के तहत यूआई पूल खाता निधि में उपलब्ध अधिशेष से पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यूएएमएस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक बारगी के रूप में 10.97 करोड़ रू. (परियोजना की आंशिक लागत के लिए 8.76 करोड़ रू. तथा घटकों और डब्ल्यूआरपीसी को डाटा उपलब्ध कराने की लागत के रूप में 2.21 करोड़ रू.) अनुमोदित किए।

¼3½ ;vkj,l dk vulphdj.k

आयोग ने दिनांक 11.11.2010 के आदेश के जरिए याचिका संख्या 134/2009 में ''एनटीपीसी केन्द्रों को अन–अध्यपेक्षित अधिशेष (यूआरएस) बिजली के उपयोग को सुकर बनाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय लेनदेनों के मामले में दैनिक अनुसूची के संशोधन में नम्यता देने के संबध में सीईआरसी (अन्तर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनिमय, 2009 में संशोधन करने हेतु कार्यवाही शुरू करने की याचिका'' के मामले में यह निदेश दिया कि आयोग के टैरिफ विनियमों द्वारा शासित सभी उत्पादन केन्द्रों को उस स्थिति में एक लाभार्थी (लाभार्थियों) की बिजली की अन–अध्यपेक्षित मात्रा की अनुसूची को उसी बिजली केन्द्र के दूसरे लाभार्थी के लिए बदलने की अनुमति दी जाएं जब इन लाभार्थियों द्वारा आईईजीसी में किए गए प्रावधान के जरिए, अर्थात् 6 टाइम ब्लाकों के भीतर या समय–समय पर संशोधित आईईजीसी के उपबंधों के अनुसार मांग की गई हो।

¼M-½ ikj"k.k vuKfIr inku djuk

(i) तिस्ता वेली पॉवर पारेषण लिमिटेड (टीपीटीएल)

टीपीटीएल एक विशेष परियोजन माध्यम है जो पॉवर ग्रिड और मेसर्स तिस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। टीयूएल, सिक्किम राज्य में तिस्ता बेसिन में 1200 मेगावाट की जल बिजली परियोजना निष्पादित कर रहा है। पीटीसी ने इस परियोजना की विक्रय योग्य ऊर्जा के 70 प्रतिशत भाग को लेने के लिए टीयूएल के साथ पीपीए किया है।

यह पारेषण परियोजना मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र स्थित टीयूएल के लाभार्थी हेतु उसकी उत्पादन परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का मूल्यांकन करने के लिए निष्पादित की जा रही है। इस परियोजना के समर्पित भाग को छोड़कर इसकी अधिशेष क्षमता का इस्तेमाल सीईए तथा सीटीयू द्वारा अंतिम रूप से तैयार संयुक्त पारेषण प्रणाली से जुड़े अन्य उत्पादकों की बिजली को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। आवेदक ने निम्नलिखित तत्वों वाली पारेषण प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

Øe l[;k	fooj.k	yEckbl
1.	तिस्ता–3 उत्पादन केन्द्र से मंगन पूलिंग केन्द्र तक क्वॉड मूज कण्डक्टर वाली 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन	2 किलोमीटर
2.	किशनगंज स्विचया में दो लाइन वेज तथा दो अदद 63 एमवीएआर रिएक्टरों सहित मंगन से किशनगंज में नए पूलिंग केन्द्र तक क्वॉड मूज कण्डक्टर वाली 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन	204 किलोमीटर

आवेदक को उक्त पारेषण तत्वों के लिए दिनांक 14.05.2009 के आदेश के जरिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह लाइसेंस 25 वर्ष की अवधि के लिए तब तक वैध रहेगा जब तक की इसे पहले निरस्त न कर दिया जाए।

(ii) ukFk bLV Vklfe'ku dEiuh fy- ¼,ubVhlh,y½

आवेदक, नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कम्पनी लि., ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कम्पनी लि. (ओटीपीसी), पॉवर ग्रिड तथा परियोजना के लिए विशेष रूप से सम्मिलित पूर्व उत्तर राज्यों का संयुक्त उद्यम है। इस समय यह कम्पनी पूर्णतः ओटीपीसी के स्वामित्व में है।

आवेदक ने पलातना से बोंगईगांव तक निम्नलिखित तत्वों वाली 400 केवी डी/सी की पारेषण प्रणाली की स्थापना करने, उसे चालू करने, उसका प्रचालन तथा अनुरक्षण करने का कार्य शुरू करने के लिए पारेषण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था:

क. 400 केवी पलातना – सिल्वर डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (युगल मूज)–250 किलोमीटर

ख. 400 केवी सिल्वर –बोंगईगांव डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (युगल मूज)–400 किलोमीटर

आवेदक को उक्त ट्रांसमिशन तत्वों के लिए आयोग के दिनाकं 16.06.2009 के आदेश के जरिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई। यह लाइसेंस 25 वर्ष की अवधि के लिए तब तक वैध रहेगा जब तक की इसे पहले निरस्त न कर दिया जाए।

(iii) ,Llkj ikoj Vklfe'ku dEiuh }kjk ikj"k.k ykbu d le:i.k e ifjorlu

एस्सार पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी को ट्रांसमिशन प्रणाली, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ माहन से सिपत पूलिंग उपकेन्द्र तक 400 केवी डी/सी (ट्रिपल कण्डक्टर) शामिल था, के निर्माण हेतु 10.04.2008 ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को ट्रांसमिशन लाइन को ट्रिपल कण्डक्टर से क्वॉड कण्डक्टर में बदलने की अनुमति का अनुरोध किया था ताकि वन क्षेत्र का कम से कम और मार्गाधिकार का इष्टतम उपयोग किया जा सके। आयोग ने दिनांक 15.09.2009 के प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन कर दिया।

7-7 uohdj.kh; Åtk

¼d½ VfjQ fu/kkj.k %

1) आयोग ने दिनांक 16.09.2009 की अधिसूचना के जरिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 (जिसे आगे ''आरई टैरिफ विनियम'' कहा गया है।) अधिसूचित की है। आरई टैरिफ विनियम की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं। आरई टैरिफ विनियम में निम्नलिखित श्रेणियों के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें तथा उसके निर्धारण की पद्वति के उपबंध हैं :

- पवन विद्युत परियोजना
- लघु हाईड्रो परियोजनाएं
- जैव समूह विद्युत परियोजनाएं
- गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक संयंत्र
- सौर फोटो वॉल्टिक (पीवी) तथा सौर थर्मल विद्युत परियोजनाएं

2) वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान चालू की जाने वाली सौर विद्युत परियोजनाओं हेतु बेंचमार्क पूंजीगत लागत संनियम तथा वित्त वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान चालू की जाने वाली सौर थर्मल विद्युत परियोजनाओं के लिए बेंचमार्क पूंजीगत लागत संनियम व मूल टैरिफ के निर्धारण के मामले में आदेश (दिनांक 19 जनवरी, 2010 के स्वतः प्रस्तावित आदेश 12/2010)

- आयोग ने वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान चालू की जाने वाली सौर पीवी बिजली परियोजनाओं के लिए 1520 लाख रू. प्रति मेगावाट बेंचमार्क पूंजीगत लागत संनियम निर्धारित किए गए।
- वित्त वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान चालू की जाने वाली सौर थर्मल विद्युत परियोजनाओं के लिए 1420 लाख रू. प्रति मेगावाट बेंचमार्क पूंजीगत लागत संनियम निर्धारित किए गए।

3) आयोग ने केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ अवधारण करने के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 8 और इसके प्रथम संशोधन के तहत वित्त वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के लिए जेनरिक उत्पादन टैरिफ का अवधारण किया। विभिन्न आरई प्रौद्योगिकियों के वित्त वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के जनरिक स्तरीकृत टैरिफ क्रमशः अनुबंध–VI और अनुबंध–VII में दिए गए हैं।

¼[k½ fofo/k vkns'k

आयोग ने आरईसी विनियमों के अनुसार दिनांक 29 जनवरी, 2010 की अधिसूचना द्वारा आरईसी विनियम के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अभीकरण के रूप में राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) को नामनिर्दिष्ट किया है।

7-8 o"kZ dk nkSjku vU; dk;ZdykiZ

¼d½ lhbZvkjlh esa fofu;ked lwpuk izcU/ku iz.kkyh ¼fjElk½

एक कम्प्यूटरीकृत अनुप्रयोग माध्यम होगा और इसे मुख्यतः सूचना संग्रहण, विनियामक विश्लेषण, अनुपालन निगरानी, निर्णय निर्माण एवं अन्य विनियामक कार्यों और प्रबंधन निर्णय सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिम्स, विनियामक और विनियमित प्रतिष्ठानों के बीच सूचना के आदान–प्रदान का उपयुक्त माध्यम होगा। रिम्स का महत्वपूर्ण उद्देश्य बिजली क्षेत्र से संबधित सूचना का प्रसार करना तथा स्टेकहोल्डरों/जनता को विनियामक की अद्यतन जानकारी देना और उसे भावी उपयोग के लिए अभिलेख में रखना हैं। इससे पारदर्शिता आने के साथ–साथ स्टेकहोल्डरों की भागीदारी भी बढ़ेगी। वर्ष 2009–10 के दौरान उपयोक्ता अपेक्षा विनिर्देश (यूआरएस) के विकास तथा रिम्स के कार्यान्वयन की योजना का कार्य पूरा कर लिया गया है और रिम्स के कार्यान्वयन हेतु विक्रेता चयन का कार्य चल रहा है।

¼[k½ dsUnzh; lykgdkj lfefr ¼lh,lh½%

वर्ष 2009–10 में 6 जुलाई, 2009 और 12 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में केन्द्रीय सलाहकार समिति की 11वीं और 12वीं बैठक हुई।

(i) dsUnzh; lykgdkj lfefr ¼lh,lh½ dh 11oha cSBd%

केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की 11 वीं बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर विचारविर्मश किया गया।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) केन्द्रीय सलाहाकार समिति की 11वीं बैठक – 6 जुलाई, 2009, नई दिल्ली

1½ u, mRiknksa dh cktkj ;kstuk

- अवधि पूर्व संविदाओं जैसे नए उत्पादों की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे बाजार का आधार बढ़ेगा तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए सीईआरसी द्वारा गहन निगरानी रखी जानी चाहिए कि सट्टेबाजी और बाजार के दुरूपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही प्रकटन के सख्त संनियम और कड़ा ग्रिड अनुशासन होना चाहिए।
- यूआई के निरंतर व्यतिकम करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए बाजार में उनकी भागीदारी पर रोक लगाने के उपायों पर विचार किया जा सकता है।
- अन्तरा–दिन उत्पादों को शुरू करने पर सहमति थी जिससे प्रचालन के दिन ही बिजली का क्रय और विक्रय किया जा सकेगा। इससे बेहत्तर भार प्रबंधन में सहायता मिलेगी। इस संबंध में प्रणाली प्रचालन में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया।
- यह सुझाव दिया गया कि परिदान आधारित क्षमता संविदाओं (इस समय उपलब्ध ऊर्जा संविदाओं के बजाय) को मांग की अनिश्चिताओं तथा संबद्ध भुगतान मार्जिन के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, और अधिक अवधि के लिए उपलब्ध कराएं जाने की आवश्यकता है।
- इस बात पर सर्वसम्मति थी कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वायदा संविदाओं, जो पूर्णतः वित्तीय उत्पाद है, को शुरू करने का उचित समय नहीं है कि विद्युत क्षेत्र में हाजिर बाजार अभी शुरूआती दौर में है और इसमें धन सुलभता की कमी है।
- जहां तक भुगतान सुरक्षा का संबंध है अंतर्ग्रस्त जोखिमों तथा दिन पूर्व मूल्यों में अधिक उतार–चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, पॉवर एक्सचेंज के लिए शत–प्रतिशत मुनाफे की आवश्यकता का समर्थन किया गया।

2½ fofHkUu cktkj ,tsfl;ksa dh Hkwfedk

- यह महसूस किया गया कि व्यापारी और पॉवर एक्सचेंज बिना किसी टकराव के एक–साथ चल सकते हैं। उनकी भूमिका और कार्य क्षेत्र एक दूसरे से अलग है और एक के अस्तित्व से दूसरे के अस्तित्व को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता।
- व्यापारियों की भूमिका में प्रचूर मात्रा में क्रय–विक्रय, अल्पकालिक तथा मध्य–कालिक उत्पादकों के पोर्टफोलियों का प्रबंधन, उत्पादकों को सलाहकार सेवा देना, विकासकर्ताओं आदि को वित्तीय सहायता तथा परस्पर सहायता शामिल है।
- व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों को निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं के लिए अकेले बिजली आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका भी निभानी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो विक्रेताओं तथा क्रेताओं दोनों का एकत्रीकरण करने के लिए विनियामक ढ़ांचे को संशोधित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कि व्यापार संबंधी संविदाओं को अलग से एक–एक के लिए होने की आवश्यकता नहीं है और व्यापारी लाइसेंसधारकों को उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को एकत्र करने की स्वतन्त्रता होगी।
- पॉवर एक्सचेंज मानकीकृत संविदा व नियन्त्रित जोखिम के साथ बाजार स्थल उपलब्ध करा सकते हैं। व्यापारी बाजार की विषमताओं को अपने तुलन–पत्र में शामिल करके एक्सचेंज के आसपास स्थल का इस्तेमाल कर सकते है।
- तथापि, इस बात का सशक्त आग्रह किया गया कि विशेषतः पारेषण क्षमता के समुचित आबंटन तथा अर्हता की अपेक्षा, तकनीकी क्षमता तथा बाजार में भागीदार सभी प्रचालकों की उधार साख के सन्दर्भ में, व्यापारियों व पॉवर एक्सचेंजों के बीच व्यापार के समान अवसर होने चाहिए।

- पॉवर एक्सचेंज में सदस्यों बिचौलियों, अर्थात वृत्तिक सदस्यों की अर्हताओं तथा वित्तीय क्षमताओं की विनियामक संवीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया।

3½ ikoj ,Dlpst e dher vuqeku ifØ;k

- कीमत अनुमान तन्त्र ठोस और दुरस्त होने चाहिए।
- आयोग द्वारा व्यापक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए और यह सभी पॉवर एक्सचेंजों में एक जैसा होना चाहिए। नवाचार और दक्षता संर्वधन को प्रोत्साहित करने के लिए ब्यौरे उनके विवके पर छोड़े जा सकते हैं।
- यह महसूस किया गया कि मूल्य अनुमान तन्त्र गेमिंग की संभावना तथा संविदा की पवित्रता भंग करने में सक्षम होने चाहिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति एक बाजार में संविदा भंग कर सकता है, यदि उसे दूसरे बाजार में बेहत्तर मूल्य मिलता है। इस तरह के आचरण से बचना चाहिए।

4½ mPp eY;k l lcf/kr fprk,

- अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि उच्च कीमत मुख्यतः राज्यों द्वारा उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए वर्षों तक कोई उल्लेखनीय कार्रवाई न किए जाने का परिणाम था।
- यह सुझाव दिया गया कि एआरआर का अनुमोदन करते समय, विनियामक आयोगों को स्पष्ट रूप से अल्पकालिक बाजार में बिजली की खरीद की मात्रा और उसके अधिकतम खरीद मूल्य की माहवार मात्रा निर्धारित करनी चाहिए और इस बात का स्पष्ट उपबन्ध किया जाना चाहिए कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट मात्रा से किसी भी अधिक खरीद की एआरआर में पास थ्रू के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि राज्य सरकारों के कहने पर खरीद की कोई अतिरिक्त मात्रा होती है तो उसका अधिनियम की धारा 65 के तहत परिकल्पित स्कीम की तर्ज पर अग्रिम भुगतान के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लाभ उठाया जाना चाहिए।
- यह महसूस किया गया कि यदि ऐसा तन्त्र शुरू किया जाता है तो इससे उपयोगिताओं पर राजनैतिक दबाव भी कम होगा।
- इस संबंध में विनियामकों के मंच (एफओआर) को मतैक्य हासिल करना चाहिए।
- यह महसूस किया गया कि उत्पादन स्तर पर सीमा निर्धारण, अनुकूल समय, ईंधन के स्त्रोत, इस्तेमाल प्रौद्योगिकी आदि पर आधारित उत्पादन केन्द्रों की उत्पादन की लागत में अत्यधिक भिन्नता के कारण कठिन हो सकता है।
- कुछ सदस्यों ने लघु अवधि में कीमतों में अधिक उतार–चढ़ाव के संबंध में चिंताएं व्यक्त की और समुचित विनियामक हस्तक्षेप का अनुरोध किया क्योंकि उच्च मूल्यों से उपयोगिताओं के वित्तीय ढ़ांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना होती है।

5½ 0;kikj lfonkvk dk vkfpR;

- किसी भी संविदा में किसी पक्षकार को दण्ड का भुगतान करने और बचकर निकल जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसे संविदा का निष्पादन नहीं माना जाना चाहिए।
- संविदा, विशेषतः पॉवर एक्सचेंजों में मानक संविदाओं को अंतिम रूप देते सम्यक्तः सावधानी बरती जानी चाहिए।
- एक ऐसा विचार था कि गलत आचरण की एक ही परिभाषा हो और व्यतिक्रमियों की ऐसी सामान्य सूची हो जिसका यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए कि गलत आचरण करने वाले किसी भी संविदाकारी पक्षकार को बाजार में भाग लेने की अनुमति न दी जाए।
- गलत आचरण को लाइसेंस की शर्तों का भाग भी बनाया जाना चाहिए और इस प्रकार का गलत आचरण करने वाले लाइसेंसधारक का लाइसेंस रद्द किए जाने का प्रावधान होना चाहिए।

- यह महसूस किया गया कि मामला–1 और मामला–2 बोली प्रक्रिया के तहत दीर्घकालिक और मध्य–कालिक करारों के लिए विकसित मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) की तर्ज पर अल्पकालिक क्रय–विक्रयों के लिए मानक मॉडल संविदा विकसित की जानी चाहिए।
- यह सुझाव दिया गया कि मध्य–कालिक पर संविदाकारी क्षमता से कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है।

6½ fo|qr cktkj dk Lo:i

- यह महसूस किया गया कि धन सुलभता की कमी को देखते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर पॉवर एक्सचेंज क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर पॉवर एक्सचेंजों से बेहत्तर है।
- हो सकता है कि क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर पॉवर एक्सचेंज के लिए अधिक व्यापार की संभावना न हो क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के एक्सचेंज पहले ही ऋणात्मक व्यय निधि के साथ प्रचालन कर रहे थे। क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर पॉवर एक्सचेंज के लिए टिक पाना संभव नहीं होगा।
- अनिवार्य पूल के लिए केन्द्रीयकृत प्रेषण प्रणाली अपेक्षित हैं और इस समय परिवर्तन करना कठिन प्रतीत होता है।

7½ vU; eqn~ns

- विभिन्न एजेंसियों (जैसे सीईआरसी, सीईए, आरएलडीसी आदि) द्वारा बाजारों के संबंध में प्रदर्शित की जा रही सूचना और अधिक सुव्यवस्थित होनी चाहिए।
- विशेषतः पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की सूचना बाजार में प्रचालकों की सुविधा हेतु विस्तृत तरीके से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- बाजार प्रचालकों की विशेष मांग आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक सूचना सेवाओं की भी गुंजाइश होनी चाहिए।
- विशेषतः खरीददारों तथा विक्रेताओं की बाजार में प्रभावी व सूचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके कौशल संवर्धन के कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे कार्यक्रम विभिन्न संस्थानों द्वारा शुरू किए जाने चाहिए। विनियामक आयोग ऐसी पहल के लिए संकाय संसाधनों की व्यवस्था कर सकते हैं।

(ii) dsUnzh; lykgdkj lfefr ¼lh,lh½ dh 12oha cSBd ½

केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की 12वीं बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

1½ fo|qr mRiknu gsrq ns'kh dks;ys dh miyC/krk

- सीईए के मूल्यांकन के अनुसार, वर्ष 2013–14 में कोयले की मांग को पूरा करने के लिए, आयातित कोयले के साथ 15 प्रतिशत संमिश्रण भी पर्याप्त नहीं होगा। जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है, भारतीय बायलरों में इस्तेमाल किए जाने हेतु आयातित कोयले की सभी किस्मों को अलग–अलग प्रतिशतता में मिलाया जा सकता है जिसका पता संयंत्र विशिष्ट अध्ययनों के जरिए लगाया जा सकता है।
- इस पर भी एक विचार किया गया कि कोल इण्डिया लि. अपनी लिंकेज वचनबद्धता को पूरा करने में असमर्थ था तथा यह पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद अपनी क्षमता का विस्तार नहीं कर सका।
- विद्युत क्षेत्र के लिए कैप्टिव कोल ब्लाकों को यूएमपीपी पद्धति से प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के जरिए विकास हेतु प्रदान किया जाना चाहिए।
- कोयला खानों के विकास में पर्यावरण/वन संबंधी अनापत्ति भी एक मुख्य बाधा बन रही है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ऐसे ब्लाकों के आबंटन पर मूल आपत्तियां उठा रहा है। इसलिए, एक ऐसी प्रणाली का स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जिससे केवल ऐसे कोयला ब्लाकों का आबंटन किया जाए जिन पर प्रथमदृष्टया पर्यावरण की दृष्टि से कोई आपत्ति न हो है।

- कोयला ब्लॉकों के अन्वेषण के लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति देने की पद्धति को आसान बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि कोयला ब्लॉकों के अन्वेषण का कार्य तेज किया जा सके। सीपीएमडीआई की क्षमता भी बढ़ाई जानी चाहिए।
- ऐसी खानों के विस्तार के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए जहां उत्पादन को बढ़ाया जा सके। विदेशी कम्पनियों को भूमिगत खानों का आबंटन किया जा सकता है जिसके तहत खान से निकाला गया कोयला कोल इण्डिया लिमिटेड को बेचे जाने की व्यवस्था होगी।
- कोयले की इलेक्ट्रानिक–निलामी से कीमतो में वृद्वि हो रही हैं।
- उन क्षेत्रों में कोयले के आयातों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी जिनमें बाजार निर्धारित मूल्यों के माध्यम से उच्च लागत उपभोक्ताओं पर डाली जा सकती थी।
- यह सुझाव दिया गया था कि कोयले का आयात कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जाना चाहिए और आपत्ति घटक के मूल्य तथा देश में निकाले गए कोयले की लागत शामिल करते हुए कोयला खरीददारों से पूलकृत मूल्य लिया जाए। तथापि, एक भिन्न मत यह भी था कि मूल्य को समूहबद्ध नहीं किया जाए बल्कि प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाए।
- इस बात पर आम सहमति थी कि कोयला क्षेत्र के लिए एक स्वतन्त्र विनियामक का गठन किए जाने की आवश्यकता है और इसे शीध्र ही चालू किया जाना चाहिए। समिति के कुछ सदस्यों की यह राय थी कि यह भूमिका सीईआरसी को सौंप दी जाए।
- कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि सीईआरसी को स्वतः बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की उपलब्धता का मुद्दा उठाना चाहिए और कोल इण्डिया लि. को ऐसी कार्यवाहियों में बुलाया जाना चाहिए।
- यह मत भी व्यक्त किया गया कि शायद वितरण कम्पनियां आयातित कोयले के माध्यम से उत्पन्न बिजली के दाम अदा करने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत न हो इस बात पर बल दिया गया कि वितरण कम्पनियों को वित्तीय संकट से उभारने के लिए वितरण सुधारों को तेज किए जाने की आवश्यकता है।
- कोयला मंत्रालय के एक विशेष आमंत्रित प्रतिनिधि ने यह कहा कि कोयला आधारित क्षमता संवर्धन की प्रगति अनुमानों के अनुसार नहीं रही है जबकि 11 वीं योजना में अनुसूचित किए अनुसार चालू किए जाने के आधार पर बहुत अधिक लिंकेज दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एनटीपीसी सहित बिजली क्षेत्र के प्रचालकों में नियन्त्रित कोयला ब्लॉकों से कोयला निकालने के संबंध में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में दर्शाए अनुसार वन क्षेत्र के आधार पर तैयार किए जाते हैं जबकि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय संबंधित क्षेत्र में वृक्षों की सधनता पर निर्भर कर रहा था।
- इसका पर्यावरण संबंधी अनापत्ति को तेज करने के लिए समाधान किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा की कोयले की ई–निलामी आयातित कोयले की कीमतें हैं और यह तर्क संगत बाजार रूझान है। उन्होंने सूचित किया कि योजना आयोग मूल्यों के समूहीकरण हेतु प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। उक्त प्रतिनिधि ने कहा कि मुक्त ढ़लवा खानों की तुलना में भूमिगत खानों से बहुत कम कोयला मिलता है। उन्होंने सूचित किया कि कोयला खानों की उत्पादकता बढ़ाने के कई उपाय किए जा रहे हैं परन्तु साथ ही कोयले की खपत कम करने के लिए उच्च उष्मा दरों पर चलने वाले बिजली संयंत्रों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह सहमति व्यक्त की कि भविष्य में बिजली क्षेत्र में कोयले की मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर बहुत अधिक होने की संभावना है और इसलिए तदनुसार, कोयले का आयात किए जाने की आवश्यकता है।
- रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि ने यह कहा कि बंदरगाह संयोजकता तथा रेल सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों की अग्रिम योजना बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि कोयले का अनुमानित आयात हो सके।

2½ VfjQ vk/kkfjr ifrLi/kkRed ckyh ifØ;k e i'k vk jgh dfBukb;k vkj b/ku iki.k ifØ;k dk fofu;fer fd, tkus dh vko';drk

- ऐसे विद्युत संयंत्रों के मामले में जहां टैरिफ लागत प्लस आधार पर होता है विनियामक आयोग को निश्चित रूप से ईंधन प्रापण प्रक्रिया के संबंध में विनियामक ढ़ील बरतने की आवश्यकता है क्योंकि प्राप्त ईंधन की लागत निर्दिष्ट होती है।
- मामला –1 मार्ग के माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के लिए बोली संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा मानक बोली दस्तावेजों का और आगे विस्तार किया जाना चाहिए ताकि मिश्रित कोयला के आधार पर बोली प्रावधान किया जा सके और इस प्रयोजन के लिए समुचित सूचकांकों को तैयार किया जाना चाहिए।
- लागत प्लस टैरिफ केन्द्रों के लिए भी आयातित कोयले की लागत की अनुमति देने के लिए उपयुक्त सूचकांकों को विकसित किया जा सकता है।
- मामला–1 बोलियों के लिए पारेषण प्रभारों हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित वर्तमान मूल्य वृद्धि सूचकांक की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह बोली मूल्याकंन में गंभीर विरूपण पैदा कर रहा है। और संभवतः यह संभाव्य भावी ट्रांसमिशन प्रभार ठीक से प्रदर्शित नहीं कर रहा है।
- समुचित व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए ताकि देशी कोल लिंकेज के साथ मामला 1 प्रापण प्रदान किए जाने वाले परियोजना विकासकर्ताओं को उस स्थिति में सीईआरसी मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर आयातित कोयले की लागत स्वीकार की जा सके जब कोल इंडिया लिमिटेड लिंकेज वचनबद्धता के अनुसार कोयले की आपूर्ति करने में असमर्थ हो और मिश्रण हेतु कोयले का आयात करना अपरिहार्य हो जाए।
- मामल– 1 प्रापण के लिए वर्तमान बोली मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उस समक्षता के संबंध में 50 प्रतिशत भूमि अर्जित किए जाने की अपेक्षा करते है जिसके लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति का अनुरोध किया गया है। इस शर्त से चरणबद्ध निर्माण के उन मामलों में कठिनाई आ रही है जिनमें विकासकर्ता पूर्ण क्षमता के लिए पर्यावरण अनापत्ति तो प्राप्तकर्ता है किन्तु भूमि का अर्जन चरणों में करता है।
- कोयला लिंकेज की अपेक्षा संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में ऐसी ही शर्त लगाई है। अन्य शर्त यह है कि पर्यावरण अनापत्ति संबंधी प्रस्ताव अंतिम सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- यह सुझाव दिया गया कि भूमि अधिग्रहण और ईंधन लिंकेज की शर्त केवल उस क्षमता पर लागू होनी चाहिए जिसके लिए बोली प्रस्तुत की जा रही है न कि समूचे संयंत्र की पूर्ण योजनाबद्ध क्षमता के लिए। जहां तक पर्यावरण अनापत्ति का संबंध है यह सुझाव दिया गया कि यह पीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद रखी जानी चाहिए।
- यह सुझाव दिया गया कि मामला–1 प्रापण के तहत उत्पादक संयंत्र की बस–बार में बिजली की खरीद को प्रोत्साहित की जाने की आवश्यकता है।
- चुने गए बोलीकर्ताओं से केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता से निर्वाध पहुंच प्राप्त करने की ही मांग की जानी चाहिए। उन प्रापण पूछताछों में बोलीकर्ताओं को पेश आ रहे जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, सुझाव दिया गया था जिनमें चुने गए बोलीकर्ता को प्रापणकर्ता के एसटीयू अन्तर–संयोजन में विद्युत की सुपुर्दगी के लिए जिम्मेदार बनाए जा रहा था।

3½ vf/kdre fo|qr vkifr d fy, {kerk lo/ku dk lqdj cukuk

- अधिकतम आपूर्ति के लिए अलग से उच्च टैरिफ पर आम सहमति थी।
- ऐसे शहरी उपभोक्ताओं को, जो अतिरिक्त लागत का संदाय करन के इच्छुक हैं, अधिकतम विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने के लिए समुचित टैरिफ संरचना और विनियामक ढ़ांचें को विकसित किये जाने की आवश्यकता है। इस व्यवस्था का सुझाव इस तथ्य को ध्यान में रखकर दिया गया कि डिस्कॉम अत्यधिक हानियों तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं की कम वहन क्षमता को देखते हुए पूरे के पूरे वितरण लाइसेंस क्षेत्र के लिए आयातित कोयला आधारित बिजली का भी क्रय करने के इच्छुक नहीं है।

- बिजली क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस की अपर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए एलएनजी को दीर्धकालिक आधार पर खरीदा जाना चाहिए और इसे मूल्य को उचित स्तर पर लाने और अधिकतंम बिजली टैरिफ की स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक गैस के साथ समूहबद्ध कर दिया जाना चाहिए।
- एलएनजी का इस्तेमाल केवल अधिकतम बिजली आपूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादन क्षमताओं की मांग अगली पंचवर्षीय योजना के मध्य से की जानी अपेक्षित है।
- यह भी प्रस्ताव किया गया कि जैसे ही अधिकतम आपूर्ति टैरिफ के संबंध में श्री राकेश नाथ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो उसे विचार–विमर्श व स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाना चाहिए।
- एनएचपीसी ने यह सुझाव दिया कि जल विद्युत संयंत्रों के लागत प्लस टैरिफ डिजाइन का इस उद्देश्य से पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए कि जल विद्युत संयंत्रों की लम्बी उत्पादन प्रतिक्षा अवधि को ध्यान में रखने के बाद हाइड्रो विद्युत उत्पादन कम्पनियों को उनकी इक्विटी पर पर्याप्त लाभ मिले। उन्होंने अधिकतम आपूर्ति के उच्च टैरिफ का भी अनुरोध किया। जल विकास हेतु सहायता के लिए उनके द्वारा दिए गए अन्य सुझाव 15 प्रतिशत व्यापारी बिजली बिक्री, दीर्धकालिक वित्त पोषण तथा जल विद्युत पर उच्च आरओई देने के बारे में थे।

4½ fuk/k igp dh miyC/krk

- इस समय, सीईआरसी के विनियमों में 250 मेगावाट और इससे अधिक की क्षमता के लिए जल बिजली संयंत्रों के संबंध में सीटीयू को संयोजकता प्रदान करने का उपबंध है। परन्तु सीईए द्वारा तैयार हाइड्रो परियोजनाओं की पक्ति में अधिकतर बिजली संयंत्र विशेषतः पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन राज्यों व सिक्किम में 250 मेगावाट क्षमता से कम के है जहां एसटीयू प्रणाली पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है। यह अनुरोध किया गया कि इस मुद्दे की सभी व्यवहार्य बिजली क्षमता के दोहन के राष्ट्रीय उद्देश्य के सन्दर्भ में जांच की जानी चाहिए। सीटीयू के प्रतिनिधि ने यह कहा कि लघु आकार के संयंत्रों का सीटीयू से जोड़ना यथेष्ट विकल्प नहीं है और इससे कुल मिलाकर अधिक पारेषण लागत आएगी। उन्होंने आरएलडीसी द्वारा ऐसे लघु आकार के संयंत्रों की अनुसूची बनाने व प्रेषण में आने वालो संभावित कठिनाई का उल्लेख किया। एक सुझाव यह दिया गया कि पवन उत्पादकों द्वारा पूलिंग के मॉडल की, इस समस्या के विभिन्न विकल्प तैयार करते समय, जांच की जा सकती है।
- यह सुझाव दिया गया कि किसी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली के विकास का सीटीयू प्रणाली व एसटीयू प्रणालियों के संवर्धन को एक साथ लेकर पूर्ण रूप से देखे जाने की आवश्यकता है अन्यथा राज्य प्रणालियों में अपर्याप्तता के कारण गंभीर कठिनाइयां हो सकती है।
- अभी भी कई एसटीयू/एसएलडीसी आईपीपी व एमपीपी को निर्बाध पहुंच देने से इंकार कर रहे थे। इससे सख्ती से निपटे जाने की आवश्यकता है।
- पीएसईबी के प्रतिनिधि ने यह अनुरोध किया कि आईपीपी को बिजली बेचते समय मेजवान राज्य को प्राथमिकता देनी चाहिए इस पर, अधिनियम के उन कानूनी उपबंधों का उल्लेख किया गया जो बिजली की बिक्री के लिए उत्पादन कम्पनी को पूर्ण अधिकार देते हैं।
- यह सुझाव दिया गया कि सीईआरसी को निर्बाध पहुंच को तेज करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 36 के तहत विनियम शीध्र ही प्रकाशित करने चाहिए।

5½ vU; eíi

- कुछ बेंचमार्क टैरिफ (जो अधिनियम की धारा 62 के तहत नए एनटीपीसी केन्द्र के लिए टैरिफ या बाजार के लिए टैरिफ सीमा हो सकती है।)
- व्यापार अनुज्ञप्तिधारियां को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों में भी व्यापार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- विनियामकों मंच को राज्य स्तर पर सम्बद्ध मुद्दों से भी निपटना चाहिए।

- एसईआरसी से विशेषतः उपभोक्ता सम्बद्ध मुद्दों के संबंध वितरण कम्पनियों के निष्पादन की नियमित समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया गया।
- रेल मंत्रालय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उसे केपेसिटर रिएक्टिव बैंक के चरणबद्ध संस्थापन की अनुमति दी जानी चाहिए और राज्यों को शुरू में ही पूर्ण संस्थापन की मांग नहीं करनी चाहिए।
- इस बात पर बल दिया गया कि नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं का अनुपालन करने के प्रभावी तरीके से निगरानी की जानी चाहिए ताकि आरईसी के लिए पर्याप्त मांग हो। इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया कि आरईसी, स्वतन्त्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को भी दिया जाना चाहिए।

x½ fofu;kedk d¢ ep ¼,Qvksvkj½ dk dk;Zdyki

केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार, विनियामकों के मंच का गठन किया गया है। इस मंच में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) के अध्यक्ष शामिल हैं। सीईआरसी एफओआर को सचिवालय सेवा प्रदान करता है।

वर्ष 2009–10 के दौरान विनियामकों के मंच की 5 बैठकें आयोजित की गई जिनमें विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया और सिफारिशें की गई। मंच ने वर्ष 2009–10 के दौरान विशेष कार्यबल/कार्यकारी समूह गठित किए।

- विनियामक लेखाओं के मानकीकरण पर कार्यकारी समूह
- एफओआर की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु विशेष कार्यबल
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों पर विशेष कार्यबल

वर्ष 2009–10 में विनियामकों के मंच ने निम्नलिखित अध्ययन पूरे किए:

- विद्युत सुधार और विनियम – दृष्टिकोण और उपलब्धियों के बीच बाधाओं तथा अन्तरों पर विशेष ध्यान के साथ गत 10 वर्ष के अनुभव की निर्णायक समीक्षा
- निष्पादन मानकों एओपी संबंधी मॉडल विनियम
- वितरण अन्तर के लिए समुचित मॉडल विकसित करना
- वितरण व्यापार हेतु पूंजीगत लागत बेंचमार्क
- विभिन्न राज्यों में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्षमता का मूल्यांकन, आरपीओ प्रक्षेप वक्र का निर्धारण और टैरिफ पर इसका प्रभाव।
- आरईसी ढ़ांचे हेतु एसईआरसी के लिए मॉडल विनियम
- वितरण उपयोगिताओं के लिए प्रोत्साहन –दण्ड व्यवस्था का समुचित मॉडल तैयार करना।
- ऊर्जा दक्षता को संस्थागत बनाना तथा भारत में सेवा उपयोगिता क्षेत्र में मांग पक्ष प्रबंधन।
- 10 राज्यों में आपूर्ति संहिताओं का तुलनात्मक विश्लेषण

वर्ष 2009–10 में विनियामकों के मंच ने निम्नलिखित अध्ययन चालू किए :

- एसईआरसी के लिए मॉडल अनुपालन लेखा परीक्षा विनियम
- एसईआरसी के लिए मॉडल डीएसएम विनियम
- भारत में 'दिन का समय' (टीओडी) टैरिफ के कार्यान्वयन तथा प्रभाव विश्लेषण पर नियत कार्य।
- टैरिफ आदेशों तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अन्य आदेशों के विश्लेषण पर अध्ययन।
- एफओआर विद्युत क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर विनियामक आयोगों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

करता है। वर्ष 2009–10 में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए:

- विद्युत क्षेत्र में विनियम, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्षों के लिए अनुकूलन पाठ्यक्रम
- मांग पक्ष प्रबंधन
- ईआरसी के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- विनियामक आयोगों तथा प्रतिष्ठानों के अधिकारियों के लिए डीएसएम–भार अनुसंधान पर कार्यशाला।
- 'निर्बाध पहुंच, एलडीसी तथा विद्युत बाजारों की भूमिका' पर विनियामक आयोगों तथा एसएलडीसी के अधिकारियों के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विनियामक आयोगों के लिए वित्त एवं अर्थशास्त्र।

¼?k½ Hkkjrh; fofu;kedksa ds eap ¼,QvkbZvkj½ dh xfrfof/k;ka

आयोग भारतीय विनियामकों के मंच (एफओआईआर) को सचिवालय सेवाएं भी प्रदान करता है जिसमें विद्युत विनियामक आयोगों के न केवल अध्यक्ष अपितु सदस्य भी शामिल होते हैं। वर्ष 2009–10 में नई दिल्ली और अमृतसर में वार्षिक सामान्य निकाय की दो बैंठकें आयोजित की गई। शासी निकास को व्यापक बनाने के लिए एफओआईआर के नियमों तथा विनियमों में संशोधन किया गया। अब न केवल विद्युत विनियामक अपितु अन्य क्षेत्रों के विनियामक भी एफओआईआर में शामिल हो सकते हैं। एफओआईआर ने दो अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किए जिनमें डीएसएम तथा संसाधन आयोजना, बिजली कटौतियों से निपटने की व्यवस्था, राज्य स्तर के कोयला चालित बिजली संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण आदि जैसे मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। एफओआईआर ने 'कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति हेतु सेवा की लागत के मूल्यांकन तथा कृषि श्रेणी के लिए परस्पर आर्थिक सहायता' पर अध्ययन भी चालू किया।

¼M½ nf{k.k ,f'k;k volajpuk fofu;e ¼,l,,QvkbZvkj½ dh xfrfof/k;ka

एसएएफआईआर 1999 में विश्व बैंक की सहायता से स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें सदस्यों के रूप में शैक्षिक संस्थान, उपभोक्ता निकाय/एनजीओ; निगमित निकाय/उपयोगिता तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र के विनियामक निकाय शामिल हैं। एसएएफआईआर का उद्देश्य दक्षिण एशिया में उच्च स्तरीय क्षमता निर्माण तथा अवसंरचना विनियम व सम्बद्ध मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान करना तथा ऐसे क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों व व्यक्तियों का नेटवर्क बनाकर संबंधित विषय पर अनुसंधान प्रेरित करना है, जो इस क्षेत्र में सक्रिय हों। इसका उद्देश्य उपयोगिता व अवसंरचना उद्योगों के प्रभावी व दक्ष विनियम में सहायता करना तथा ज्ञान व सुविज्ञता का लाभप्रद आदान प्रदान शुरू करना व विश्व की उत्तम प्रक्रियाओं के त्वरित कार्यान्वयन का रूझान तय करना भी है। सीईआरसी, एसएएफआईआर को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष 2009–10 में एसएएफआईआर ने ''अवसंरचना में निवेश के नियम को सुकर बनाना'' विषय पर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस सम्मेलन में समूचे दक्षिण एशिया क्षेत्र से भारी संख्या में प्रतिनिधियों व वक्ताओं ने भाग लिया।

¼p½ lfeukj@lEesyu@izf'k{k.k@vknku&iznku dk;Øe

उन सेमिनार, सम्मेलनों/प्रशिक्षण/संयंत्र दौरों/आदान–प्रदान कार्यक्रमों का ब्यौरा अनुबंध–VIII और अनुबंध – IX में दिया गया है। जिनमें आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव व कर्मचारिवृंद ने भाग लिया।

7-9 Hkkjr ljdkj dk lykg

आयोग ने विद्युत अधिनियम की धारा 79(2) के अधीन निम्नलिखित मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह दीः

¼d½ dUnh; ljdkj }kjk vU; ns'kk ls fctyh ds vk;kr grq fo|qr O;kikjh dk inkfefgr djus ds lca/k e½

विदेश मंत्रालय द्वारा यह उल्लेख किया गया कि वह भूटान व नेपाल से बिजली के हस्तांतरण के लिए विद्युत व्यापारी को पदामिहि करेगा। इस मामले में, आयोग ने दिनांक 13 अप्रैल, 2009 के अपने पत्र के जरिए भारत सरकार को यह सलाह दी कि सीमा पार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु विद्युत व्यापारी (व्यापारियों) को पदामिहित करते समय, सरकार को विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की कानूनी अनिवार्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि भारत में बिजली के आयात में केवल एक या कुछ विद्युत व्यापारियों को प्रमुख का दर्जा दिया जाता है तो इससे विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी।

¼[k½ dEiuh vf/kfu;e ds v/khu vf/kl fpr nh tkus okyh vo{k;.k dh nj½

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 30.03.2009 के अपने पत्र में स्थायी परिसम्पत्तियों पर अवक्षयण की दरों को लागू करने के संबंध में मुद्दे उठाए। आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 के पैरा 5.3 (ग) में यथा उल्लिखित टैरिफ नीति की मंशा को उचित सम्मान के साथ केन्द्रीय सरकार को यह सलाह दी कि टैरिफ व लेखाकरण के प्रयोजनों से मूल्यह्रास की दरों में सामंजस्य लाने के लिए विद्युत मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205(2)(ग) के तहत यह उल्लेख करते हुए सामान्य अनुमोदन अधिसूचित करने की सलाह दे सकता है किः

''उत्पादन व पारेषण के लिए केन्द्रीय आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवक्षयण दरें और वे दरें जो वितरण हेतु एफओआर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, को कम्पनियों के लेखाओं के प्रयोजनों से विद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए स्वीकार्य होंगी।

आयोग ने अपना यह मत भी सम्प्रेषित किया कि उक्त तर्ज पर अधिसूचना से प्रस्तुत मामले की भांति लेखाओं के प्रयोजनों हेतु कम्पनी अधिनियम में निर्धारित मूल्यह्रास की दरों को छोड़कर आय दरें अपनाने हेतु अनुमोदन के लिए भारत सरकार को विशिष्ट हवाले भेजने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

¼x½ vf/kfu;e dh /kkjk 11 ds v/khu fofHkUu jkT; ljdkjksa ds vkns'k ds lca/k esa

अधिनियम की धारा 11 के अधीन अन्य राज्य सरकारों (अर्थात्: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान द्वारा जारी ओदशों से भारत में शुरूआती दौर में चल रहे विद्युत बाजार के नष्ट होने की संभावना है। इस मुद्दे पर आयोग में विचार किया गया और आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी उक्त किस्म के आदेशों पर आदेशों के स्थगन/रोक की याचना करते हुए उच्चतम न्यायालय में जाने का निर्णय किया है और साथ ही दांव पर लगे मुद्दे की गंभीरता को उचित सम्मान देते हुए, केन्द्रीय सरकार को यह सलाह भी दी है कि केन्द्रीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए व अधिनियम व नीति के मूल उद्देश्य को बनाए रखने के लिए धारा 11 व धारा 108 के तहत राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेशों पर रोक लगाने की याचना करते हुए उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए।

¼?k½ ikjs"k.k lsokvksa dh ifrLi/kkRed iki.k ds lca/k esa

खण्ड 5.1 के साथ पठित खण्ड 7.1(6) में यथा विनिर्धारित टैरिफ नीति का एक अधिदेश यह भी है कि भावी परियोजनाएं सीटीयू या एसटीयू को छोड़कर किसी भी निकाय द्वारा निष्पादित की जा सकती हैं बशर्ते कि उस निकाय का चयन प्रतियोगी बोली के जरिए किया गया हो या वह निकाय राज्य के स्वामित्व/नियन्त्रण की कम्पनी हो। यह भी विवक्षित है कि नीति की अधिसूचना के पांच वर्ष बाद तक की अवधि (या जब आयोग इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू करने के लिए समय सही है। उस कम्पनी को प्रतियोगी बोली के आधार पर चुने जाने की आवश्यकता के बिना भी पारेषण अनुज्ञप्ति दी जा सकती है जिसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से

केन्द्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या उससे अधिक राज्य सरकार द्वारा या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा समादत्त शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत भाग धारित हो। यह देखा गया कि सीटीयू के रूप में पॉवर ग्रिड कापोरेशन आफ इण्डिया लि. ने टैरिफ नीति की अधिसूचना के बाद भी निजी परियोजना विकासकर्ता के साथ संयुक्त उद्यम का करार किया है। जिसमें पीजीसीआईएल की 51 प्रतिशत से कम इक्विटी शेयर धारिता है। तथापि आयोग ने, यह टिप्पणी की कि भविष्य में सीटीयू ऐसा कोई समझौता–ज्ञापन करने से बचे जिसमें उसकी इक्विटी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, और दिनांक 6 मई, 2009 के अपने पत्र के जरिए केन्द्रीय सरकार को यह सलाह दी कि केन्द्रीय सरकार सीटीयू को केवल टैरिफ नीति के पैरा 5.1 में यथा परिकल्पित संयुक्त उद्योग, यदि आवश्यक हो, गठित करने के समुचित निदेश दे।

¼M-½ jkT; Hkkj iz"k.k dUnk ¼,l,yMhlh½ dk lj{k.k

राज्य भार प्रेषण केन्द्रों की, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्बाध पहुंच को चालू करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि निर्बाध पहुंच की अनुमति देने में उनकी सहमति एक पूर्वपेक्षा है। इस समय इस बात पर आम व्यापक सहमति है कि अधिकतर राज्यों में एसएलडीसी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एसएलडीसी एक ओर राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वितरण प्रतिष्ठानों तथा व्यापारी कम्पनियों और दूसरी ओर निर्बाध पहुंच वाले उपभोक्ताओं तथा निजी स्वामित्व में उत्पादकों के वाणिज्यिक हितों के टकराव से संरक्षित नहीं है। इस स्थिति से बचने के लिए विद्युत अधिनियम में यह उपबंध है कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र (धारा 31) और राज्य पारेषण उपयोगिताए धारा (39) बिजली के क्रय–विक्रय के कारबार में नहीं लगेंगे। परन्तु अनेक राज्यों में प्रचलित करने वाली इकाइयां तथा वितरण/व्यापारी कार्य में लगे प्रतिष्ठानों के नियन्त्रक हित संयुक्त हैं और इसलिए निर्बाध पहुंच के अनुरोध पर विचार करते समय एसएलडीसी भेदभाव मुक्त तरीके से काम नहीं कर पाते।

यह मुद्दा महाराष्ट्र राज्य विद्युत ऊर्जा व्यापार निगम द्वारा दायर याचिका में सीईआरसी के समक्ष आया जिसमें इस कम्पनी ने अन्तर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की याचना की। आयोग द्वारा इस आधार पर इस याचिका को खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता की नियन्त्रक कम्पनी के राज्य पारेषण उपयोगिताएं में नियन्त्रक हित थे, जो महाराष्ट्र राज्य में एसएलडीसी के प्रचालन के लिए जिम्मेदार है। आयोग ने यह माना कि याचिकाकर्ता को अन्तर–राज्यिक अनुज्ञप्ति प्रदान करने के विधि के मूल उद्देश्य का उल्लंधन होगा जिसके तहत एसटीयू तथा एसएलडीसी द्वारा व्यापार करना प्रतिबद्ध है। याचिकाकर्ता ने विद्युत अपील प्राधिकरण में आयोग के इस आदेश को चुनौती दी और अधिकरण ने आयोग के आदेश को उचित ठहराया आयोग द्वारा अपने आदेश, जिसे अपील अधिकरण ने स्वीकार किया है, में दी गई व्यवस्था से एसएलडीसी की संरक्षित करने की आवश्यकता को ठोस कानून आधार मिला है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने केन्द्रीय सरकार को दिनांक 11 अगस्त, 2009 के अपने पत्र के जरिए यह सलाह दी कि वह, सीईआरसी के आदेश को वैद्य मानने वाले एपीटीईएल के उक्त सन्दर्भित निर्णय से उत्पन्न कानूनी स्थिति के आधार पर एसएलडीसी का प्रचालन करने वाले प्रतिष्ठानों तथा वितरण/व्यापारी कार्यकलापों में लगे प्रतिष्ठानों के बीच प्रबंधन व नियन्त्रक हितों को बिल्कुल अलग करने के मामले में राज्य सरकारों से बातचीत करें।

¼p½ ikj"k.k lok,a ikIr djus grq VfjQ vk/kkfjr ifr;kxh ckyh d fy, ekxn'kh fl)kUr o ekud ckyh nLrkot k d lc/k e

आयोग को बैंठक के नोटिसों से यह पता चला है कि योजना आयोग बिजली क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए मॉडल ट्रांसमिशन करार (एमटीए) विकसित करने की कवायद कर रहा है। तथापि, विद्युत मंत्रालय ने पहले ही विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के तहत पारेषण सेवाओं के प्रापण के लिए टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के मार्गदर्शी सिद्धान्त व मानक बोली दस्तावेज पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं। आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति अन्तर–राज्यिक स्तर पर की जा रही टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया की देखरेख व पर्यवेक्षण कर रही है। सभी संबंधितों के उल्लेखनीय प्रयासों से यह प्रक्रिया स्थिर हो गई है और तीन परियोजनाओं के लिए पहले ही बोली की कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों पर विद्युत

अधिनियम, 2003 के तहत गठित समन्वय मंच में विचार–विमर्श किया जा रहा है। आयोग इनमें से कुछ मुद्दों पर अपेक्षित कार्रवाई से अवगत है। संक्षिप्तरूप में, अब विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत बोली की प्रक्रिया को परियोजना विकासकर्ताओं, तथा राज्य पारेषण उपयोगिता सहित अन्य स्टेकहोल्डरों ने समझ लिया है। योजना आयोग द्वारा बिजली क्षेत्र के ट्रांसमिशन खण्ड में निजी क्षेत्र की भागीदारी का अन्य मण्डल दस्तावेज तैयार करने की नई कवायद से स्टेकहोल्डरों में परिहार्य असमंजस पैदा होगा। विद्युत अधिनियम के उपबंधों के तहत ऐसे दस्तावेज का कोई औचित्य भी नहीं होगा। विद्युत विनियामक आयोगों को विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत उपबंधित प्रक्रिया के जरिए ही पता लगाए गए टैरिफ को अपनाने का अधिदेश दिया गया है।

पारेषण परियोजनाओं में निवेश के संवर्धन हेतु सुचारू प्रगति करने के हित में, आयोग ने दिनांक 12 नवम्बर, 2009 के अपने पत्र के जरिए केन्द्रीय सरकार को यह सलाह दी कि वह यह सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी, केवल विद्युत अधिनियम के सांविधिक ढ़ांचे के तहत ही आमंत्रित की गई है। यदि योजना आयोग के पास कुछ सुझाव हैं तो उनकी जांच की जा सकती है और स्टेकहोल्डरों के साथ उचित परामर्श के बाद विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा मानक बोली दस्तावेजों में शामिल किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

¼N½ fo|r vxoÙkh lfonkvk rFkk fo|r 0;RifÙk ckt kjk l lcf/kr ennn

विद्युत क्षेत्र में बिजली बाजार शुरूआती और विकासशील दौरे में हैं और इनके लिए निरन्तर, एकीकृत व स्पष्ट विनियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विनियामक दोहरापन/असमंजस से विद्युत क्षेत्र में प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। विद्युत क्षेत्र में बाजार को विद्युत अधिनियम, 2003 से शामिल किए जाने की आवश्यकता है जो जहां तक विद्युत के विषय का संबंध है पूर्ण व व्यापक हैं। अन्य किसी कानून के उपबंधों के तहत किसी भी प्रकार के परिहार्य हस्तक्षेप से असंमजस पैदा होगा। यही कानूनी मंशा विद्युत अधिनियम की धारा 174 के प्राथमिकता बद्ध उपबंधों में व्यक्त की गई है।

केविविआ ऐसे विद्युत बाजारों को सुधारने के लिए विभिन्न पहले करता आ रहा है जो उक्त उल्लिखित अनुसार शुरूआती दौर में है तथा आयोग सभी संबंधितों के परामर्श से व्यापक बिजली बाजार विनियम भी तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय विद्युत नीति के पैरा 5.7.1 में यह उपबंध है कि बिजली क्षेत्र के विकास का कार्य सभी संबंधितों के परामर्श से समुचित आयोग द्वारा शुरू किए जाने की आवश्यकता है। यह नोट करने योग्य बात है कि राष्ट्रीय विद्युत नीति मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित की गई थी और इसे सांविधिक उपबंधों के तहत अधिसूचित किया गया था जबकि विद्युत संबंधी एफसीआरए के तहत दिनांक 9 जनवरी, 2006 की अधिसूचना स्पष्टतः बिना किसी सार्वजनिक परामर्श की गई थी। यहां तक कि किसी क्षेत्र विनियामक से भी परामर्श नहीं किया गया था जबकि राष्ट्रीय विद्युत नीति में सभी संबंधितों के साथ परामर्श करने का अधिदेश दिया गया है। सीईआरसी ने दिनांक 26 अप्रैल, 2006 अनुबंध–(iii) अपने पत्र में इस अवधि सूचना के इस मुद्दे को उठाया था, और विद्युत मंत्रालय से उक्त अधिसूचना से विद्युत की अधिसूचना हटाने की आवश्यकता के मुद्दे को समुचित रूप से उठाने का अनुरोध किया था। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है। ''अवधि पूर्व सुपुर्दगी आधारित संविदाओं'' पर एफएमसी की आपत्ति तर्क संगत नहीं है। एफएमसी, एफसीआरए के उपबंधों के तहत काम कर रहा है तथा एफसीआरए के उपबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित वस्तुओं व क्षेत्रों पर लागू किए जाने हैं। एफसीआरए के उपबंधों की उपेक्षा करते हुए, तथा धारा 14क केवल पाठ का अनुसरण करते हुए, एफएमसी द्वारा सीईआरसी द्वारा विनियमित पॉवर एक्सचेंजों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई पर तत्काल विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह इस क्षेत्र में कहीं अधिक परिहार्य असमंजस पैदा करने वाली बात है फिर निवेश के वातावरण के बिगड़ने तथा पॉवर एक्सचेंजों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे, उत्पादों के बारे में स्टेकहोल्डरों के मन में महत्वपूर्ण शंकाए पैदा होने की संभावना है, जो केविविआ द्वारा शुरू किए जा रहे हैं। बिजली बाजार के एकीकृत व व्यवस्थित विकास के रास्ते में बाधाएं पैदा हो रही हैं।

उपर्युक्त तथ्य को देखते हुए, सीईआरसी ने केन्द्रीय सरकार को यह सलाह दी कि भारत में बिजली बाजारों के सुचारू विकास के हित में तथा बिजली क्षेत्र में निवेश के संवर्धन को सुकर बनाने तथा साथ ही उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण

के लिए केन्द्रीय सरकार को एफसीआरए की धारा 15 के अधीन विद्युत की अधिसूचना हटा लेनी चाहिए ताकि बिजली बाजारों का विनियमन, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुरूप एफएमसी के साथ टकराव के जोखिम के बिना इस क्षेत्र के एक मात्र विनियामक अर्थात् सीईआरसी द्वारा एंकीकृत व मूल्यांकित दृष्टिकोण के साथ किया जा सके। देश में विद्युत व्युत्पन्नियों को सीईआरसी के विनियामक प्रभार (इसमें वह तरीका शामिल है जिसमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा) के साथ शुरू किया जाएगा।

एफसीआरए की धारा 14क या 18(1) में इस आशय का समुचित संशोधन जारी करने की आवश्यता पर विचार किया जाना चाहिए जिससे विद्युत एनटीएसडी संविदाओं को, एफएमसी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने कि अपेक्षा से स्पष्ट रूप से छूट दी जा सके जैसा कि वैसे ही मामलों में एफसीआरए के तहत एनडीएसडी संविदाओं का एफसीआरए के तहत केन्द्रीय सरकार के विनियमन व नियन्त्रण से छूट प्राप्त हैं। इसके अलावा, संशोधन में विद्युत को पूर्णत छोड़ा जा सकता है क्योंकि इसकी यह अलग विशेषता है कि इसे एफसीआरए के तहत सामान्तया विनियमित सामान से अलग भंडारित नहीं किया जा सकता।

¼t½ ifr;kxh ckyh dk ek/;e ls ikjs"k.k ykbuksa dk fodkl gsrq ekud ckyh nLrkost ¼,lchMh½ esa la'kks/ku

विद्युत अधिनियम के इस आशय के उपबंधों का ध्यान में रखते हुए कि पारेषण लाइनें 25 वर्ष की अवधि के लिए होगी, इस समय एसबीडी में बोलीदाताओं द्वारा 25 वर्ष की बोली प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में इस आशय का मुद्दा खड़ा हो गया है कि किस आधार पर 25 वर्ष बाद पारेषण लाइन विकासकर्ता टैरिफ वसूल करेंगे। यह चिंता मुख्यतः उन लाभार्थियों द्वारा व्यक्त की गई है जो यह तर्क देते हैं कि विकासकर्ता प्रथम 25 वर्षों में ही अपने पूर्ण निवेश को वसूल करने के उद्देश्य से बोली प्रस्तुत कर रहे है और उक्त 25 वर्षों के बाद की अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण करते समय इस तरह से इस पहलु को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विकासकर्ता अचानक अत्यधिक लाभ न कमा पाएं।

इस मुद्दे पर आयोग द्वारा विचार किया गया है और सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग ने यह निर्णय किया है कि:

क) उन परियोजनाओं, जिनके मामले में आशय–पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है या प्रस्ताव संबंधी अनुरोध (आरआईपी) जारी कर दिया गया है और लाइसेंस की अवधि और आगे बढ़ाई गई है 25 वर्ष की अवधि के बाद टैरिफ निर्धारण के सिद्धान्तों को सीईआरसी के ट्रांसमिशन लाइसेंस विनियमों में सम्मिलित किया जाएगा। इन सिद्धान्तों में 25 वर्ष की अवधि के दौरान लाइसेंसधारकों द्वारा वसूली गई राशियां शामिल की जाएंगी। (तदनुसार सीईआरसी ट्रांसमिशन लाइसेंस विनियमों में संशोधन कर रहा है।)

ख) प्रतियोगी बोली के मामले में, जिन पारेषण लाइनों के लिए अभी आरआईपी जारी किया जाना है, उनमें बोलीदाताओं को परियोजना चालू किए जाने की तारीख से 35 वर्ष तक की अवधि के टैरिफ उदधृत करने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि लाइसेंस मूल 15 वर्ष की अवधि के बाद लाइसेंस का नवीकरण किया जाता है तो ट्रांसमिशन लाइन विकासकर्ताओं को केवल उसकी बोली के अनुसार 25 वर्ष की मूल अवधि के बाद टैरिफ वसूल करने का अधिकार होगा। इसे भी सीईआरसी के ट्रांसमिशन लाइसेंस विनियमों में शामिल किया जा रहा है परन्तु इसे मानक बोली दस्तावेजों में भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार आयोग ने, निम्नलिखित को समाविष्ट करने के लिए प्रतियोगी बोली के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइनों के विकास के संबंध में मानक बोली दस्तावेजों को आशोधित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सलाह दी:

(क) बोलीकर्ताओं को लाइनें चालू करने की तारीख से 35 वर्ष की अवधि के लिए बोली प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए।

(ख) बोलियों के मूल्यांकन में 35 वर्ष तक की अवधि के लिए इस प्रकार प्रस्तुत बोलियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ग) यदि आयोग 25 वर्ष की मूल अवधि के बाद लाइसेंस की अवधि बढ़ाता है तो चुने गए बोलीकर्ताओं को उसे द्वारा प्रस्तुत बोलियों के अनुसार टैरिफ वसूल करने का अधिकार होगा।

(घ) चुने गए बोलीकर्ताओं के संबंध में 25 वर्ष की मूल अवधि समाप्त होने से दो वर्ष पहले उसके लाइसेंस की अवधि बढ़ाया जाना अनिवार्य होना चाहिए।

¼>½ VfjQ uhfr e iLrkfor l'kk/ku

आयोग को टैरिफ नीति के पैरा 6.4(1) में संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय का निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है :

(क) एसईआरसी को 1.4.2010 से सौर ऊर्जा से ऊर्जा की खरीद के लिए 0.25 प्रतिशत आरक्षित रखने का अधिदेश देना जो सन् 2022 तक बढ़कर 3 प्रतिशत हो जाएगा।

(ख) इसे प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी सौर बिजली खरीद के दायित्व के पूर्ति हेतु उन्हें प्रमाण–पत्र बेचने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन कम्पनियों को अनुमति देने के लिए सौर विशिष्ट आरईसी तन्त्र द्वारा संपूरित किया जाएगा।

इस प्रस्ताव से यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2010 से शुरू करके देश में सौर ऊर्जा की 0.25 प्रतिशत खरीद किया जाना अपेक्षित है। इस समय देश में ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा की उपलब्धता केवल कुछ मेगावाट है और 0.25 प्रतिशत की बाध्यता की पूर्ति में सहायता करने के लिए उत्पादन क्षमता तैयार होने में कुछ समय लगेगा अतः सौर वशिष्ट नवीकरणीय खरीद दायित्वों की व्यवस्था के अधिदेश में देश में सौर ऊर्जा की उपलब्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

उपयुक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि टैरिफ नीति सामान्यतः सौर ऊर्जा विशिष्ट आरईसी के साथ सभी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकीयों के लिए आरईसी तन्त्र का प्रावधान होना चाहिए।

तदनुसार, आयोग ने, केन्द्रीय सरकार को यह सलाह दी की टैरिफ नीति में पैरा 6.4(1) में प्रस्तावित संशोधन में सौर ऊर्जा विशिष्ट दायित्व को अनिवार्य बनाते हुए देश में ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा की उपलब्धता तथा साथ ही सामान्यतः आरईसी तन्त्र के पहलु को शामिल किया जाना चाहिए।

¼´½ fo|r ok;nk lfonkvk d fofu;eu rFkk fo|r 0;RiUu l ckt kjk l lcf/kr ennk

आयोग ने निम्नलिखित अंतरिम उपायों की सलाह दी है ताकि देश में विद्युत बाजारों का व्यवस्थित विकास होः

¼d½ vof/k io l|in|xh vk/kkfjr fo|r lfonkvk e yunuk dk ,Qlhvkj, d mic/kk l NV nukA

उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आयोग ने दो पॉवर एक्सचेंजों को अगस्त, 2009 में अवधि पूर्व संविदाएं शुरू करने की अनुमति दी थी। हालांकि एफसीआरए में दी गई परिभाषा के अनुसार अवधि पूर्व संविदाएं वायदा संविदाओं की श्रेणी में आती हैं, फिर भी ये संविदाएं ऐसी अहस्तांतरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी (एनटीएसडी) संविदाएं हैं जिन्हें अनिवार्यतः वास्तविक रूप से सुपुर्द किया जाना है और जिनके संबंध में संविदा के पक्षकारों तथा संविदा में नियत मूल्य को बदला नहीं जा सकता। इन संविदाओं से बिजली क्षेत्र के भागीदार मात्रात्मक जोखिम और मूल्य जोखिम, दोनों से निपट सकते हैं। मात्रात्मक जोखिम कम हो जाता है क्योंकि ये संविदाएं निर्धारित अवधि के लिए आपूर्ति/प्रापण की निश्चितता प्रदान करती है। क्योंकि ये वास्तविक सुपुर्दगी के लिए अनिवार्य होती है। मूल्य जोखिम नियन्त्रित हो जाता है क्योंकि विद्युत मूल्य, लेनदेन किए जाने के समय खरीददार और विक्रेता दोनों के लिए भावी तारीख के लिए तय किया जाता है। मुख्य बात यह है कि ये संविदाएं केवल बिजली क्षेत्र के भागीदारों द्वारा निष्पादित की जानी होती है और इनके लाभ के लिए तैयार की जाती है। वास्तविक सुपुर्दगी दृष्टिकोण से इन संविदाओं की अनुसूची तैयार करने के लिए बिजली क्षेत्र के भागीदारों, पॉवर एक्सचेंजों तथा प्रणाली प्रचालक (राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, के बीच सुचारू और समन्वित कार्यकरण अपेक्षित होता है। अवधि पूर्व संविदाओं के तहत बिजली की अनुसूची का निर्धारण निर्बाध पहुंच विनियमों तथा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुपालन में किया जाता है, जो दोनो सीआरसी के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से निम्नलिखित दो निष्कर्ष सामने आए हैं:

1) इस समय पॉवर एक्सचेंज केवल ऐसे वायदा संविदाओं का व्यापार कर रहे हैं जो अहस्तांतरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदाएं हैं। विद्युत बाजार विनियम 2010 में आयोग ने विशिष्ट रूप से यह प्रावधान किया है कि बिजली की किसी भी अन्य प्रकार की व्युत्पत्ति की मांग और आपूर्ति पर विचार करने के बाद तथा बाजार में धन सुलभता और उतार चढ़ाव का उचित ध्यान रखते हुए, बिजली का उचित मूल्य सुनिश्चित करके आयोग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली भावी तिथि पर अनुमति दी जाएगी। इसलिए एनटीएसडी को छोड़कर वायदा संविदा की अनुमति देने संबंधी ऐसी अधिसूचना जारी होने तक पॉवर एक्सचेंज केवल ऐसी वायदा संविदाओं में व्यापार करेंगे जो एनटीएसडी है। यह उल्लेख करना संगत होगा कि एफसीआरए की धारा 18(1) में अधिनियम की धारा 15 के तहत वायदा बाजार आयोग के विनियमन से छूट दी गई है।

2) पॉवर एक्सचेंजों को सीईआरसी द्वारा विनियमित किया जा रहा है, जो संसद के अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। पॉवर एक्सचेंजों के विनियमन संबंधी उपबंधों को व्यापक रूप से विद्युत बाजार विनियम 2010 में शामिल किया गया है।

उपर्युक्त दोनों निष्कर्षों को देखते हुए, जब तक पॉवर एक्सचेंज एनटीएसडी संविदाओं का व्यापार कर रहे है तब तक उनका विनियमन किसी अन्य विनियामक एजेंसी द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं है। शुरूआती दौर में बिजली बाजार पॉवर एक्सचेंज नवगठित प्रतिष्ठान है। बहुविध विनियामक एजेंसियों द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों का विनियमन किए जाने से बचने की आवश्यकता है ताकि बिजली क्षेत्र के स्टेकहोल्डरों को असमंजस न हो और परिहार्य पेचिदगियां उत्पन्न न हो। उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग केन्द्रीय सरकार को अहस्तांतरण ीय विशिष्ट सुपुर्दगी बिजली संविदाओं का व्यापार करने वाले पॉवर एक्सचेंजों को एफसीआरए के सभी उपबंधों से छूट देने के लिए एफसीआरए की धारा 27 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की सलाह देता है।

¼[k½ foÙkh; :i ls fuiVku ;kX; fctyh ok;nk lafonkvksa dk ifr"kk/k

जैसाकि उपर उल्लेख किया गया है, आयोग द्वारा अधिसूचित विद्युत बाजार विनियम, 2010 में यह उपबंध किया गया है कि भविष्य में वित्तीय भुगतान के विकल्प के साथ बिजली में वायदा व्यापार की अनुमति, मांग व आपूर्ति के परिदृश्य व बिजली बाजारों में धन सुलभता व उतार–चढ़ाव के स्तर को ध्यान में रखने के बाद सीईआरसी द्वारा दी जाएगी। आयोग ने बिजली के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया है। इस स्थिति को देखते हुए, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत विनियमों में निर्धारित भी किया गया है, आयोग, यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा कि जिन विद्युत संविदाओं में वित्तीय भुगतान का विकल्प है उनका व्यापार वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित किए जा रहे वस्तु बाजार में नहीं किया जाए।

8. 2009–10 के दौरान जारी अधिसूचना

Øe la]	vf/klpuk la	rkjh[k	fofu;e
1-	86	20.05.09	केविविआ (अन्तर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) संशोधन विनियम, 2009
2-	197	23.10.09	केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009
3-	94	02.06.09	केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009
4-	140	10.08.09	केविविआ (संयोजकता, दीर्घकालिक व मध्य–कालिक निर्बाध पहुंच देने व अन्य सम्बद्ध मामलों के लिए प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009
5-	186	26.09.09	सीईआरसी (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र की फीस एवं प्रभार तथा अन्य सम्बद्ध मामले) विनियम, 2009
6-	128	24.07.09	केविविआ फीस सदाय (संशोधन) विनियम, 2009
7-	176	17.09.09	नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत विनियम, 2009 के लिए केविविआ टैरिफ विनियम
8-	58	25.02.10	सीईआरसी (अक्षय ऊर्जा स्त्रोत से टैरिफ का अवधारण करने के निबंधन एवं शर्तें (प्रथम संशोधन) विनियम, 2009
9-	198	23.10.09	उत्पादन कम्पनियों द्वारा तकनीकी ब्यौरों का प्रस्तुत किया जाना विनियम, 2009
10-	252	24.12.09	वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय विनियम, 2009
11-	19	12.01.10	व्यापार मार्जिन अवधारण विनियम, 2009
12-	26	18.01.10	नवीकरणीय ऊर्जा/उत्पादन हेतु नवीकरण ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता देने व उसे जारी करने संबंधी निबंधन तथा शर्तें विनियम, 2009
13-	33	21.01.10	ऊर्जा बाजार विनियम, 2009

9. 2010–11 के लिए कार्यसूची

(क) ''अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रभारों व हानियों में भागीदारी'' संबंधी विनियमों को अंतिम रूप देना।

(ख) वर्ष 2010–11 और 2011–12 के दौरान लागू नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों संबंधी प्रतिनिधिक समान उत्पादन टैरिफ का निर्धारण

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) ढ़ांचे का कार्यान्वयन

(घ) सीईआरसी में विनियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली (रिम्स) का कार्यान्वयन

(ड.) थर्मल विद्युत केन्द्रों के लिए मानक पूंजीगत लागत का विकास

(च) ''अन्तर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के निष्पादन का मानक'' संबंधी विनियमों को अंतिम रूप देना

(छ) विद्युत आपूर्ति संबंधी विनियमों को अंतिम रूप देना

(ज) उत्पादन में ''अधिकतम प्रयोग और सामान्य प्रयोग के टैरिफ की शुरूआत

(झ) प्रतियोगी बोली के लिए मूल्य वृद्धि सूचकांकों की गणना संबंधी कार्य विधियों की समीक्षा

(ञ) मध्य–कालिक पारेषण सुविधाओं के प्रयोग के लिए प्रभारों संबधी विनियम

(ट) पारेषण विस्तार हेतु विनियामक अनुमोदन संबंधी विनियम

10. लेखाओं का वार्षिक विवरण

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियम के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को वित्तीय वर्ष 2004–05 से सहायता अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा बजटीय सहायता दी जा रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सभी अनुदान ऋण, प्राप्त सभी फीस वे ऐसे आय स्त्रोतों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे, से केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी रांशियां इस निधि में जमा की जाती हैं। इस निधि का उपयोग केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक संबंधी खर्चों तथा आयोग द्वारा अपने कृत्यों आदि के निर्वहन में उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान, केन्द्रीय आयोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा 4.0 करोड़ रूपए की सहायता अनुदान संबंधी सहायता प्रदान की गई जिसके प्रतिकूल उपगत व्यय 4.00 करोड़ रूपए (उपयुक्त प्रमाणपत्र नकद आधार के अनुसार) था। अतः 70 प्रतिशत से अधिक के व्यय को केविविआ के स्वयं के संसाधन से पूरा किया गया था।व्यय का मुख्य भाग दर, किराया तथा कर (आरआरटी) तथा वेतन पर खर्च हुआ था। नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित वर्ष 2008–09 के लिए आयोग के वार्षिक लेखाओं को संसद् के दोनों के समक्ष रखा गया।

अधिनियम के अधीन पृथक् निधि का उद्देश्य विनियामक आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना है। इस उद्देश्य के अनुरूप तथा वित्त के मामले में स्वयं दक्ष होने की दृष्टि से, आयोग ने अपनी अधिकारिता के अधीन उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संदेय फीसों में संशोधन किया।

11. आयोग का मानव संसाधन

अधिनियम के अधीन आयोग के बहुत व्यापक दायित्व हैं। आयोग के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन की कार्यकुशलता, इंजीनियरिंग, आर्थिक, वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, विधि, पर्यावरण, सूचना प्रबंधन प्रणाली और अन्य संबद्ध कार्य–क्षेत्रों में समुचित विशेषता और अनुभव वाले इसके कर्मचारियों की दक्षता और कार्यात्मक विशेषता पर निर्भर करता है। आयोग के प्रमुख मानव संसाधन की सूची अनुबंध–X तथा अनुबंध–XI में दी गई है। इसके अतिरिक्त, आयोग, सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध मानव संसाधन और उनकी व्यापक सुविज्ञता और अनुभव का भी उपयोग करना चाहता है। कुशलता और अनुभव में संवृद्धि करने के लिए आयोग परामर्शदाओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए, इसने विनियम बनाए हैं। आयोग में कर्मचारिवृंद की स्थिति और वर्ष 2009–10 के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारिवृन्द का ब्यौरा नीचे सारणी –1 तथा 2 में दिया है।

lkj.kh&1 31 ekpZ 2010 dk vk;kx esa Lohd`r@Hkjs x,@fjDr in

Øe la	in dk uke	Lohd`r inksa dh la[;k	Hkjs x, inksa dh la[;k	fjDr in
1.	सचिव	1	1	.
2.	प्रमुख	4	2	2
3.	संयुक्त प्रमुख	5	5	.
4.	उप प्रमुख	13	8	5
5.	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	.	1
6.	सहायक प्रमुख	16	10	6
7.	न्यायपीठ अधिकारी	2	2	.
8.	सहायक सचिव	2	2	.
9.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	2	2	.
10.	प्रधान निजी सचिव	4	3	1
11.	निजी सचिव	5	5	.
12.	सहायक	6	6	.
13.	वैयक्तिक सहायक	7	4	3
14.	आशुलिपिक	3	3	.
15.	स्वागती–सह–दूरभाष आपरेटर	1	1	.
16.	वरिष्ठ चपरासी/दफ्तरी	2	.	2
17.	चपरासी	2	2	.
18.	ड्राइवर	4	4	.
	;ksx	80	60	20

lkj.kh&2 2009&10 ds nkSjku HkrhZ

Øe la]	in dk uke	Hkjs x, inksa dh la[;k
1-	सचिव	1
2-	संयुक्त प्रमुख	1
3-	उप प्रमुख	3
4-	सहायक सचिव	1
5-	सहायक प्रमुख	3
6-	न्यायपीठ अधिकारी	1
7-	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1
8-	सहायक	5
9-	निजी सहायक	1
10-	आशुलिपिक	2
	dqy	19

अनुबंध

vuqca/k&1

dfofovk ds le{k Qkby dh xbZ ;kfpdkvksa dh fLFkfr ¼1&4&2009 ls 31&3&2010 rd½

fiNys o"kZ ¼2008&09½ dh ;kfpdk,a	2009&10 ds nkSjku izLrqr ;kfpdkvksa dh la[;k	dqy ;kfpdk,a	fuiVkbZ xbZ ;kfpdk,a	31&03&2010 dks yafcr ;kfpdk,a
155	377	532	255	277

1&4&2009 ls 31&3&2010 ds nkSjku fuiVkbZ xbZ ;kfpdk,a

Øe la-	;kfpdk la-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrkZ dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
1	66 / 2003	26.9.2003	एसआरएलडीसी	एनआर के रंगनूर एसटीपीएस से स्थापित सभी उत्पादनकारी कनैक्शनों में प्रचालन की मुक्त गवर्नर प्रणाली	20.8.2009
2	4 / 2004	28.1.2004	ओएचपीसीएल	ओएचपीसी के विभिन्न विद्युत केन्द्रों की मशीनों के लिए प्रचालन की मुक्त गवर्नर प्रणाली में भाग लेने से विशिष्ट छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन।	20.8.2009
3	12 / 2004	28.1.2004	एनएलसी	एनएलसी के विद्युत संयंत्रों में लगातार प्रचालन में मुक्त गवर्नर को रखना।	20.8.2009
4	36 / 2004	12.4.2004	एचटीपीएस	आईईजीसी के अनुसार कोबरा (पश्चिम) में एचटीपीएस में प्रचालन को मुक्त गवर्नर प्रणाली को स्थापित करना और उसे जारी रखना।	20.8.2009
5	143 / 2005	16.11.2005	पीजीसीआईएल	1–4–2004 से 30–6–2017 तक की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में एकीकृत भार प्रेषण एवं संचार (यूएलडीसी) योजना के लिए टैरिफ के विनियम –86 के अंतर्गत अनुमोदन।	27.6.2009
6	31 / 2004	23.3.04	जीईएल	अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करना।	16.6.2009
7	74 / 2006	8.8.06	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत भार प्रेषण एवं संचार (यूएलडीसी) योजना के पारेषण टैरिफ का अनुमोदन।	8.6.2009
8	78 / 2006	14.8.06	पीजीसीआईएल	वर्ष 2005–06 में एकीकृत टैरिफ के लिए दक्षिण क्षेत्र की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	8.6.2009
9	82 / 2006	30.8.06	पीजीसीआईएल	1–04–2004 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रंगानदी–जिरो पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	12 / 31 / 2007 और 11.8.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
10	83/2006	30.8.06	पीजीसीआईएल	1–4–2006 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लोकटक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	8.9.2009
11	84/2006	30.8.06	पीजीसीआईएल	1–4–2004 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रंगांदी पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	19.8.2009
12	85/2006	29.8.06	पीजीसीआईएल	1–4–2004 से 31–3–2009 की अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेज–। विस्तार परियोजना (2x50 मेगावाट) से सहबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	1/16/2008 और 12.8.2009
13	86/2006	29.8.06	पीजीसीआईएल	1–4–2004 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगरतला 132 किलोवाट पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	21.8.2009
14	88/2006	30.8.06	पीजीसीआईएल	1–4–2004 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दक्षिण असम, मिजोरम और त्रिपुरा में पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	21.8.2009
15	89/2006	29.8.06	पीजीसीआईएल	1–4–2004 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में डोयांग पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	21.8.2009
16	90/2006	29.8.06	पीजीसीआईएल	1–4–2004 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त पारेषण गोपुर ईटानगर (एटीजीआई) के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण	21.8.2009
17	91/2006	23.8.06	पीजीसीआईएल	वर्ष 2005–06 के लिए पश्चिम क्षेत्र की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	27.7.2009
18	108/2006	29.09.06	वीजा पीएल	उड़ीसा में 1000 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत परियोजना की अनुमानित परियोजना लागत तथा अनुमानित वित्तीय योजना का सिद्धांत रूप में अनुमोदन।	2.7.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
19	109/2006	29.9.06	इफको सीपीएल	चंदननगर, सरगुजा जिला तथा छत्तीसगढ में 1000 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना की परियोजना पूंजी लागत तथा वित्तीय योजना की सिद्धांत रूप से स्वीकृति जिसको इफको छत्तीसगढ विद्युत लि0 द्वारा स्थापित किया जाना है।	2.7.2009
20	110/2006	29.9.06	टीपीसीएल	उत्तर प्रदेश में चोला में टाटा पावर कम्पनी लि0 द्वारा स्थापित की जा रही 1000 मेगावाट (ग्रॉस) विद्युत परियोजना की अनुमानित परियोजना लागत तथा अनुमानित वित्तीय योजना का सिद्धांत रूप में अनुमोदन।	30.6.2009
21	117/2006	6.10.06	पीजीसीआईएल	वर्ष 2005–06 के लिए उत्तरी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	27.7.2009
22	118/2006	12.10.06	पीजीसीआईएल	वर्ष 2005–06 के लिए पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	28.5.2009
23	119/2006	13.10.06	एनपीवीएल	उड़ीसा में 1040 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत परियोजना की परियोजना पूंजी लागत वित्तीय योजना का सिद्धांत रूप में अनुमोदन।	7.7.2009
24	15/2007	5.2.2007	स्व–प्रेरणा	यूआई सैक्टर का संशोधन।	23.7.2009
25	90/2007	12.7.2007	पीजीसीआईएल	वर्ष 2006–07 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	27.7.2009
26	91/2007	20.7.2007	एनपीईएल	पावर एक्सचेंज की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन।	1.7.2009
27	92/2007	25.7.2007	पीजीसीआईएल	वर्ष 2006–07 के लिए पूर्वी क्षेत्र में ट्रांसमिशन प्रणाली के उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	7.9.2009
28	96/2007	27.7.2007	आरजीपीपीएल	रत्नागिरी गैस और विद्युत प्राइवेट लि0 के टैरिफ का अनुमोदन।	4.6.2009
29	98/2007	31.7.2007	एनएलसी	एनएलसीटीपीएस विस्तार को परिचालित करने वाले तथा फ्लूडाइज्ड बैंड कम्बस्टन टैक्नोलाजी पर आधारित 2X250 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र को प्रारंभ करना (कैप आदर्शक लाइमस्टोन खपत तथा टैरिफ निर्धारण के लिए ओएण्डएम कम कैप सहित प्रचालन के मानदण्डों का निश्चयन)	29.4.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
30	99/2007	1.8.2007	एनएलसी	बारसिंहार–राजस्थान में फ्लूडाइज्ड बैंड कम्बस्टन टैक्नॉलोजी पर आधारित 2X125 मेगावाट क्षमता के तापविद्युत संयंत्र को प्रारंभ करना (प्रचालन के मानदण्डों, ओएण्डएम व्यय कैंप तथा टैरिफ निर्धारण के कुछ अन्य प्रभारों का निश्चयन)	29.4.2009
31	102/2007	8.8.2007	पीजीसीआईएल	वर्ष 2006–07 के लिए दक्षिणी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	9.6.2009
32	161/2007	12.12.2007	पीजीसीआईएल	वर्ष 2006–07 के लिए उत्तरी क्षेत्र की ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	29.9.2009
33	33/2008	12.3.2008	जीएफएल	अनुसूचीकरण उपेक्षा के बिना विचलन (अननुसूचित विनिमय) के आधार पर पवन विद्युत परियोजना से बिजली भेजने के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण कार्यप्रणाली से संपर्क हेतु अनुमति।	13.5.2009
34	48/2008	10.4.2008	स्व–प्रेरणा	कैप्टिव विद्युत के लिए लघु अवधि की निर्बाध पहुंच।	30.3.2009
35	54/2008	23.4.2008	स्व–प्रेरणा	बीएसईबी द्वारा यूआई प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम।	29.1.2010
36	56/2008	23.4.2008	स्व–प्रेरणा	विद्युत विभाग, दादरा व नागर हवेली प्रशासन द्वारा यूआई प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम।	21.1.2010
37	64/2008	5.5.2008	जीईटीसीएल	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 तथा 79 के अंतर्गत गुजरात राज्य से दीव तथा दमण केन्द्र शासित क्षेत्र को विद्युत ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किए गए गुजरात ट्रांसमिशन प्रणाली के ट्रांसमिशन प्रभारों का निर्धारण तथा निर्णय।	31.7.2009
38	66/2008	23.5.2008	स्व–प्रेरणा	उत्पादनकारी कम्पनियों के दायित्व।	30.3.2010
39	67/2008	27.5.08	जीईटीसीएल	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 तथा 69 के अंतर्गत गुजरात राज्य से दादरा और नागर हवेली केन्द्र शासित क्षेत्र को विद्युत ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किए गए गुजरात ट्रांसमिशन प्रणाली के ट्रांसमिशन प्रभारों का निर्धारण तथा निर्णय।	31.7.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
40	72 / 2008	23.6.2008	एनएलसी	कोयला / लिग्नाइट / एपीएम गैस द्वारा चालित उत्पादनकारी केन्द्रों के लिए यूआई कैप के निर्धारण के कारण एनएलसी द्वारा प्रमाणित समस्याएं।	1.6.2009
41	77 / 2008	1.7.2008	पीजीसीआईएल	वर्ष 2007–08 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	7.9.2009
42	88 / 2008	25.7.2008	स्व–प्रेरणा	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का निर्धारण) विनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन न करना।	27.9.2009
43	90 / 2008	28.9.2008	एमपीपीटीसीएल	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–रज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2004 के अनुसार प्रक्रिया निर्धारण के संदर्भ में स्पष्टीकरण।	30.6.2009
44	91 / 2008	6.8.2008	पीजीसीआईएल	वर्ष 2007–08 के लिए पश्चिमी क्षेत्र की ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	28.8.2009
45	95 / 2008	28.9.2008	आड़नी	भूटान में बासोच् एचईपी से बिजली के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुरोध।	10.11.2009
46	97 / 2008	3.9.2008	एनटीपीसी	निभाए गए दायित्वों के प्रभाव तथा रिहंद सुपर ताप विद्युत केन्द्र के बारे में वर्ष 2005–06 के लिए निश्चित प्रभारों पर खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजी व्यय का निर्धारण।	30.12.2009
47	98 / 2008	4.9.2008	पीजीसीआईएल	वर्ष 2007–08 के लिए पूर्वी क्षेत्र की ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	7.9.2009
48	100 / 2008	11.9.2008	एनटीपीसी	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र (1600 मेगावाट) के लिए 2004–05 तथा 15.9.2008–2005–06 के दौरान खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजी व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद संशोधित निश्चित प्रभावों के अनुमोदन के लिए याचिका सं. 32 / 2007 में दिनांक 22–7–2008 के आदेश की समीक्षा।	29.9.2009
49	102 / 2008	15.9.2008	पीजीसीआईएल	वर्ष 2007–08 के लिए उत्तरी क्षेत्र की ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	29.9.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
50	104/2008	22.9.2008	पीजीसीआईएल	वर्ष 2007–08 के लिए दक्षिणी क्षेत्र की ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन का अनुमोदन।	11.8.2009
51	105/2008	26.9.2008	निपको	केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2004 तथा उसके प्रथम संशोधन के अनुसार त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लि0 से रंगानदी जल विद्युत परियोजना के विरूद्ध उत्तर पूर्वी वैद्युत पावर निगम लि0 को घटे हुए टैरिफ पर ब्याज वसूली के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु याचिका।	19.6.2009
52	120/2008	31.10.2008	आईईएक्सएल	याचिका सं. 38/2007 में आई.ए. नं. 22/2008 में दिनांक 19–9–2008 के आदेश की समीक्षा पावर एक्सचेंज की स्थापना के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इंडिया लि0 को अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन।	22.11.2009
53	121/2008	6.11.2008	टीपीटीसीएल	टाटा पावर ट्रेडिंग कम्पनी लि0 द्वारा मांगी गई निर्बाध पहुंच हेतु सहमति प्रदान करने के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड का गैर कानूनी तथा मनमाने ढंग से मना किया जाना।	9.4.2009
54	124/2008	12.11.2008	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सिंगरौली – विंध्याचल कारीडोर में प्रणाली सुदृढीकरण करने के अंतर्गत सिंगरौली –अंत की बेज तथा विध्यांचल एचवीडीसी स्थित बस कुप्लर बे सहित 400 केवी विधांचल कानपुर लाइन के लिए डीओसीओ तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा डीओसीओ से 31–3–2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण। (सिंगरौली में विध्यांचल कानपुर सैक्शन लाइन का पुनर्मिलन तथा सिंगरौली विंध्याचल द्वित्तीय 400 केवी सीकेटी)	29.4.2009
55	126/2008	12.11.2008	पीजीसीआईएल	(i) डीओसीओ से 31–3–2008 तक प्रथम अतिरिक्त पूंजीकरण सहित गूटी तथा रायचूर में बेज विस्तार सहित गूटी रायपुर 400 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा (ii) दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड की प्रणाली सुदृढीकरण योजना–III के अंतर्गत बेज विस्तार सहित नीलमंगला–सोमनाहल्ली 400 केवी डीसी लाइन के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय (1–4–2007 से 31–3–2008 तक द्वितीय अतिरिक्त पूंजीकरण) के ट्रांसमिशन का निर्धारण।	24.4.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
56	127/2008	12.11.2008	पीजीसीआईएल	1–6–2007 से 31–3–2009 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में 400 केवी एस/सी विंध्याचल तथा कोरबा स्विचयार्ड सर्किट–II के लिए अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	9.4.2009
57	128/2008	12.11.2008	पीजीसीआईएल	(i) 2004–09 की अवधि के लिए अमृतसर तथा मोगा उपकेन्द्र उत्तरी क्षेत्र में ट्रांसमिशन क्षमता के आवर्धन के अंतर्गत 315 एमवीए आईसीटी–मागा उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज सहित (ii) अमृतसर उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज तथा 2 न0 पीएसईबी लाइन बेज के लिए डीओसीओ तक 400 केवी बेज रिएक्टर बेज तथा 2 न0 पीएसईबी लाइन बेज के लिए डीओसीओ तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा डीओसीओ से 31–3–2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण।	23.6.2009
58	129/2008	12.11.2008	पीजीसीआईएल	(i) 2004–09 की अवधि के लिए ताला एचईपी, उत्तर पूर्वी अंतर संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली के अंतर्गत संबंद्ध बेज सहित महारानी बाग लिलो आईएस में 400 केवी डीसी बल्लभगढ़ दादरी ट्रांसमिशन लाइन के एकेसीकेटी के लिलो तथा संबंद्ध बेज (डीओसीओ 1–9–2007) सहित महारानी बाग जीआइएस में 315 एमवीए 400/220/33 केवी आईसीटी–I, (ii) संबद्ध बेज (डीओसीओ 2–10–2007) सहित महारानी बाग जीआईएस में 315 एमवीए 400/220/33 केवी आईसीटी–II के लिए डिओसीओ तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा डीओसीओ से 31–3–2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण।	20.4.2009
59	131/2008	12.11.2008	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में 1–8–2007 से 31–3–2009 तक तलचर–कोलार एचवीडीसी बाइ–पोल की अंतरण क्षमता के उन्नयन के लिए 2007–08 के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण पर टैरिफ सहित अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	30.4.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
60	132/2008	12.11.2008	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में विध्यांचल स्टेज–III ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत (i) संबद्ध बेज सहित बीना (पावर ग्रिड) में 400 केवी सतना बीना सीकेटी–I के लिलो (ii) 400 केवी डीसी सतना बीना ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट–IV और III (iii) रामगढ सब–स्टेशन में एक आईसीटी तथा 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी–II सहित रामगढ तथा रामगढ उपकेन्द्र में रामपुर–राउरकेला डीसी लाइन के लिलो के लिए डीओसीओ तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा डीओसीओ से 31–3–2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का अवधारण।	20.4.2009
61	133/2008	12.11.2008	पीजीसीआईएल	ताला एचईपी, उत्तर पूर्वी अंतर संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली से सहबद्ध मुजफ्फरपुर उपकेन्द्र में डीओसीओ से 31–3–2009 तक 400/220 केवी, 315 एमवीए आईसीटी–II के अतंरिम ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	8.4.2009
62	134/2008	12.11.2008	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना–III के अंतर्गत (i) हिसार उपकेन्द्र में 50 एमवीएआर सब रिएक्टर (ii) 400 केवी मेगा हिसार लाइन का लिलो, फतेहाबाद उपकेन्द्र में आईसीटी–I, 4 न0 220 केवी लाइन बेज (फतेहाबाद 1 तथा फतेहाबाद फीडर) तथा फतेहाबाद उपकेन्द्र में बेज के साथ 50 एमवीएआर बुआस रिएक्टर बेज (iii) 400/220 केवी आईसीटी–II के लिए डीओसीओ तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा डीओसीओ से 31–3–2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण।	20.4.2009
63	135/2008	12.11.2008	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 के उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना के अंतर्गत (i) वंगूरा उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज सहित 3x105 एमवीए 400/220/33 केवी आईसीटी–।।। (iii) तागूरा उपकेन्द्र में 220 केवी जैनकोट–III और IV बेज के लिए डीओसीओ तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा डीओसीओ 31–3–2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण।	22.4.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
64	136/2008	12.11.2008	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना–I के अंतर्गत 400 केवी कानुपर–औरिया ट्रांसमिशन लाइन के साथ कानपुर उपकेन्द्र में दो न0 400 केवी बेज (ii) बरेली में 400 केवी डीसी बरेली मंजोला ट्रांसमिशन लाइन तथा बरेली में बस रिएक्टर (iii) बरेली में 400 केवी एमसी लखनउ मुरादाबाद ट्रांसमिशन लाइन का लिलो (iv) लखनउ (पावर ग्रिड) में 400 केवी लखनउ (यूपीपीसीएल) – सुलतानपुर (यूपी पीसीएल) का लिलो के लिए डीओसीओ तक अंतिम पारेषण टैरिफ तथा डीओसीओ से 31–3–2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण।	22.4.2009
65	139/2008	14.11.2008	एनटीपीसी	पूंजीकरण व्यय के लेखांकन के बाद आरजीसीसीपीपी कायमकुलम के संशोधित निश्चित प्रभारों का अनुमोदन।	9.6.2009
66	140/2008	14.11.2008	एनटीपीसी	एनटीपीसी को हस्तांतरित स्विचयार्ड की पूंजीगत लागत के लेखांकन के बाद फरीदाबाद जीपीएस के संशोधित निश्चित प्रभारों का अनुमोदन।	9.6.2009
67	143/2008	14.11.2008	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र (डीओसीओ 1–10–2005) में मेली में 132 केवी रंजीत सिलीगुडी ट्रांसमिशन लाइन के सिलीगुडी गंगटोक खण्ड के लिलो द्वारा पूर्वी क्षेत्र के साथ सिक्किम ट्रांसमिशन प्रणाली के समेकन के लिए 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान खर्च किए गए दूसरे अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	1.4.2009
68	144/2008	14.11.2008	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र (डीओसी 1–10–2005) में गंगटोक में 132 केवी डीसी सिलीगुडी रंगीत के एक सर्किट के लिलो के लिए 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान खर्च किए गए दूसरे अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	2.4.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
69	146/2008	16.10.2008	एनटीपीसी	प्रतिवादी सं. 1 से 3 को विद्युत आपूर्ति के लिए व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से प्रथम 250 मेगावाट भिलाई विस्तार ताप विद्युत परियोजना (2X250 मेगावाट) के अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन।	05.1.2010
70	148/2008	25.11.2008	एनटीपीसी सेल पॉवर कम्पनी लि.	प्रतिवादी सं. 1 से 3 को विद्युत आपूर्ति के लिए व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से प्रथम 250 मेगावाट भिलाई विस्तार ताप विद्युत परियोजना (2X250 मेगावाट) के अनंतिम टैरिफ का अनुमोदन।	11.5.2009
71	155/2008	5.12.2008	डीवीसी	मेजिया ताप विद्युत इकाईयों की 5 की व 6 (2X250=500 मेगावाट) के लिए व्यावसायिक प्रचालन की संबंधित तारीखों से टैरिफ का अनुमोदन।	23.12.2009
72	158/2008	15.12.2008	डीसीडब्ल्यू लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 तथा 149 के अंतर्गत याचिका।	9.4.2009
73	159/2008	19.12.2008	पीएक्सआईएल	राष्ट्रीय विद्युत नीति के पैरा 5–7–1 (च) तथा याचिका सं. 155/2006 में आदेश दिनांक 6–2–2007 के साथ पठित। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 के प्रावधानों का उल्लंघन	28.4.2009
74	163/2008	31.12.2008	एनएलसी	बकाया राशि का संचयन आय–कर देय तथा प्राप्त की गई अतिरिक्त छूट को क्लीयर करने के लिए आयोग के हस्तक्षेप तथा टीएनईबी के लिए निर्देश की मांग।	7.1.2010
75	166/2008	31.12.2008	पीएक्सआईएल	पावर एक्सचेंज इंडिया लि0 में और अनुबंध प्रारंभ करने के लिए अनुमति।	31.8.2009
76	167/2008	31.12.2008	पीजीसीआईएल	1–4–2007 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र में कहलगांव स्टेज–II चरण–I के अंतर्गत आगरा तथा ग्वालियर उपकेन्द्र में संबंधित बेस सहित आगरा ग्वालियर 765 केवी एससी लाइन के लिए डीओसीओ तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा डीओसीओ से 31–3–2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण।	29.4.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
77	168/2008	31.12.2008	पीजीसीआईएल	1–11–2007 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में नागदा और बीना से सहबद्ध बेज उपस्करों के साथ 400 केवी बीना नागदा डीसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए डीओसीओ तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा डीओसीओ से 31–3–2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण।	27.5.2009
78	170/2008	31.12.2008	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में ऊंचाहार–III ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत (i) रायबरेली से सहबद्ध बेज के साथ 220 केवी एससी उंचाहार रायबरेली ट्रांसमिशन लाइन, संबद्ध बेज के साथ (डीओसीओ 1–8–2007) रायबरेली में 220 केवी डीसी ऊंचाहार लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन का लिलो तथा रायबरेली में 200 एमवीए, 220/132 केवी आईसीटी तथा (ii) सहबद्ध बेज के साथ (डीओसीओ 1–11–2007) रायबरेली उपकेन्द्र में 100 एमवीए, 220/132 केवी आईसीटी–III के लिए अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	30.6.2009
79	1/2009	1.1.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 के लिए पूर्वी क्षेत्र में कहलगांव स्टेज–II चरण–I (2x500 मेगावाट) ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत 400 केवी डीसी कहलगांव पटना लाइन (पटना उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज सहित 1x50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर, 1x80 एमवीएआर बस रिएक्टर, पीएसईबी उपकेन्द्र के लिए उपकेन्द्र में 2 न0 220 केवी लाइन बेज तथा पटना उपकेन्द्र में आईसीटी–I के लिए 400 और 220 केवी बेज (ii) से सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी मैथॉन रांची लाइन, रांची उपकेन्द्र से संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी, 315 एमवीए, आईसीटी–।। तथा रांची उपकेन्द्र में 220 पत्रातलु तथा चांदिल बेज डीओसीओ 1–6–2007 (iii) रांची में 80 एमवीएआर बस रिएक्टर तथा रांची में 220 केवी लाइनबेस का 2 न0 डीओसीओ 1–9–2007 (iv) पटना उपकेन्द्र में आईसीटी–I (v) संबद्ध बेज सहित रांची उपकेन्द्र में 400/220 केवी तथा पटना उपकेन्द्र में 2 न0 लाइनबेस डीओसीओ 1–12–2007 तथा (vi) संबद्ध बेज सहित पटना उपकेन्द्र में आईसीटी–II डीओसीओ 1–1–2008 के लिए अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	6.5.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
80	2/2009	1.1.2009	पीजीसीआईएल	डीओसीओ से 31–3–2009 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में सिपत्–I ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत (i) सहबद्ध बेज सहित 765 केवी सिपत सिमोनी केसीटी–I (डीओसीओ 1–11–2007, (ii) सियोनी उपकेन्द्र में दो 220 केवी लाइन बेज सहित 400/220 केवी आईसीटी–I (डीओसीओ 1–12–2007) (iii) 400 केवी डीसी नागदा देहगामलाइन का सीकेटी–II (डीओसीओ 1–1–2008) तथा (iv) 400 केवी डीसी नागदा देहगाम लाइन का सीकेटी–I (डीओसीओ 1–2–2008) के लिए डीओसीओ तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा डीओसीओ से 31–3–2009 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण।	22.7.2009
81	3/2009	1.1.2009	पीजीसीआईएल	डीओसी से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र के सिपत–II ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत (i) 765 एससी बीना ग्वालियर ट्रांसमिशन लाइन ग्वालियर उपकेन्द्र तथा बीना (पावर ग्रिड) उपकेन्द्र से सहबद्ध 400 केवी बेज (डीओसीओ 1–4–2007) (ii) ग्वालियर उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज के साथ 315 एमवीए, 400/220/33 केवी ऑटो ट्रांसफार्मर (डीओसीओ 1–5–2007) तथा (iii) भाटापारा उपकेन्द्र के आईसीटी–I सहित संबद्ध बेज उपस्कर के साथ भाटापारा उपकेन्द्र में 400 केवी एमसी कारेबा रायपुर ट्रांसमिशन लाइन के लिलो (डीओसीओ 1–12–2007) के लिए अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा डीओसीओ से 31–3–2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण।	15.6.2009
82	4/2009	1.1.2009	पीजीसीआईएल	2007–09 की अवधि के लिए पूवी क्षेत्र में रांची उपकेन्द्र में झारखण्ड राज्य बिजली बोर्ड प्रणाली के साथ 220 केवी अंतर संयोजन से सहबद्ध 1–6–2007 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए रांची उपकेन्द्र में पत्रादु हातिल चांदिल 220 केवी डीसी लाइन के प्रथम केसीटी के लिलो तथा 1–9–2007 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए रांची उपकेन्द्र में पत्रादु हातिल चांदिल 220 केवी डीसी लाइन की द्वितीय केसीटी के लिलो के अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन।	6.5.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
83	5/2009	1.1.2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में डीओसीओ से 31–3–2009 तक कैगा 3 व 4 (2x235 मेगावाट) परियोजना से संबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत प्रथम अतिरिक्त पूंजीकरण सहित नरेन्द्र में 50 एमवीएआर रिएक्टर (डीओसीओ 1–1–2008) (ख) मैसूर मे नरेन्द्र देवनगिरी 400 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन और 50 एमवीएआर बस रिएक्टर (डीओसीओ 1–2–2008) प्रथम अतिपूंजीकरण केप सहित तथा (ग) संबद्ध बेस तथा उपस्करों सहित हिरीयूर उपकेन्द्र में द्वितीय 315 एमवीए ऑटो ट्रांसफर के लिए अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	20.7.2009
84	6/2009	1.1.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ 2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र कहलगांव स्टेज–।। चरण–। ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत कहलगांव स्टेज–।। ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत (i) पटना और बालिया से सहबद्ध बेज सहित 400 केवी बलिया लखनऊ सीकेटी–। और ।।, 400 केवी बलिया मऊ सीकेटी–।, 400 केवी डी/सी पटना बलिया लाइन (ii) 400 केवी डी/सी लखनऊ बलिया लाइन के रूप में लखनऊ में 400 केवी बलिया माऊ सीकेटी–।।, 40 प्रतिशत एफएससी (iii) बिहार शरीफ के उपकेन्द्र का 80 एमवीएआर बस रिएक्टर (iv) संबद्ध बेस सहित 400 केवी लखनऊ बरेली सीकेटी–। व ।। (v) संबद्ध बेज सहित 400 केसी डी/सी बिहार–शरीफ बलिया लाइन सीकेटी–। (vi) संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी बिहार शरीफ बलिया लाइन सीकेटी–।। के लिए डीओसीओ तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा डीओसीओ से 31.3–2008 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण।	13.5.2009
85	7/2009	1.1.2009	एनटीपीसी	याचिका सं. 48/2007 में दिनांक 20–11–2008 के आदेश की समीक्षा–कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2100 मेगावाट) के लिए 2004–05 और 2005–06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव पर विचार करने के बाद 2004–09 की अवधि हेतु संशोधित निश्चित प्रभारों का अनुमोदन।	7.9.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
86	10/2009	9.1.2009	एनएचपीसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार) विनियम, 1999 के अध्याय–V के साथ पढ़े। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 79(i)(क) के अंतर्गत (i) 91.65 करोड़ रू0 के आस्थगित दायित्व को जारी करने (ii) चेमरा एचई परियोजना स्टेज–।। के संदर्भ में वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान खर्च अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण एएफसी के प्रभाव के निर्धारण के लिए याचिका	9.6.2009
87	11/2009	12.1.2009	एनएलसी	2007–08 की अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण व्यय के कारण एनएलसी टीपीएस स्टेज–। (630 मेगावाट) तथा स्टेज–।। (840 मेगावाट) के लिए नियत प्रभारों के संशोधन की मांग।	30.12.2009
88	13/2009	12.1.2009	एनएलसी	2007–08 की अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण नियत प्रभारों के संशोधन की मांग तथा एनएलसी टीपीएस–। (600 मेगावाट) के लिए 2008–09 का प्रस्तवित योग।	18.12.2009
89	14/2009	12.1.2009	एनएलसी	2007–08 की अवधि के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण निश्चित प्रभारों के संशोधन की मांग तथा एनएलसी टीपीएस–। (विस्तार) (2x210 मेगावाट) के लिए 2008–09 का प्रस्तावित योग।	18.12.2009
90	15/2009	15.1.2009	एनटीपीसी	विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन का पूंजीकरण अनुमति हेतु याचिका।	12.5.2009
91	16/2009	16.1.2009	एनईटीसी	नार्थ–ईस्ट कपंनी लि0 को ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन।	16.6.2009
92	18/2009	20.1.2009	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र में मेरा मुंडली तथा जयपोर उपकेन्द्र सहित 400 केवी एस/सी मेरा मुंडली जयपोर ट्रांसमिशन लाइन हेतु 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान खर्च हुए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण (डीओसीओ 1–6–2004)	13.5.2009
93	20/2009	21.1.2009	21वीं शताब्दी	विद्युत के लिए अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन।	13.10.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
94	21/2009	28.1.2009	जीएमआर	विद्युत अधिनियम, 1003 की धारा 2(4) के अन्तर्गत निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए धारा 76 तथा 79 के अन्तर्गत आवेदन।	21.4.2009
95	23/2009	28.1.2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण IV प्रणाली के अन्तर्गत (क) महबूब नगर में नागार्जुन सागर रायपुर 400 केवी एस/सी (1–1–2006 से 31–3–2009) तक सहबद्ध बेज सहित का लिलो तथा (ख) सहबद्ध बेज सहित अल्माड़ी (1–6–2006 से 31–3–2009) में नलोर श्री पैराम्बदूर 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाईन के दोनों सर्किटो के लिलो के लिए 2007–2008 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण टैरिफ का संशोधन।	13.5.2009
96	24/2009	29.1.2009	एनएचपीसी	उरीएचई परियोजना के सन्दर्भ में 2004–205 तथा 2005–06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण/गैर पूंजीकरण के कारण एएफसी के प्रभाव का निर्धारण।	25.6.2009
97	25/2009	29.1.2009	जीपीआईएल	गोदावरी विद्युत तथा इस्पात लि0 को विद्युत के लिए अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन।	28.4.2009
98	26/2009	9.2.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–। के अन्तर्गत औरया में बेज सहित 400 केवी डी/सी कानपुर औरया ट्रांसमिशन लाईन के लिए 2006–07 तथा 2007–08 में उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण तथा आरसीई के अनुमोदन के कारण संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	13.5.2009
99	27/2009	9.2.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–।। के अन्तर्गत बेज सहित 400 केवी डी/सी आगरा बासी ट्रांसमिशन लाईन (सीकेटी/3 और 2) के लिए 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करते हुए संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण (डीओसीओ 1–1–2007)।	9.6.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
100	28/2009	9.2.2009	एसीएमईटीपीएल	विद्युत के उत्पादन तथा बिक्री के लिए अनंतिम टैरिफ के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) (29) के अंतर्गत याचिका 1 समेकित योजना के जरिए दिल्ली और हरियाणा राज्य के लिए याचिकादाता।	30.12.2009
101	29/2009	16.2.2009	स्व–प्रेरणा	जम्मू कश्मीर द्वारा निकासी अनुसूची से ज्यादा आहरित ऊर्जा के लिए अनुसूचित विनिमय अंतध (यूआई) प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम।	11.5.2009
102	30/2009	20.2.2009	एनटीपीसी	फिरोजगांधी ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र स्टेज–। (420 मेगावाट) के नियत प्रभारों पर वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2007–08 के लिए खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव का निर्धारण।	27.10.2009
103	31/2009	20.2.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रणाली सुधार योजना के अंतर्गत 220 केवी एस/सी मेरठ शताब्दी नगर ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2007–08 के दौरान खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करते हुए पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	8.6.2009
104	32/2009	20.2.2009	एनटीपीसी	अंतागैस विद्युत केन्द्र (419.33 मेगावाट) के लिए 2004–05, 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव का निर्धारण।	18.12.2009
105	33/2009	20.2.2009	एनएचडीसी	इन्दिरा सागर विद्युत केन्द्र (8X125 मेगावाट) के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण पर उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन।	20.10.2009
106	34/2009	24.2.2009	स्व–प्रेरणा	मध्य प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि0 द्वारा निकासी अनुसूची से अधिक आहरित ऊर्जा के लिए अनुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम।	16.7.2009
107	35/2009	24.2.2009	स्व–प्रेरणा	अरूणाचल प्रदेश द्वारा निकासी अनुसूची से अधिक आहरित ऊर्जा के लिए अनुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम।	20.5.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
108	39/2009	27.2.2009	एनएचपीसी	लोकटक के संबंध में 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण/गैर पूंजीकरण के कारण एएफसी के प्रभाव का निर्धारण।	27.10.2009
109	40/2009	27.2.2009	एनएचपीसी	रंजीत के संबंध में 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण/गैर पूंजीकरण के कारण एएफसी के प्रभाव का निर्धारण।	12.10.2009
110	41/2009	2.3.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में बरेली (यूपीपीसीएल) में सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी धौलीगंगा एचईपी बरेली (यूपीपीसीएल) के लिए 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित ट्रांसमिशन टैरिफ का अवधारण।	9.6.2009
111	42/2009	2.3.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में सिपत–। पारेषण प्रणाली के अंतर्गत सिपत में कोरबा रायपुर 400 केवी एस/सी लाइन की लिलो के लिए 2007–08 के दौरान खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करते हुए पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का अवधारण।	17.6.2009
112	43/2009	2.3.2009	पीजीसीआईएल	400 केवी डी/सी विजयवाडा नेल्लौर ट्रांसमिशन लाइन, 400 केवी डी/सी नेल्लौर श्रीपेराम्बदूर लाइन, नेल्लौर में न्यू 400 केवी स्विचिंग स्टेशन, दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण योजना के अंतर्गत सहबद्ध बेज के साथ विजयवाडा तथा श्रीपेराम्बदूर के विस्तार के लिए 2004–09 की अवधि के लिए टैरिफ अवधि 2004–05 तथा 2005–06 हेतु 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित पारेषण टैरिफ का अवधारण।	20.7.2009
113	44/2009	4.3.2009	एनटीपीसी	कवास गैस विद्युत केन्द्र (656.20 मेगावाट) के लिए निश्चित प्रभारों पर 2004–05, 2005–06, 2006–07 तथा 2006–08 के दौरान खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव के निर्धारण के लिए याचिका।	30.12.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
114	45/2009	5.3.2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में 400 केवी मदुरै त्रिवेन्द्रम ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ के लिए संशोधन।	17.6.2009
115	46/2009	5.3.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में तारापुर परमाणु केन्द्र स्टेज 3 व 4 सहित तारापुर ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ के लिए संशोधन।	17.6.2009
116	47/2009	5.3.2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र से सहबद्ध बेज उपस्कर सहित नागार्जुन उपकेन्द्र में 315 एमवीए आईसीटी–।।। के लिए 2006–07 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ के लिए पुनरीक्षण।	1.7.2009
117	48/2009	5.3.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में विध्यांचल ट्रांसमिशन प्रणाली–।।। के अंतर्गत (क) 400 केवी डी/सी विध्यांचल सतना ट्रांसमिशन लाइन सर्किट 3, संहबद्ध बेज उपस्कर सहित तथा (ख) सहबद्ध बेज उपस्कर सहित सतना उपकेन्द्र में बेज उपस्कर सहित 400/220 केवी, 315 एमवीए आईसीटी–।। के लिए 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण।	19.6.2009
118	49/2009	5.3.2009	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए गूटी में 400 केवी गूटी नीलमंगला सर्किट–।। पर 40 प्रतिशत निश्चित श्रृंखला की क्षतिपूर्ति के लिए 2006–07 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण।	26.6.2009
119	50/2009	5.3.2009	पीजीसीआईएल	2004–09 की टैरिफ अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में रायपुर में बेज–विस्तार तथा भद्रावती उपकेन्द्र (भद्रावती) 400 केवी डी/सी के लिए 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण।	15.6.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
120	51/2009	5.3.2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में 400 केवी डी/सी मैसूर नीला मंगला ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत, मैसूर उपकेन्द्र तथा नीला–मंगला स्थित बेज सहित 400 केवी डी/सी मैसूर नीला–मंगला ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण।	25.6.2009
121	52/2009	6.3.2009	स्व–प्रेरणा	ग्रिड अनुशासन का रखरखाव – कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, बंगलौर द्वारा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता का अनुपालन।	2.2.2010
122	53/2009	6.3.2009	एनएचपीसी	टनकपुर एचई परियोजना के संबंध में, वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण एएफसी पर प्रभाव का अवधारण।	17.9.2009
123	54/2009	9.3.2009	पीटीसी	केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में स्पष्टीकरण की मांग करना।	5.5.2009
124	55/2009	9.3.2009	पीजीसीआईएल	दक्षिण क्षेत्र में व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक कुडनकुलाम परमाणु विद्युत परियोजना (2X1000 मेगावाट) सहित ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत सहबद्ध बेज तथा उपस्कर सहित तिरुनेलवेली उपकेन्द्र में द्वितीय 400/220 केवी, 315 एमवीए ऑटो ट्रांसफार्मर तथा द्वितीय 400 केवी, 63 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	21.4.2009
125	56/2009	12.3.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में भद्रावती (पावर ग्रिड) स्विचिंग केन्द्र (विस्तार) तथा चन्द्रपुर (एमएसईबी) स्विचयार्ड (विस्तार) में बेज सहित भद्रावती–चन्द्रापुर 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन के लिए 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करते हुए पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	18.6.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
126	57 / 2009	12.3.2009	पीजीसीआईएल	(i) मेरठ उपकेन्द्र में सहबद्ध बेज सहित आईसीटी–I (ii) मेरठ अंत में सहबद्ध बेज सहित टिहरी मेरठ सीकेटी–। और (iii) उत्तरी क्षेत्र में टिहरी ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत मेरठ अंत में सहबद्ध बेज सहित टिहरी मेरठ ट्रांसमिशन लाइन सीकेटी–II तथा सहबद्ध बेज सहित 400 केवी एस / सी मेरठ–मुजफ्फरनगर ट्रांसमिशन के लिए 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण।	20.7.2009
127	58 / 2009	16.3.2009	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 2007–08 के लिए वगूरा उपकेन्द्र में विशेष सुरक्षा बल तैनात करने के लिए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति।	26.5.2009
128	59 / 2009	16.3.2009	स्व–प्रेरणा	ग्रिड अनुशासन का रखरखाव–राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0, जयपुर द्वारा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के उपबन्धों का अनुपालन।	2.2.2010
129	60 / 2009	18.3.2009	एसआरएसएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11(2) के साथ पठित धारा 79(प) (ग), (च) और (ट) के अंतर्गत याचिका।	27.10.2009
130	61 / 2009	27.3.2009	पीजीसीआईएल	1–4–2004 से 31–3–2009 की अवधि के लिए पूर्वी–क्षेत्र में इसके सहबद्ध बेज सहित 400 केवी एस / सी जमशेदपुर राउरकेला (सीकेटी–II) के लिए 2004–05, 2005–06 तथा 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित ट्रांसमिशन टैरिफ का अवधारण।	27.7.2009
131	63 / 2009	27.3.2009	एनटीपीसी	20–6–2008 से 31–12–2008 तक की अवधि के लिए यूनिट–IV (500 मेगावाट) तथा 1–1–2009 से 31–3–2009 की अवधि के लिए सिपत सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्टेज–II की यूनिट–IV व V (2x500 मेगावाट) (संयुक्त) के अन्तिम टैरिफ का अनुमोदन।	10.12.2009
132	64 / 2009	27.3.2009	पीटीएल	2007–08 तथा 2008–09 की अवधि के लिए 400 केवी डी / सी गोरखपुर लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन तथा ताला जल विद्युत पावर, उत्तर पूर्वी अन्तर संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली सहित 400 केवी डी / सी बरेली मंडोला लाइन के लिए दूसरे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय संबंधी टैरिफ का अनुमोदन।	30.7.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
133	65/2009	27.3.2009	पीटीएल	2007–08 तथा 2008–09 की अवधि के लिए 400 केवी डी/सी सिलीगुडी पूर्णिया ट्रांसमिशन लाइन, ताला जलविद्युत परियोजना, उत्तर पूर्वी अन्तर संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली सहित पूर्व क्षेत्र में 400 केवी डी/सी पूर्णिया मुजफ्फरपुर (एमएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन के लिए दूसरे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पर टैरिफ का अनुमोदन।	30.7.2009
134	66/2009	27.3.2009	पीटीएल	2007–08 तथा 2008–09 की अवधि के लिए ताला जल विद्युत परियोजना, उत्तर पूर्वी अन्तर संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली सहित पूर्वी उत्तर अन्तर संयोजक में 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन के लिए दूसरे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय पर टैरिफ का अनुमोदन।	29.7.2009
135	67/2009	31.3.2009	एनटीपीसी	याचिका संख्या 31/2008 में दिनांक 3–2–2009 के आदेश का पुनर्विलोकन–तलचर ताप विद्युत केन्द्र (460 मेगावाट) के संबंध में वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित निश्चित प्रभारों का अनुमोदन।	29.9.2009
136	68/2009	31.3.2009	पीजीसीआईएल	पूर्वी क्षेत्र के लिए सुदृढीकरण योजना (भूतपूर्व ताला अनुपूरक योजना का भाग) के अन्तर्गत प्रणाली के अधीन 1–11–2006 से 31–3–2009 की अवधि के लिए (i) 315 एमवीए, 400/220 केवी, 1–10–2006 से 31–3–2009 तक सिलीगुडी में आईसीटी तथा (ii) 400 केवी डी/सी बिहार शरीफ मुजफ्फरपुर लाइन बिहार–शरीफ केवी विस्तार तथा मुजफ्फरपुर 400 केवी विस्तार का 1–4–2007 से 31–3–2008 तक के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का अवधारण।	29.8.2009
137	69/2009	31.3.2009	पीजीसीआईएल	अवधि 2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में दुलहस्ती संयुक्त पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत किशनपुर तथा वागूरा उपकेन्द्र पर सहबद्ध बेज सहित 400 केवी किशनपुर वगूरा ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2007–08 के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	27.7.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
138	70/2009	31.3.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में रिहन्द स्टेज–।। ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण टैरिफ का पुनरीक्षण।	7.9.2009
139	71/2009	31.3.2009	एनएचपीसी	बैरास्यूल एचई परियोजना के संबध में, वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण/गैर–पूंजीकरण के कारण एएफसी के प्रभाव का अवधारण।	14.10.2009
140	72/2009	31.3.2009	एनएचपीसी	7–4–2008 से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए दुलहस्ती एचई परियोजना के टैरिफ उत्पादन का अनुमोदन।	30.11.2009
141	138/2009	16.10.2008	टीएनईबी	डीओसी से 31–3–2004 तक की अवधि के लिए एनटीपीसी के तलचर एसटीपीएस, स्टेज–।। के संबंध में, विलम्ब की माफी के लिए याचिका संख्या 1/2003 में 13–6–2005 के केविविआ आदेश के विरूद्ध केविविआ के विनियम 103 के अन्तर्गत तथा केविविआ (कारबार संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 114 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन याचिका।	25.6.2009
142	73/2009	9.4.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए पश्चिमी क्षेत्र के 400 केवी डी/सी रायपुर राउरकेला ट्रांसमिशन लाइन के लिए नियत तथा थायरिस्टर नियंत्रित श्रृंखला प्रतिकर के लिए 2005–06 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करते हुए, संशोधित पारेषण टैरिफ का अवधारण।	7.8.2009
143	74/2009	9.4.2009	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढीकरण योजना (भूतपूर्व ताला अनुपूरक योजना का भाग) के लिए 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	23.7.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
144	75/2009	9.4.2009	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए ताला एचईपी, पूर्वी उत्तर अंतर–योजक तथा उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत (i) विद्युत संपर्क की मंडोला बरेली लाइन 400 केवी सहित 400 केवी बरेली उपकेन्द्र (यूपीपीसीएल) (विस्तार) तथा 400 केवी मंडोला उपकेन्द्र विस्तार (ii) दोनों ओर सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी लखनऊ (पावर ग्रिड) उन्नाव (यूपीपीसीएल), दोनों तरफ बेज सहित 400 केवी डी/सी गोरखपुर (पावरग्रिड) गोरखपुर (यूपीपीसीएल), गोरखपुर (पावर ग्रिड) में 2 न0 400 केवी बेज तथा लखनऊ (पावर ग्रिड) में 400/220 केवी 315 एमवीए आईजीटी तथा सहबद्ध बेज सहित गोरखपुर (पावरग्रिड) में 400/220 केवी 315 एमवीए, आईसीटी–। के लिए 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधन पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	22.7.2009
145	76/2009	9.4.2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में सीटीपी संवर्धन के अंतर्गत गजुवाका में आईसीटी खम्माम एवं रिएक्टर सहित 400 केवी रामागुंडम ट्रांसमिशन के लिए 2008–09 के दौरान खर्च किए गैर–पूंजीकरण तथा अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पारेषण टैरिफ का पुनरीक्षण।	7.8.2009
146	77/2009	9.4.2009	पीजीसीआईएल	1–9–2006 से 31–3–2009 तक ताला एचईपी, उत्तरपूर्वी अन्तर संयोजक तथा उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली, जो उत्तरी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र के बीच (i) एक अन्तर क्षेत्रीय परिसम्पत्ति है सहित पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत विद्युत सम्पर्क की 400 केवी मुजफ्फरपुर गोरखपुर लाइन से सहबद्ध गोरखपुर उपकेन्द्र में 400 केवी बेज के टीसीएससी तथा 2 नं. (ii) विद्युत सम्पर्क की 400 केवी मुजफ्फरपुर में 400 केवी बेज के 2 नं. के लिए 2007–08 दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का अवधारण।	17.8.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
147	78/2009	9.4.2009	पीजीसीआईएल	(i) 400/220 केवी सहित बिहार शरीफ उपकेन्द्र के विस्तार 1–4–2004 से 31–3–2009 तक सहबद्ध बेज सहित 1 न0 315 एमवीए ट्रांसफार्मर (ii) 400/220 केवी सहित बिहार शरीफ उपकेन्द्र के विस्तार को छोडकर बिहार ग्रिड सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत कवर की गई सभी अन्य परिसम्पत्तियों, 1–11–2004 से 31–3–2009 तक सहबद्ध बेज सहित 1 न0 315 एमवीए ट्रांसफार्मर के लिए 1–4–2006 से 31–3–2008 के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का अवधारण।	7.8.2009
148	79/2009	13.4.2009	पीजीसीआईएल	व्यावसायिक प्रचालन की सम्बंधित तारीख से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए याचिका संख्या 103/2008, 106/2008, 112/2008, 118/2008, 122/2008, 123/2008, 149/2008, 151/2008 के सम्बन्ध में अंतिम पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका दायर करने के लिए समय विस्तार हेतु विविध आवेदन।	15.5.2009
149	82/2009	15.4.2009	पीजीसीआईएल	(i) सहबद्ध बेज सहित आईसीटीवन सहित 400/220 केवी दमोह उपकेन्द्र (ii) दमोह उपकेन्द्र में सहबद्ध 400 केवी तथा 220 केवी बेज सहित 400/220 केवी 315 एमवीएआई सीटी 2 और (iii) व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यूआरएसएस (IV) पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत दमोह उपकेन्द्र में 400 केवी बेज से सहबद्ध 400 केवी 63 एमवीएआर कारक के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	20.5.2009
150	83/2009	16.4.2009	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में रिहन्द दादरी एचवीडीसी बाइपोल तथा गोरखपुर मुजफ्फरपुर 400 केवी लाइन के लिए विशेष संरक्षण योजना के अंनतिम टैरिफ का निर्धारण।	29.6.2009
151	85/2009	24.4.2009	टीपीटीसीएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) (च) के अंतर्गत याचिका।	18.8.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
152	86 / 2009	30.4.2009	एएसईबी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें) विनियम, 2009 का पुनर्विलोकन।	22.6.2009
153	87 / 2009	30.4.2009	एनएचपीसी	सलाल एचई परियोजना के संबंध में एएफसी पर वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान उपगत पूंजीकरण / गैर–पूंजीकरण के प्रभाव का अवधारण।	4.1.2010
154	88 / 2009	30.4.2009	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में 400 / 220 केवी खंडवा उपकेन्द्र सहित खंडवा में 400 केवी इटारसी धुले डी / सी ट्रांसमिशन लाइन के लिलो के लिए 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करते हुए पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का अवधारण।	22.7.2009
155	93 / 2009	30.4.2009	एनएसपीसीपीएल	प्रतिवादी 1 से 3 को विद्युत आपूर्ति के लिए इसके व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से भिलाई विस्तार ताप विद्युत परियोजना (2x250 मेगावाट) की प्रथम 250 इकाई के टैरिफ का अनुमोदन।	10.2.2010
156	94 / 2009	30.4.2009	पीजीसीआईएल	1–2–2009 से 31–3–2009 तक उत्तरी क्षेत्र में आरएपीपी 5 से 6 ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत कांकरोली उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज सहित 50 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	9.6.2009
157	96 / 2009	1.5.2009	पीजीसीआईएल	व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक पश्चिमी क्षेत्र के सिपत–।। पारेषण प्रणाली के अंतर्गत भट्टापारा उपकेन्द्र में 315 एमवीए आईसीटी–।। पारेषण टैरिफ का अवधारण।	23.6.2009
158	97 / 2009	5.5.2009	एनएचपीसी	चमेरा–। एचईपी के संदर्भ में 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान खर्च किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण एएफसी के प्रभाव का अवधारण।	21.12.2009
159	98 / 2009	27.5.2009	टीएनईबी	याचिका सं. 97 / 2005 में दिनांक 19–10–2005 के आदेश पुनर्विलोकन केविविआ के टैरिफ आदेश और विनियमों से जुडे रहने के लिए टीएनईबी के लिए आयोग से निर्देश मांगना।	17.12.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
160	99/2009	27.5.2009	टीएनईबी	याचिका सं. 17/006 में दिनांक 14–9–2006 के आदेश का पुनर्विलोकन एनएलसी विद्युत केन्द्रों के विद्युत बिलों का भुगतान तथा दिनांक 19–10–2005 के आदेश के अनुसार टीएनईबी द्वारा अधिक छूट की राशि वापस लेना।	17.12.2009
161	100/2009	27.5.2009	एनएचपीसी	एनएचपीसी लि0 के जल उत्पादनकारी केन्द्रों के लिए विभिन्न प्रावधानों में छूट के बारे में केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 44 (छूट देने की) के अंतर्गत याचिका।	23.6.2009
162	102/2009	28.5.2009	पीजीसीआईएल	31–3–2009 की अवधि के लिए पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में (i) रांची और सिपत उपकेन्द्र में सहबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी रांची सिपत ट्रांसमिशन लाइन और (ii) कहलगांव स्टेज–।। चरण–।। ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत रांची उपकेन्द्र में 400 केवी रांची सिपत डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का 45 प्रतिशत एफएससी के लिए अनंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण।	23.6.2009
163	103/2009	29.5.2009	एमपीपीटीसीएल	केविविआ (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में संशोधन के लिए याचिका।	25.6.2009
164	104/2009	3.6.2009	पीजीसीआईएल	(i) जयपोर (पूर्वी क्षेत्र योजना) में मेरामुंडली जयपोर 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन पर 40 प्रतिशत श्रृंखला क्षतिपूर्ति (ii) 1–1–2007 से 31–3–2009 की अवधि के लिए गजुवाका एचवीडीसी बैक–टू–बैक परियोजना की क्षमता के संवर्धन के साथ सहबद्ध जयपोर में 400 केवी जयपोर गजुवाका डी/सी ट्रांसमिशन लाइन (ईआर और एसआर के बीच अंतर क्षेत्रीय योजना) पर 50 प्रतिशत श्रृंखला क्षतिपूर्ति के लिए 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का अवधारण।	28.8.2009
165	106/2009	3.6.2009	स्व–प्रेरणा	ग्रिड अनुशासन का रखरखाव – तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के उपबंधों का अनुपालन न करना।	21.8.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
166	109/2009	16.6.2009	टीपीएल	ब्लॉक 10 (प्रथम ब्लॉक) के व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2004 की अवधि के लिए टोरेंट पावर लि0 के सुजैन 1147.5 मेगावाट विद्युत संयंत्र के टैरिफ का अनुमोदन।	11.1.2010
167	112/2009	17.6.2009	स्व–प्रेरणा	विद्युत विभाग, दमन और दीव द्वारा आहण अनुसूची से अधिक निकासी ऊर्जा के लिए अननुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम।	27.7.2009
168	113/2009	17.6.2009	स्व–प्रेरणा	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा अनुसूची से अधिक ऊर्जा के निकासी के लिए अननुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम।	18.12.2009
169	114/2009	18.6.2009		विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 78 के अंतर्गत याचिका।	17.8.2009
170	115/2009	18.6.2009		याचिका सं. 159/2008 में दिनांक 28–4–2009 के आदेश में कुछ अवलोकन और निष्कर्ष का पुनर्विलोकन और/अथवा पुनरीक्षण और/अथवा उपांतरण करने से संबंधित याचिका (पावर एक्सचेंज इण्डिया लि0 बनाम मलटी कोमोडीटिज एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि0)।	11.1.2010
171	116/2009	19.6.2009	एनएचपीसी	अतिरिक्त नैफ्था भंडारण टैंक, अंता जीपीएस तथा औरेया जीपीएस में, स्थापित करने के लिए तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय खर्च करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन हेतु याचिका।	27.8.2009
172	117/2009	22.6.2009		कारबार संचालन विनियम, 1999 के विनियम 24 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 के अंतर्गत याचिका।	24.12.2009
173	119/2009	22.6.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी ग्रिड (भाग क) पारेषण प्रणाली में प्रणाली सुदृढीकरण के अंतर्गत बेज सहित 400 केवी डी/सी कोटा मर्ता ट्रांसमिशन लाइन (सीकेटी–। व ।।) के अंतर्गत पारेषण टैरिफ का अवधारण।	30.7.2009
174	123/2009	23.6.2009	एनएचपीसी	रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्टेज–।।। (500 मेगावाट) में 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान खर्च किए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण पुनरीक्षित प्रभारों का अवधारण।	11.1.2010

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
175	128/2009	30.6.2009	एनएचपीसी	कोरबा एसटीपीएस के नियत प्रभारों पर 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण व्यय के कारण टैरिफ के पुनः अवधारण के लिए याचिका।	11.1.2010
176	129/2009	30.6.2009	एनएचपीसी	फिरोजगांधी ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र, स्टेज–। (420 मेगावाट) हेतु 2008–09 की अवधि के लिए उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण नियत प्रभारों का संशोधन।	11.1.2010
177	130/2009	30.6.2009	स्व–प्रेरणा	ग्रिड अनुशासन का रखरखाव–टीएनईवी द्वारा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के प्रावधानों के अनुपालन न करना।	21.8.2009
178	131/2009	2.7.2009	पीजीसीआईएल	1–4–2009 से 31–3–2014 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में बल्लभगढ में कानपुर बल्लभगढ 400 केवी एस/सी लाइन में 400 केवी थाईरिस्टर नियंत्रित श्रृंखला क्षतिपूर्ति परियोजना (फैक्टर उपकरण) की स्टेज–। के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन।	14.9.2009
179	132/2009	2.7.2009	एनएचपीसी	31–3–2008 से 31–3–2009 की अवधि के लिए तिस्ता एचई परियोजना स्टेज–ट के लिए टैरिफ उत्पादन का अनुमोदन।	5.1.2010
180	134/2009	3.7.2009	एनएचपीसी	एनटीपीसी केन्द्रों के अनध्यपेक्षित अधिशेष (यूआरएस) ऊर्जा के उपयोग को सुकर बनाने के लिए द्विपक्षीय संव्यवहारों की दशा में दैनिक अनुसूची के पुनरीक्षण में लचीलापन प्रदान करने के बारे में केविविआ (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2009 को संशोधित करने के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका।	11.1.2010
181	135/2009	8.7.2009	वीएसएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	7.9.2009
182	136/2009	8.7.2009	डीकेएसएसकेएन	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका।	7.9.2009
183	138/2009	9.7.2009	एनएचपीसी	तलचर सुपर ताप विद्युत केन्द्र, स्टेज–।। (4X500 मेगावाट) के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण नियत प्रभावों का पुनरीक्षण।	19.2.2010

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
184	140/2009	9.7.2009	एनएचपीसी	सिपत सुपर ताप विद्युत केन्द्र–।। (1000 मेगावाट) के नियत प्रभारों पर 1–1–2009 से 31–3–2009 तक उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव का अवधारण।	10.12.2009
185	141/2009	9.7.2009	एनएचपीसी	फरीदाबाद गैस विद्युत केन्द्र (431.586 मेगावाट) के लिए 2006–07, 2007–08 व 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजी व्यय के कारण पुनरीक्षण नियत प्रभारों का निर्धारण।	11.1.2010
186	142/2009	10.7.2009	एनएचपीसी	रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2100 मेगावाट) के लिए 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण नियत प्रभारों का संशोधन।	11.1.2010
187	143/2009	23.7.2009	एनआरएलडीसी	भारतीय विद्युत ऊर्जा प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवेदन पर संकुलन तथा प्रभारों को लागू करने संबधी विनियमों की अधिसूचना के लिए विद्युत स्थानान्तरण क्षमता सीमा का सम्मान करने के लिए उत्तरी क्षेत्र के घटकों के लिए निर्देश मांगने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 29 के अंतर्गत याचिका।	23.12.2009
188	147/2009	23.7.2009	एनएचपीसी	विध्यांचल सुपर ताप विद्युत स्टेज–। (1260 मेगावाट) पर नियत प्रभारों पर 2007–08 और 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के प्रभाव का निर्धारण।	11.1.2010
189	149/2009	23.7.2009	एनटीपीसी	सिम्हाद्री ताप विद्युत केन्द्र (1000 मेगावाट) के लिए 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण नियत प्रभारों का संशोधन।	8.1.2010
190	151/2009	27.7.2009	स्व–प्रेरणा	निर्बाध पहुंच विनियमों के उल्लंघन में निर्बाध पहुंच को अस्वीकार करना।	30.11.2009
191	153/2009	29.7.2009	केजेएचपीसीएल	समर्थित शपथपत्र के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 165(2) (क) के साथ पठित धारा 79(1) (ख) के अधीन याचिका	26.10.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
192	154/2009	30.7.2009	एनएचपीसी	सलाल एचईपी के संबंध में 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण एएफसी के प्रभाव का अवधारण।	7.1.2010
193	155/2009	4.8.2009	एसएसएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अतंर्गत शमानूर शुगर लि0 द्वारा दायर याचिका।	11.12.2009
194	156/2009	4.8.2009	एनएसएसकेएन	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अतंर्गत नदी सहकारी सक्कारे कारखाने नियामित लि0 द्वारा दायर की गई याचिका।	11.12.2009
195	157/2009	4.8.2009	एनएसएल एसएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अतंर्गत एनएसएल शूगर लि0, बंगलौर द्वारा दायर की गई याचिका।	11.12.2009
196	158/2009	4.8.2009	जीएमआर	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अतंर्गत जीएमआर इंडस्ट्रीज लि0, बंगलौर द्वारा दायर की गई याचिका।	11.12.2009
197	161/2009	5.8.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना–। के अंतर्गत सहबद्ध बेज सहित (i) लखनऊ उपकेन्द्र में 80 एनपीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर (ii) दूसरी 400 केवी एस/सी बरेली मुरादाबाद ट्रांसमिशन लाइन के लिए व्यावसायिक प्रचालन की तारीख तक अंतिम ट्रांसमिशन तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का निर्धारण।	22.2.2010
198	163/2009	6.8.2009	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुद्ढीकरण योजना–III के अतंर्गत लुधियाना उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज सहित आईसीटी–I (ii) लुधियाना उपकेन्द्र मालेर कोटला उपकेन्द्र तथा जालंधर उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज सहित मालेर कोटला लुधियाना जालंधर ट्रांसमिशन लाइन सहित कुल उपरगामी प्रणाली तथा लुधियाना उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज सहित शटरिएक्टर (iii) लुधियाना उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज सहित आईसीटी–III के लिए व्यावसायिक प्रचालन की तारीख तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा व्यावसायिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का अवधारण।	15.2.2010

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
199	164/2009	6.8.2009	पीजीसीआईएल	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक की अवधि के लिए पूर्वी क्षेत्र में तिस्ता (स्टेज–ट) एचईपी से सहबद्ध बेज सहित बरीपाडा उपकेन्द्र में 400 केवी डी/सी विस्तार (स्टेज–ट) सिलिगुडी डी/सी लाइन, आईसीटी–।। के सर्किट–।। का अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ।	21.12.2009
200	167/2009	6.8.2009	पीजीसीआईएल	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यूआरएसएस–ट ट्रांसमिशन प्रणाली के अंतर्गत (i) सहबद्ध बेज सहित आईसीटी–। के साथ 400/220 केवी दमोह उपकेन्द्र (ii) सहबद्ध 400 केवी बेज और (iii) दमोह उपकेन्द्र से सहबद्ध 400 केवी बेज सहित 400 केवी 63 एमवीएआर रिएक्टर के लिए व्यावसयिक प्रचालन की तारीख तक अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ तथा व्यावसयिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का अवधारण।	16.3.2009
201	169/2009	6.8.2009	पीजीसीआईएल	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक उत्तरी क्षेत्र में (i) 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी तथा सहबद्ध बेज और कंकरौली उप केन्द्र में ट्विन न0 220 केवी लाइन (ii) आरएपीपी 5 तथा 6 के तहत कांकरोली उपकेन्द्र से सहबद्ध बेज ट्रांसमिशन प्रणालियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक अंतिम पारेषण टैरिफ का अवधारण।	25.1.2010
202	170/2009	10.8.2009	एनआरएलडीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड (आईईसीजी) के संगत उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 29 के तहत याचिका जिसमें उत्तरी क्षेत्र के घटकों को आईईसीजी के उपबंधों, विशेषतः खंड 6, 4, 12 का अनुपालन करने के संबंध में निदेश देने की याचना की गई है।	23.12.2009
203	172/2009	12.8.2009	टीएनईबी	याचिका सं. 139/2008 में दिनांक 9–6–2009 के आदेश का पुनर्विलोकन पूंजीगत व्यय को शामिल करने के बाद आरजीसीपीपी कायमकुलम के पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन।	23.12.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
204	173/2009	13.8.2009	पीटीएल	(i) 400 केवी डी/सी गोरखपुर लखनउ ट्रांसमिशन लाइन (ii) 400 केवी डी/सी बरेली मण्डोला ट्रांसमिशन लाइन तथा (iii) टाटा हाइडो इलेक्ट्रिक पावर, पूर्वोतर इन्टर कलेक्टर तथा उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली से सहबद्ध 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रोत्साहन का अनुमोदन।	14.10.2009
205	174/2009	13.8.2009	पीटीएल	400 केवी डी/सी सिलिगुडी पूर्णिया ट्रांसमिशन लाइन, 400 केवी डी/सी पूर्णिया मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन तथा 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर पीजीसीआईएल–मुजफ्फरपुर बीएसईबी ट्रांसमिशन लाइन गोरखपुर, पूर्वी क्षेत्र, जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पूर्वोत्तर इन्टर कनेक्टर और उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन प्रणाली से सहबद्ध है, के संबंध में प्रोत्साहन का अनुमोदन।	14.10.2009
206	175/2009	21.8.2009	केएसईबी	याचिका सं. 139/2008 में दिनांक 9–6–2009 के आदेश का पुनर्विलोकन एनटीपीसी से पीजीसीआईएल को हस्तांतरित स्विचयार्ड की पूंजीगत लागत शामिल करने के बाद आरजीसीसीपीपी कायमकुलम के पुनरीक्षित नियत प्रभारों का अनुमोदन।	30.12.2009
207	177/2009	26.8.2009	टीएचपीसीएल	हाइड्रो ऊर्जा परियोजना की परियोजना लागत के "सिद्धांत रूप में" अनमोदन के लिए स्पष्टीकरण व कार्यान्वयन तंत्र।	11.1.2010
208	178/2009	27.8.2009	स्व–प्रेरणा	अल्पकालिक बिक्री/व्यापार में बिजली की कीमत में वृद्धि को रोकना।	11.9.2009
209	180/2009	28.8.2009	पीजीसीआईएल	(क) कलविदापट्टू (मेलाकोट्टैयूर) में एक 50 एमवीएआर रिएक्टर के साथ कोलार श्री–पेरम्बदूर 400 केवी एस/सी ट्रांसमिशन लाइन का लिलो (ख) कलविंदापट्टू उपकेन्द्र में प्रथम 315 एमवीए तथा दक्षिणी क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31–3–2009 तक कैगा 3 और 4 (2X235 मेगावाट) परियोजना से सहबद्ध ट्रांसमिशन प्रणाली के तहत सम्बद्ध बेज एवं उपस्करों के साथ दूसरा 315 एमवीए ऑटो ट्रांसमिशन, कलविंदापट्टू के लिए अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ का अवधारण।	11.3.2010

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
210	187/2009	28.8.2009	एनएचपीसी	टनकपुर जल विद्युत परियोजना के संबंध में एएफसी पर 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव का निर्धारण	23.12.2009
211	190/2009	31.8.2009	एनएचपीसी	चमेरा–।। के संबंध में एएफसी के संशोधन पर टनकपुर जल विद्युत परियोजना के संबंध में एएफसी पर 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव का निर्धारण	10.2.2010
212	191/2009	31.8.2009	एनएचपीसी	लोकटक के संबंध में, उनके टनकपुर जल विद्युत परियोजना के संबंध में एएफसी पर 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव का निर्धारण	10.2.2010
213	197/2009	3.9.2009	एनएचपीसी	उटी जल बिजली परियोजना के संबंध में एएफसी पर 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय/नि:पूंजीकरण के प्रभाव का निर्धारण।	5.1.2010
214	198/2009	3.9.2009	एनएचपीसी	बैरास्यूल ऊर्जा केन्द्र के संबंध में एएफसी पर उटी जल बिजली परियोजना के संबंध में एएफसी पर 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय/नि:पूंजीकरण के प्रभाव का निर्धारण।	18.12.2009
215	199/2009	9.10.2009	आईईएक्स	याचिका का सं. 120/2008 में दिनांक 31–8–2009 के आदेश का पुनर्विलोकन तथा उपांतरण व आशोधन के लिए केविविआ (कारबार संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103, 111 तथा 114 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 के तहत आवेदन।	2.12.2009
216	200/2009	11.9.2009	पीटीएल	(i) 400 केवी डी/सी गोरखपुर लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन (ii) 400 केवी डी/सी बरेली–मंडोला ट्रांसमिशन लाइन तथा (iii) 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर गोरखपुर लाइन, जोताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर, पूर्वोतर इन्टर कनेक्टर तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली के साथ जुडी है, के लिए प्रोत्साहन का संशोधन।	22.12.2009

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
217	201/2009	11.9.2009	पीटीएल	(i) 400 केवी डी/सी सिलिगुडी–पूर्णिया ट्रांसमिशन लाइन (ii) 400 केवी डी/सी पूर्णिया मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन तथा (iii) 200 केवी डबल सर्किट मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) मुजफ्फरपुर (बीएसईबी) ट्रांसमिशन लाइन और (iv) ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पूर्वोत्तर इन्टर कनेक्टर तथा उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली से सहबद्ध पूर्वी क्षेत्र में 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर–गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन (50 प्रतिशत) के लिए प्रोत्साहन का संशोधन।	22.12.2009
218	202/2009	11.9.2009	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में उतरांचल में प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत (i) सहबद्ध बेजों सहित सितारगंज में 200 केवी टनकपुर–बरेली ट्रांसमिशन लाइन (सर्किट–II) के लिलो और (ii) सहबद्ध बेजों सहित सितारगंज में 220/132 आईसीटी–II के लिए अंतरिम पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	22.10.2009
219	203/2009	14.9.2009	एपीपीसीपीएल	अरूणाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लि. को अन्तर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन।	12.2.2010
220	204/2009	14.9.2009	एनएचपीसी	दुल्हास्ती एचइ परियोजना के संबंध में (i) 7.4.2007 की स्थिति के अनुसार 49.17 करोड़ रू. की आस्थगित देयताओं को जारी करने (ii) वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में एएफसी पर प्रभाव का निर्धारण।	9.5.2010
221	207/2009	23.9.2009	डब्ल्यूआरटी(एम)पीएल	प्रतिभूति न्यासी करार के अनुसरण में प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम–II की परियोजना बी के लिए बंधक का करारनामा करके परियोजना के उधारदाता/प्रतिभूति न्यासी के लाभार्थ परियोजना परिसम्पत्तियों पर बंधक के माध्यम से प्रतिभूति सृजित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) के तहत अनुमोदन का आवेदन	11.2.2010

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
222	208/2009	23.9.2009	डब्ल्यूआरटी(जी)पीएल	प्रतिभूति न्यासी करार के अनुसार में प्रतिभूति न्यासी के नाम पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम–II की परियोजना सी के लिए बंधक का करारनामा करके परियोजना के उधारदाता/ प्रतिभूति न्यासी के लाभार्थ परियोजना परिसम्पत्तियों पर बंधक के माध्यम से प्रतिभूति सृजित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) के तहत अनुमोदन का आवेदन	11.2.2010
223	209/2009	23.9.2009	स्व–प्रेरणा	गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि. द्वारा निर्बाध पहुंच विनियमों के उल्लधंन में निर्बाध पहुंच से इंकार।	24.11.2009
224	217/2009	5.10.2009	पीजीसीआईएल	(i) 400/200 केवी कोल्हापुर (एमएसईबी) उप केन्द्र के विस्तार (ii) 220 केवी डी/सी वापी–खर्डपाड़ा पारेषण लाइन और (iii) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2009 तक पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यू आर एसएस–II ट्रांसमिशन प्रणाली के साथ सहबद्ध बेजों के साथ 220 केवी डी/सी वापी–खर्डपाड़ा ट्रांसमिशन लाइन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अंतिम ट्रांसमिशन टैरिफ व वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2009 तक अतिरिक्त पूंजीकरण का निर्धारण।	14.1.2010
225	223/2009	13.10.2009	पीएक्सआईएल	दिन पूर्व क्रय–विक्रय के लिए न्यूनतम मात्रा का संशोधन	3.11.2009
226	232/2009	22.10.2009	एसआरएलडीसी	टीएनईबी द्वारा अधिक बिजली लेने को रोककर और भार का समुचित प्रबंधन करके दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा बनाए रखना	30.11.2009
227	234/2009	26.10.2009	पीजीसीआईएल	2004–09 के ब्लॉक अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में दुल्हस्ती संयुक्त पारेषण प्रणाली के तहत किशनपुर–वगूरा उप केन्द्र से सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी डी/सी किशनपुर–वगूरा ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2008–09 के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित ट्रांसमिशन लाइन का निर्धारण।	10.2.2010

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
228	236/2009	26.10.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लॉक 2004–09 अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में रिहंद चरण–II ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए 2008–09 के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण टैरिफ की अवधि 2004–09 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण।	15.2.2010
229	237/2009	28.10.2009	स्व–प्रेरणा	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. द्वारा निकासी अनुसूची से अधिक बिजली लेने के लिए गैर–अननुसूचित विनियम (यूआई) प्रभारों के भुगतान में संदाय में व्यतिक्रम।	26.2.2010
230	238/2009	28.10.2009	एनएचपीसी	(i) शेष आस्थगित देयताओं को जारी करने (ii) धौलीगंगा जल बिजली प्रोजेक्ट चरण–I के संबंध में वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण एएफसी पर प्रभाव का निर्धारण।	11.2.2010
231	243/2009	29.10.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ ब्लाक 2004–09 अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में बरेली (यूपीपीसीएल) में सहबद्ध बेजों के साथ 400 केवी डी/सी धोलीगंगा जल बिजली परियोजना–बरेली (यूपीपीसीएल) के लिए 2008–09 के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण संशोधित पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	11.2.2010
232	244/2009	29.10.2009	एनआरएलडीसी	केविविआ (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के विनियम 11 के सन्दर्भ में पीएमयू संस्थापनों पर प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन के वित्त पोषण के लिए यूआई पूल खाता निधि में उपलब्ध अधिशेष राशि के उपयोग का अनुमोदन।	22.12.2009
233	250/2009	4.11.2009	पीजीसीआईएल	उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 2008–09 के लिए वगूरा उप केन्द्र में विशेष सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के लिए अतिरिक्त व्यय का भुगतान।	19.1.2010
234	252/2009	4.11.2009	डब्ल्यूआरएलडीसी	पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यूए एमएस परियोजना का कार्यान्वयन तथा अननुसूचित विनिमय पूल खाता निधि में उपलब्ध राशि का उपयोग।	15.2.2010

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
235	262/2009	12.11.2009	पीजीसीआईएल	याचिका संख्या 131/2009 में दिनांक 14.9.2009 के आदेश का पुनर्विलोकन 1.4.2009 से 31.3.2014 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में बल्लभगढ़ में कानपुर–बल्लभगढ़ 400 केवी डी/सी पर 400 के वी थायरेस्टर नियन्त्रित ऋखला प्रतिपूर्ति परियोजना (एफएसीटीएस उपकरण) के चरण–I के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का अनुमोदन।	11.2.2010
236	263/2009	12.11.2009	पीजीसीआईएल	(क) मेरठ छोर से सहबद्ध बेज के साथ टिहरी–मेरठ (ख) मेरठ छोर से सहबद्ध बेज के साथ टिहरी–मेरठ सर्किट–तथा सहबद्ध बेजों सहित 400 केवी एस/सी मेरठ–मुजफ्फरनगर ट्रांसमिशन लाइन (ग) उत्तरी क्षेत्र में टिहरी ट्रांसमिशन प्रणाली के तहत आईसीटी के साथ नं. एक 400 केवी तथा नं. एक 220 केवी सहबद्ध बेज के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण टैरिफ अवधि 2008–09 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का संशोधन।	11.3.2010
237	268/2009	17.11.2009	आईएसएमए	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतो से टैरिफ के अवधारण के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के संबंध में दिनांक 16.9.2009 के विनियम का पुनर्विलोकन/उपांतरण।	11.1.2010
238	272/2009	17.11.2009	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम (जो पहले ताला अनुपूरक स्कीम का भाग थी) के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण संशोधित पारेषण टैरिफ का निर्धारण।	16.3.2010
239	273/2009	17.11.2009	पीजीसीआईएल	वर्ष 2004–09 के अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली–विध्यांचल कारिडोर में प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम के तहत सिंगरोली छोर पर बे सहित सिंगरौली में 400 केवी विध्यांचल–कानपुर ट्रांसमिशन लाइन (सिगरौली में विध्यांचल–कानपुर एस/सी लाइन का पुनः संरेखण तथा सिंगरौली–विध्यांचल द्वितीय 400 केवी सर्किट) तथा विध्यांचल एचवीडीसी में बस कप्लर बेज के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूजीकरण के कारण पुनरीक्षित पारेषण टैरिफ का अवधारण।	12.1.2010

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
240	274/2009	17.11.2009	पीजीसीआईएल	टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम–II के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का पुनरीक्षण।	23.2.2010
241	276/2009	20.11.2009	एससीएल	श्री सिमेन्ट लिमिटेड का अन्तर–राज्यीय व्यापार लाइसेंस प्रदान करने का आवेदन।	16.3.2010
242	284/2009	23.11.2009	स्व–प्रेरणा	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ का अवधारण करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के तहत जेनरिक स्वरीकृत समान उत्पादन टैरिफ का अवधारण।	3.12.2009
243	289/2009	26.11.2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए मैसूर उपकेन्द्र में 2x315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी के साथ नीलमंगला–मैसूर 400 के डी/सी ट्रांसमिशन लाइन व नीलमंगल (केपीटीसीएल) 400/220 केवी उप केन्द्र में बे विस्तार के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ का संशोधन।	23.2.2010
244	291/2009	26.11.2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में 400 केवी मदुरै–त्रिवेन्द्रम ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए टैरिफ अवधि 2004–09 के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ का संशोधन।	3.2.2010
245	292/2009	26.11.2009	पीजीसीआईएल	2004–09 के लिए उत्तरी क्षेत्र मे अमृतसर व मोगा उप केन्द्रों में ट्रांसमिशन क्षमता के संवर्धन के तहत (i) मोगा उप केन्द्र से सहबद्ध बेज के साथ 315 एम वी आई सी टी–IV (ii) अमृतसर उप केन्द्र में सहबद्ध बेज के साथ आईसीटी–III और 2 अनद पीएसईबी फीडर बे, और मोगा उप केन्द्र में 400 केवी बस रिएक्टर बे तथा 2 अनद पी एसईबी लाइन के लिए 2008–09 में उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ संशोधन।	11.3.2010

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
246	293/2009	26.11.2009	पीजीसीआईएल	2004–09 की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्र मे ऊचाहार–II ट्रांसमिशन प्रणाली के तहत (i) रायबरेली से सहबद्ध बेज के साथ 220 केवी एस/सी ऊचाहार–रायबरेली ट्रांसमिशन लाइन, रायबरेली में 220 केवी डी/सी ऊचाहार–लखनऊ ट्रांसमिशन लाइन की लिलो तथा सहबद्ध बेज सहित रायबरेली में 100 एम वीए, 220/132 केवी आईसीटी–III (डीओसीओ 1.8.2007) और (ii) सम्बद्ध बे के साथ रायबरेली उपकेन्द्र में 100 एम वीए 220/132 के वी आईसीटी–III (डीओसीओ 1.11.2007) के लिए 2008–09 के दौरान उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ का संशोधन।	3.3.2010
247	303/2009	7.12.2009	पीजीसीआईएल	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2008–09 के लिए बोंगईगाव उप केन्द्र में विशेष सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के लिए अतिरिक्त व्यय का भुगतान।	29.1.2010
248	310/2009	15.12.2009	स्व–प्रेरणा	इण्डिन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा संकुलन राजस्व का प्रेषण।	23.2.2010
249	317/2009	21.12.2009	वीवीएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1); ग (च) तथा (ट) तथा केविविआ (अन्तर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2009 के विनियम 26 के तहत याचिका।	29.1.2010
250	328/2009	30.12.2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम–III के तहत बेज विस्तार सहित (क) नीलमंगला –सोमनहल्ली 400 केवी डी/सी लाइन (ख) गूटी–रायचूर 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2008–09 के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ का संशोधन।	19.3.2010

Øe l-	;kfpdk l-	jftLVhdj.k dh rkjh[k	;kfpdkdrk dk uke	fo"k;	fuiVku dh rkjh[k
251	331/2009	30.12.2009	पीजीसीआईएल	दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड में 1.4.2008 से 31.03.2009 तक प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम–अ के तहत (क) नेल्लोर 400 के वी बेज विस्तार कार्य (ख) कुड्डापाह 400 केवी बेज विस्तार कार्य के साथ 315 एमवीए आईसीटी (ग) गूटी उप केन्द्र बे विस्तार कार्य के साथ 315 एमवीए आईसीटी और कोलार में दूसरा 3x167 एमवीए ऑटो ट्रांसमिशन तथा सोमनहल्ली में रिएक्टर के लिए स्विचन प्रबंध (घ) गेजुवाका उप केन्द्र बे विस्तार कार्य के साथ 315 एमवीए आईसीटी (ड.) मुनिराबाद उप केन्द्र बे विस्तार कार्य के साथ 315 एमवीए आईसीटी तथा (च) खम्माम उप केन्द्र बे विस्तार कार्य के साथ 315 एमवीए आईसीटी के लिए 2008–09 के दौरान किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण ट्रांसमिशन टैरिफ का संशोधन।	18.3.2010
252	1/2010	1.1.2010	स्व–प्रेरणा	अन्तर–राज्यिक पारेषण में वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन प्रभार की दर।	17.3.2010
253	21/2010	4.2.2010	एलआरपीसी	रिट याचिका संख्या 2009 की 10169 (एम/बी) यूपीपीसीएल बनाम सीईआरसी 8 एनआरएलडीसी) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ के दिनांक 12.11.2009 के अन्तरिम ओदश के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त यूआई प्रभारों का उद्ग्रहण।	12.2.2010
254	32/2010	17.2.2010	सीएसपीएल	छत्तीगढ़ अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट के लिए आरएफक्यू दस्तावेज में विचलन के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत आवेदन।	8.3.2010
255	53/2010	22.2.2010	स्व–प्रेरणा	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ का अवधारण करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 तथा केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ का अवधारण करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अधीन जेनरिक स्वरीकृत उत्पादन टैरिफ का निर्धारण।	25.2.2010

vuqca/k&II

31-03-2010 dk ,uVhihlh d mRiknu dUnk dh lLFkkfir {kerk rFkk okf.kfT;d ipkyu dh rkjh[k

Øe l-	mRiknu dUn dk uke	31-03-2010 dk lLFkkfir {kerk	dUn dh okf.kfT;d ipkyu dh rkjh[k
एनटीपीसी के कोयला आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन			
अ. पिट हैड उत्पादन केन्द्र			
1	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज–I	1000.00	01.01.1991
2	रिहन्द एसटीपीएस स्टेज–II	1000.00	01104.2006
3	सिंगरौली एसटीपीएस स्टेज–I	2000.00	01.05.1988
4	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–I	1260.00	01.02.1992
5	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–I	1000.00	01.10.2000
6	विंध्याचल एसटीपीएस स्टेज–I	1000.00	15.07.2007
7	कोरबा एसटीपीएस	2100.00	01.06.1990
8	सिपत स्टेज–II	1000.00	01.01.2009
9	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज–I और II	2100.00	01.04.1991
10	रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज–III	500.00	25.03.2005
11	तलचर टीपीएस	460.00	01.07.1997
12	तलचर एसटीपीएस स्टेज–I	1000.00	01.07.1997
13	तलचर एसटीपीएस स्टेज–II	2000.00	01.08.2005
	उप योग	16420.00	
ब. नॉन–पिट हैड उत्पादन केन्द्र			
1	एफजीयूटीपीपी टीपीएस स्टेज–I	420.00	13.02.1992 (तारीख को चार्ज लिया गया)
2	एफजीयूटीपीपी स्टेज–II	420.00	01.01.2001
3	एफजीयूटीपीपी स्टेज–III	210.00	01.01.2007
4	एनसीटीपी दादरी (स्टेज–I)	840.00	01.12.1995
5	एनसीटीपी दादरी (स्टेज–I)	490.00	31.01.2010

Øe l-	mRiknu dUn dk uke	31-03-2010 dk lLFkkfir {kerk	dUn dh okf.kfT;d ipkyu dh rkjh[k
6	फरक्का एसटीपीएस	1600.00	01.07.1996
7	टांडा टीपीएस	440.00	14.01.2000 (तारीख को चार्ज लिया गया)
8	बदरपुर टीपीएस	705.00	01.04.1982
9	कहलगॉव एसटीपीएस	840.00	01.08.1996
10	कहलगॉव स्टेज–II	1500.00	20.03.2010
11	सिम्हाद्री	1000.00	01.03.2003
	उप योग	8465.00	
	कुल –कोयला (अ + ब)	24885.00	
,uVhihlh d xl@no bi/ku vk/kkfjr LV'ku			
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997
2	फरीदाबाद	431.00	01.01.2001
3	अंता सीसीजीटी	419.33	01.03.1990
4	औरैया जीपीएस	663.36	01.12.1990
5	गंधार जीपीएस	657.39	01.11.1995
6	कवास जीपीएस	656.20	01.09.1993
7	कायमकुलम सीसीजीटी	359.58	01.03.2000
	उप–योग	4016.64	
	योग एनटीपीसी (कोयला+गैस)	28901.64	

vuqca/k&III

31-03-2010 dk nkeknj ?kkVh fuxe ¼Mhohlh½ d mRiknu dUnk dh lLFkkfir {kerk

rFkk iR;d dh okf.kfT;d ipkyu dh rkjh[k

dUn dk uke	lLFkkfir {kerk ¼exkokV½	okf.kfT;d ipkyu dh rkjh[k
बोकारो टीपीएस	805	अगस्त 1993
चन्द्रपुर टीपीएस	750	मार्च 1979
दुर्गापुर टीपीएस	350	सितम्बर 1982
मिजिया टीपीएस (यूनिट–1, 2 तथा 3)	630	सितम्बर 1999
मिजिया टीपीएस (यूनिट–4)	210	फरवरी 2005
मिजिया टीपीएस (यूनिट–5 तथा 6)	500	24.9.2008
कुल	3245	

vuqca/k&IV

dUnh; {k= dh gkbMk mRiknu dEifu;k dh lLFkkfir {kerk ¼,u,pihlh] ,u,pMhlh] fuidk] ,l tsoh,u,y] Vh,pMhlh rFkk Mhohlh½

Øe l-	ifj;kstuk dk uke@jkT;	vkdkj	lLFkkfir {kerk ¼eSxkokV½	okf.kfT;d ipkyu dh rkjh[k
,u,pihlh mRiknu dUnz				
1	बैरास्यूल, एच पी	तालाब	3 x 60 = 180	1981
2	लोकटक, मणिपुर	भंडारण	3 x 35 = 105	1983
3	सलाल, जम्मू–कश्मीर	नदी से चलने वाला	6 x 115 = 690	1987
4	टनकपुर, उतराखण्ड	नदी से चलने वाला	3 x 40 = 120	1992
5	चमेरा– I, एचपी	तालाब	3 x 180 = 540	1994
6	उरी– I, जम्मू–कश्मीर	नदी से चलने वाला	4 x 120 = 480	1997
7	रंजीत, सिक्किम	तालाब	3 x 20 = 60	1999
8	चमेरा– II, एचपह	तालाब	3 x 100 = 300	2003
9	धौली गंगा– I, उतराखण्ड	तालाब	4 x 70 = 280	2005
10	दुलहस्ती, जम्मू–कश्मीर	नदी से चलने वाला	3 x 130 = 390	2007
11	तिस्ता–अ, सिक्किम	तालाब	3 x 170 = 510	2008
एनएचपीसी के कुल 11 केन्द्र हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 3655 मेगावाट की है।				
एनएचडीसी उत्पादन केन्द्र				
12	इंदिरा सागर, म.प्र.	भंडारण	8 x 125 = 1000	2005
13	औंकारेश्वर, म.प्र.	भंडारण	8 x 65 = 520	2007
एनएचडीसी के कुल दो केन्द्र हैं जिनकी संस्थापित क्षमता 1520 मेगावाट की है।				
निपको उत्पादन केन्द्र				
14	रंगानदी, नागालैंड	तालाब	3 x 135 = 405	2002

Øe l-	ifj;kstuk dk uke@jkT;	vkdkj	lLFkkfir {kerk ¼esxkokV½	okf.kfT;d ipkyu dh rkjh[k
15	कोपली स्टेज–I, असम	भंडारण	4 x 50 = 200	1997
16	कोपली स्टेज–II, असम	भंडारण	1 x 25 = 25	2004
17	खानडांग, असम	भंडारण	2 x 25 = 50	1984
18	डोयांग, नागालैंड	भंडारण	3 x 25 = 75	2000
निपको के कुल 5 केन्द्र हैं तथा उनकी संस्थापित क्षमता 755 मेगावाट की है।				
एसजेवीएनएल उत्पादन केन्द्र				
19	नाप्था झाकरी, उत्तराखण्ड	तालाब के साथ नदी से चलने वाला	6 x 250 = 1500	2004
एसजेवीएनएल का एक केन्द्र हैं तथा जिसकी संस्थापित क्षमता 1500 मेगावाट है				
टीएचडीसी उत्पादन केन्द्र				
20	टिहरी, उत्तराखण्ड	भंडारण	4 x 250 = 1000	2007
टीएचडीसी का एक केन्द्र हैं तथा जिसकी संस्थापित क्षमता 1000 मेगावाट है				
डीवीसी उत्पादन केन्द्र				
21	मेथान, झारखंड/डब्ल्यू बी	भंडारण	3 x 20 = 60	1958
22	पंचेट, झारखंड/डब्ल्यू बी	भंडारण	2 x 40 = 80	1991
23	तिलैया, झारखंड	भंडारण	2 x 2 = 4	1953
डीवीसी के कुल 3 केन्द्र हैं तथा जिनकी संस्थापित क्षमता 144 मेगावाट की है				
कुल संस्थापित क्षमता 8574 मेगावाट (23 केन्द्र)				

vuqcU/k&V

dfofovk dh ifjf/k d v/khu gkbMk mRiknu dUnk dk lf{kIr VfjQ

mRiknu dUn	dUn	jkT;	lhvkMh dh rkjh[k	vkblh exkokV	foØ; ;kX; Mhbl ,e;	VfjQ 08&09 ¼:i,@ dMCY;,p½
,u,pihlh						
1	बैरास्यूल	एचपी	1 अपैल 82	180	680.97	0.78
2	लोकटक	मणिपुर	1 जून 83	105	391.48	1.28
3	सलाल	जे एण्ड के	1 अपैल 95	690	2685.04	0.66
4	टनकपुर	उत्तराखण्ड	1 अपैल 93	123	393.95	1.20
5	चमेरा–I	एचपी	1 मई 94	540	1447.23	1.39
6	उरी–I	उत्तराखण्ड	1 जून 97	480	2249.57	1.22
7	रंजीत	सिक्किम	15 फरवरी 00	60	295.00	1.59
8	चमेरा–II	एचपी	31 मार्च 04	300	1304.06	2.67
9	धौली गंगा–I	एचपी	1 नवम्बर 05	280	986.60	1.81
10	दुल्हस्ती	जे एण्ड के	7 अपैल 07	390	1658.00	5.09
11	तिस्ता–V	सिक्किम	10 अपैल 08	510	2240.74	1.50
Vh,pMhlh						
1	टिहरी स्टेज–I	उत्तराखण्ड	2007	1000	2411	3.5
,u,pMhlh						
1	इंदिरा सागर	म.प्र.	25 अगस्त 05	1000	1958.00	2.53
2	ओंकारेश्वर	म.प्र.	15 नवम्बर 07	520	834.00	3.16
,ltoh,u,y						
1	नाप्था झाकरी	एचपी	18 मई 04	1500	6020.00	2.18
fuidk						
1	खानडांग	असम	4 मई 84	50	241.85	0.81

mRiknu dUni	dUni	jkT;	lhvkMh dh rkjh[k	vkbl h exkokV	foØ; ;kX; Mhbl ,e;ı	VfjQ 08&09 ¼:i,@ dMCY;ı,p½
2	कोपली स्टेज–।	असम	12 जुलाई 97	200	1033.37	0.56
3	डोयांग	नागालैंड	8 जुलाई 00	75	197.97	2.95
4	रंगानदी	नागालैंड	12 अप्रैल 02	420	1632.63	1.25
5	कोपली स्टेज–।।	असम	26 जुलाई 04	25	75.30	1.72

टिप्पण: सभी आकड़े अंनतिम

vuqcU/k&VI

o"k 2009&10 d fy, uohdj.kh; Åtk VfjQ ¼:i,@dMCY;,p½

fooj.k	leku dy VfjQ ¼foÙk o"k 2010&11½	lof/kr eY;âkl dk ykHk ¼;fn fy;k x;k gk½	fuoy leku VfjQ ¼lof/kr eY;âkl ykHk] ;fn fy;k x;k gk] dk lek;ktu dju ij
iou Åtk			
पवन क्षेत्र–1 (सीयूएफ 20%)	5.63	(0.37)	5.26
पवन क्षेत्र–2 (सीयूएफ 23%)	4.90	(0.32)	4.58
पवन क्षेत्र–3 (सीयूएफ 27%)	4.17	(0.28)	3.89
पवन क्षेत्र–4 (सीयूएफ 30%)	3.75	(0.25)	3.5
y?k gkbMk fo|r ifj;ktuk			
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और पूर्वोत्तर राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	3.90	(0.23)	3.67
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और पूर्वोत्तर राज्य (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	3.35	(0.21)	3.14
अन्य राज्यों (5 एमडब्ल्यू से कम)	4.62	(0.27)	4.35
अन्य राज्यों (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	4.00	(0.25)	3.75
lkj fo|r ifj;ktuk			
सौर पीवी	18.44	(1.30)	17.14
सौर थर्मल	13.45	(0.91)	12.54

jkT;	leku fu;r VfjQ	ifjorh; VfjQ ¼foÙk o"k 2009&10½	ykxw VfjQ nj ¼foÙk o"k 2009&10½	lof/kr eY;âkl dk ykHk ¼;fn fy;k x;k gk½	fuoy leku VfjQ ¼lof/kr eY;âkl ykHk] ;fn fy;k x;k gk] dk lek;ktu dju ij
tho leg fo|r ifj;ktuk					
आध्र प्रदेश	1.94	2.21	4.15	(0.10)	4.05
हरियाणा	2.03	3.49	5.52	(0.10)	5.42

jkT;	leku fu;r VfjQ	ifjorZuh; VfjQ ¼foÙk o"kZ 2009&10½	ykxr VfjQ nj ¼foÙk o"kZ 2009&10½	lof/kZr eY;âkl dk ykHk ¼;fn fy;k x;k gk½	fuoy leku VfjQ ¼lof/kZr eY;âkl ykHk] ;fn fy;k x;k gk] dk lek;kstu djus ij
मध्य प्रदेश	1.93	2	3.93	(0.10)	3.83
महाराष्ट्र	1.98	2.78	4.76	(0.10)	4.66
पंजाब	2.03	3.46	5.49	(0.10)	5.39
राजस्थान	1.98	2.75	4.73	(0.10)	4.63
तमिल नाडु	2.01	3.07	5.08	(0.10)	4.98
उत्तर प्रदेश	1.96	2.51	4.47	(0.10)	4.37
अन्य	2.00	2.88	4.88	(0.10)	4.78
xSj thok'e bZa/ku vk/kkfjr lg mRiknu					
आंध्र प्रदेश	2.86	2.07	4.93	(0.15)	4.78
हरियाणा	2.53	3.25	5.78	(0.13)	5.65
महाराष्ट्र	2.21	2.59	4.80	(0.12)	4.68
मध्य प्रदेश	2.43	1.86	4.29	(0.13)	4.16
पंजाब	2.53	3.22	5.75	(0.13)	5.62
तमिल नाडु	2.24	2.86	5.10	(0.12)	4.98
उत्तर प्रदेश	2.88	2.33	5.21	(0.15)	5.06
अन्य	2.49	2.68	5.17	(0.13)	5.04

vuc/k&VII

o"k 2010&11 d fy, uohdj.kh; Åtk VfjQ ¼: i,@dMCY;,p½

fooj.k	leku dy VfjQ ¼foÙk o"k 2010&11½	lof/kr eY;âkl dk ykHk ¼;fn fy;k x;k gk½	fuoy leku VfjQ ¼lof/kr eY;âkl ykHk] ;fn fy;k x;k gk] dk lek;ktu dju ij
iou Åtk			
पवन क्षेत्र–1 (सीयूएफ 20%)	5.07	(0.78)	4.29
पवन क्षेत्र–2 (सीयूएफ 23%)	4.41	(0.68)	3.73
पवन क्षेत्र–3 (सीयूएफ 27%)	3.75	(0.58)	3.18
पवन क्षेत्र–4 (सीयूएफ 30%)	3.38	(0.52)	2.86
लघु जल बिजली परियोजना			
हिमाचल प्रदेश, उतराखण्ड और पूर्वोत्तर राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	3.59	(0.48)	3.11
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और पूर्वोत्तर राज्य (5 एमडब्ल्य से 25 एमडब्ल्य)	3.06	(0.43)	2.63
अन्य राज्यों (5 एमडब्ल्य से कम)	4.26	(0.57)	3.70
अन्य राज्यों (5 एमडब्ल्य से 25 एमडब्ल्य)	3.65	(0.51)	314
lkj fo|r ifj;kstuk			
सौर पीवी	17.91	(2.96)	14.95
सौर थर्मल	15.31	(2.46)	12.85

{k=	leku fu;r VfjQ	ifjorh; VfjQ ¼foÙk o"k 2009&10½	ykxw VfjQ nj ¼foÙk o"k 2009&10½	lof/kr eY;âkl dk ykHk ¼;fn fy;k x;k gk½	fuoy leku VfjQ ¼lof/kr eY;âkl ykHk] ;fn fy;k x;k gk] dk lek;ktu dju ij
tho leg fctyh ifj;kstuk					
vk/k in'k	1.80	1.73	3.53	(0.19)	3.34

{k=	leku fu;r VfjQ	ifjoruh; VfjQ ¼foÙk o"k 2009&10½	ykxr VfjQ nj ¼foÙk o"k 2009&10½	lof/kr eY;âkl dk ykHk ¼;fn fy;k x;k gk½	fuoy leku VfjQ ¼lof/kr eY;âkl ykHk] ;fn fy;k x;k gk] dk lek;kstu dju ij
gfj;k.kk	1.89	2.73	4.62	(0.19)	4.43
e/; izn'k	1.78	1.57	3.35	(0.19)	3.16
egkjk"Vª	1.84	2.17	4.01	(0.19)	3.82
iatkc	1.88	2.71	4.59	(0.19)	4.40
jkt LFkku	1.83	2.16	3.99	(0.19)	3.80
rfey ukMq	1.86	2.40	4.26	(0.19)	4.07
mÙkj izn'k	1.82	1.96	3.78	(0.19)	3.59
vU;	1.84	2.26	4.10	(0.19)	3.91
xSj thok'e bZ/ku vk/kkfjr lg mRiknu					
vk/kz izn'k	2.61	1.62	4.23	(0.32)	3.91
gfj;k.kk	2.32	2.54	4.86	(0.27)	4.59
egkjk"Vª	2.03	2.02	4.05	(0.24)	3.81
e/; izn'k	2.22	1.46	3.68	(0.27)	3.41
iatkc	2.31	2.53	4.84	(0.27)	4.57
rfey ukMq	2.05	2.24	4.29	(0.24)	4.05
mÙkj izn'k	2.62	1.83	4.45	(0.32)	4.13
vU;	2.28	2.10	4.38	(0.27)	4.11

vuqc/k&VIII

mu lfeukjk@lEeyu@vknku&inku dk;Øe dk 0;kjk] ftue foÙk o"k 2009&10 e vk;kx d vf/kdkfj;k@depkfjon u Hkkx fy;k ¼Hkkjr l ckgj½

Øe l-	Hkkt x, vf/kdkfj;k dk uke rFkk inuke	lxkfB;k@lEeyu@dk;Øe dk uke rFkk mldh vof/k	og ns'k ftldk nkjk fd;k x;k
1-	श्री आलोक कुमार सचिव	27 अप्रैल से 09 मई, 2009 तक स्वच्छ विकास व पर्यावरण पर एशिया–प्रशान्त भागीदारी के तहत वितरण एवं मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम	यूएसए
2-	श्री एस. के. चटर्जी उप प्रमुख (आर ए)	2 से 7 जून, 2009 तक बिजली क्षेत्र में सुधारों पर जानकारी हेतु अनुकूलन कार्यक्रम	यूके
3-	श्री पंकज बत्रा प्रमुख (इंजीनियरिंग)	22 सितम्बर से 6 अक्तूबर, 2009 तक विनियामक तन्त्र, विद्युत बाजारों, संस्थानों तथा प्रणाली प्रचालकों का अध्ययन	यूएसए, यूके, जर्मनी और नार्वे
4-	श्री यू. आर. प्रसाद उप प्रमुख (ईको)	22 सितम्बर से 6 अक्तूबर, 2009 तक विनियामक तन्त्र, विद्युत बाजारों, संस्थानों तथा प्रणाली प्रचालकों का अध्ययन	यूएसए, यूके, जर्मनी और नार्वे
5-	सुश्री नवनीता वर्मा सहायक प्रमुख (इंजीनियरिंग)	22 सितम्बर से 6 अक्तूबर, 2009 तक विनियामक तन्त्र, विद्युत बाजारों, संस्थानों तथा प्रणाली प्रचालकों का अध्ययन	यूएसए, यूके, जर्मनी और नार्वे
6-	श्री आलोक कुमार सचिव	9 से 10 मार्च, 2010 तक प्रशमन कार्रवाई तथा बाजार माध्यम पर कार्यशाला	दक्षिण कोरिया
7-	श्री एम सेतु रामलिंगम उप प्रमुख (विधि)	22 मार्च से 2 अप्रैल, 2010 तक वृतिक विकास कार्यक्रम	बैककांक, सिड़नी और शिगापुर

vuqca/k&IX

,l egÙoi.k dk;Øe] ftue vk;kx d vf/kdkfj;k u foÙk o"k 2009&10 e Hkkx fy;k ¼Hkkjr e½

Øe l-	vf/kdkjh dk uke	dk;Øe	rkjh[k	fuEufyf[kr }kjk lapkfyr
1-	श्री एस.सी. श्रीवास्तव श्री एस. के. चटर्जी	''कार्बन बाजार 2009'' पर कार्यशाला	28.4.09 से 29.4.09 नई दिल्ली में	जर्मनी संघ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली
2-	श्री एस.एन. कलिटा	नेटवर्क प्रेरित डीएसएम तथा प्रतियोगी ऊर्जा सेवाएं	27.4.09 से 28.4.09 मुम्बई में	बीईई, दिल्ली
3-	श्री पी. के. कपूर	''कार्यकारी सचिवालयों के विकास में मानव संसाधन व सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका'' पर कार्यशाला	26.6.09 से 26.6.09 मनाली में	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, दिल्ली
4-	श्री के.एस. ढींगरा श्री सुकांत गुप्ता	विनियम प्रतिस्पर्धा व बाजार विकास	09.7.09 से 19.07.09 भुवनेश्वर में	करेंट क्रिएटर्स, उड़ीसा
5-	श्री भरत गुप्ता	फिक्की पर्यावरण सम्मेलन	15.7.09 से 16.7.09 नई दिल्ली में	फिक्की, दिल्ली
6-	श्री विजय मेधानी श्री हेमंत पांडे श्री चन्द्र प्रकाश	विनियामक आयोग के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	03.08.09 से 08.08.09 कानपुर में	आईआईटी, कानपुर
7-	श्री विजय मेधानी	बिजली क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पर 8 वां वार्षिक सम्मेलन	02.09.09 से 03.09.09 नई दिल्ली में	पॉवर लाइन, दिल्ली
8-	श्री एस.एन. वाधवा	प्रभावी कार्यालय सचिव (फोक्सः ई–एज)	21.09.09 से 25.09.09 माउण्ट आबू में	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, दिल्ली
9-	श्री पंकज बत्रा	भारत में परमाणु ऊर्जा विकास	13.08.09 दिल्ली में	टीईआरआई, नई दिल्ली
10-	श्री के. एस. ढींगरा	कानूनी संविदा उत्कृष्टता	13.8.09 से 14.8.09 मुम्बई में	मार्कस इवान्स, मुम्बई
11-	श्री पी के जुनेजा	प्रभावी कार्यालय सचिव (फोक्सः ई–एज)	21.09.09 से 25.09.09 माउण्ट आबू में	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, जयपुर
12-	श्री के. एस. ढींगरा	सेवा कर /वैट कानून पर सम्मेलन	9.9.09 से 11.9.09 दिल्ली में	आईसीडब्ल्यूएआई, दिल्ली
13-	श्री पी के अवस्थी श्री ए वी शुक्ला	''क्षेत्रीय आर्थिक विकास में लागत व प्रबंधन लेखाकार की भूमिका'' पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार	26.11.09 दिल्ली में	आईसीडब्ल्यूएआई, दिल्ली
14-	श्री एस सी श्रीवास्तव श्री पी के अवस्थी श्री एस एन कलिटा	नवीकरणीय ऊर्जा हेतु बाजार विकास के लिए विनियामक व नीतिगत ढ़ांचे में प्रशिक्षण	30.11.09 से 01.12.09 दिल्ली में	विश्वधारणीय ऊर्जा संस्थान, पुणे

vu|c/k&x

vk;kx d v/;{k] lnL; vkj depkfjon d b&ey vkj njHkk"k uEcj

¼31-03-2010 d vulkj½

lkj.kh vk;kx d v/;{k] lnL; vkj depkfjon d b&ey vkj njHkk"k uEcj

	uke	inuke	Qku u-	b&ey
	Mk- iekn no	अध्यक्ष	23753911	chairman@cercind.gov.in
	, l- t;jeu	सदस्य	23753914	sjayaraman@cercind.gov.in
	oh- , l- oek	सदस्य	23753912	vsverma@cercind.gov.in
	,e nhu n;kyu	सदस्य	23753913	mdayalan@nic.in
	vkykd dekj	सचित	23753915	alokkumar@nic.in
	d- fcLoky	प्रमुख (वित्त)	23753918	k_biswal@hotmail.com
	ih- c=k	प्रमुख (इंजी.)	23753917	pbatra@cercind.gov.in
	Mk oh ,e n'kik.M	मुख्य सलाहकार (अर्थशास्त्र)	23353503	vmdeshpande@cercind.gov.in
	, l- lh- cjk	संयुक्त प्रमुख (वित्त)	23353503	scbera@cercind.gov.in
	, l- lh- JhokLro	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	23353503	scshrivastava@cercind.gov.in

	uke	inuke	Qku u-	b&esy
	f=ykpu jkmr	संयुक्त प्रमुख (विधि)	23353503	trout@cercind.gov.in
	ih-d- voLFkh	संयुक्त प्रमुख (वित्त)	23353503	pkawasthi@cercind.gov.in
	oh- e/kkuh	संयुक्त प्रमुख (इंजी)	23353503	vmenghani@cercind.gov.in
	jkgy cuthZ	उप प्रमुख (वित्त)	23353503	rbanerjee@cercind.gov.in
	,p- Vh- xk/kh	उप प्रमुख (वित्त)	23353503	htgandhi@cercind.gov.in
	,e- lr| jkefyxe	उप प्रमुख (विधि)	23353503	msethu@cercind.gov.in
	,l- d- pVthZ	उप प्रमुख (आर ए)	23753920	dcra@cercind.gov.in
	,l- ,u- dfyVk	उप प्रमुख (वित्त)	23353503	snkalita@cercind.gov.in
	,p- d- ik.Mh	उप प्रमुख (इंजी.)	23353503	hkpandey@cercind.gov.in
	lh i|dk'k	उप प्रमुख (इंजी.)	23353503	cprakash@cercind.gov.in
	;- vkj- i|lkn	उप प्रमुख (अर्थशास्त्र)	23353503	urprasad@cercind.gov.in

	uke	inuke	Qku u-	b&e-y
	vp-uk vgykor	उप प्रमुख (एमआईएस)	23353503	dcmis@cercind.gov.in
	jk-tho i"dj.kk	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	rpushkarna@cercind.gov.in
	noUn- ly-tk	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	dsaluja@cercind.gov.in
	Jherh uouhrk oek	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	nverma@cercind.gov.in
	l-dkrk xIrk	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	sgupta@cercind.gov.in
	Hkjr xIrk	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	bgupta@cercind.gov.in
	,- oh- 'kDyk	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	avshukla@cercind.gov.in
	ch- Jhd-ekj	सहायक प्रमुख (विधि)	23353503	bsreekumar@cercind.gov.in
	l-ehr d-ekj	सहायक प्रमुख (इंजी.)	23353503	sumeetk@cercind.gov.in
	,l- ekFkj	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	smathur@cercind.gov.in
	b-'k d-ekj	सहायक प्रमुख (वित्त)	23353503	ishkumar@cercind.gov.in

	uke	inuke	Qku u-	b&esy
	,l- ,l- jruk	सहायक प्रमुख (एमआईएस)	23353503	acmis@cercind.gov.in
	jkeku t M	सहायक सचिव	23753921	asstsecy@cercind.gov.in
	uhj t oek	सहायक सचिव (एफओआर)	23353503	asstfor@cercind.gov.in
	Vh- Mh- ir	न्यायपीठ अधिकारी	23353503	tdpant@cercind.gov.in
	vkj- d- mik/;k;	न्यायपीठ अधिकारी	23353503	rkumar@cercind.gov.in

XI. lxBu pkV

dUnh; fo|r fofu;ked vk;ksx ¼dfofovk½

¼31-03-2010 dk½

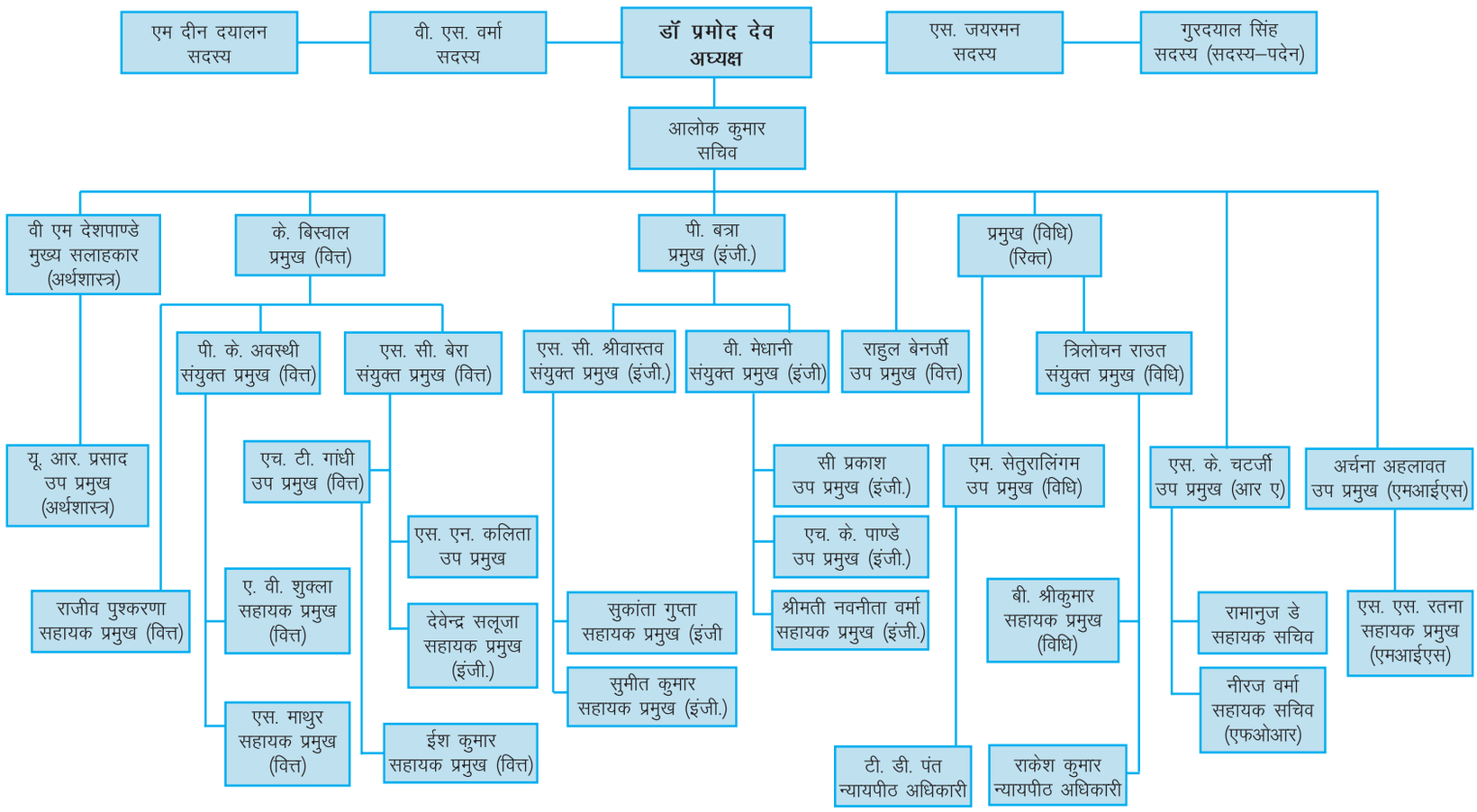

मुद्रितः एन्ना प्रिंट ओ ग्राफिक्स प्रा. लि.

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.)
तीसरी तथा चौथी मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
फोन नं.: +91 11 23353503, फैक्सः +91 11 23753923
वेबसाइटः www.cercind.gov.in